Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ८३ वां दिवस [संख्या २२

शनिवार, दिनांक २४ अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

————

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

————

स्थगन-प्रस्ताव

जोधपुर में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं चूरू में जन प्रतिनिधियों के हथकड़ी डालने संबंधी स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना कुछ दिनों पूर्व आई थी जिसका सम्बन्ध कुछ चुने हुए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से था। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाये गये आन्दोलन के दौरान कुछ चुने हुए व्यक्तियों को जिस तरह से पकड़ा गया उस सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की, सूचना आई, मन्त्री महोदय कृपया इसका उत्तर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व निश्चित योजना के अनुसार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सितम्बर के अन्तिम सप्ताह से सभी जगह खाद्य स्थिति की समस्या को लेकर भारतबन्द आन्दोलन किया गया था। चूरु में दिनांक २४-९-६४ को समाजवादी पार्टी एवं साम्यवादी दल ने हड़ताल की घोषणा की थी एवं दुकानें लुटी जाने की सम्भावना भी उत्पन्न की गई। अतः कुछ व्यक्तियों को धारा १०७/११७ जा. फौ. के अधीन पाबन्द करने हेतु पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट अदालत में की गई थी। जिसके फलस्वरूप अदालत से उन ७ व्यक्तियों के विरुद्ध वारन्ट जारी हुए थे। दिनांक २५-९-६४ को वारन्ट की तामील में सातों व्यक्तियों को जिनमें तीन नगरपालिका के सदस्य भी थे बन्दी बनाया गया। इन व्यक्तियों ने जमानत देने से इन्कार किया। अतः इन्हें पुलिस गाड़ी में अदालत ले जाने की व्यवस्था की गई। इन व्यक्तियों के प्रारम्भ में किसी को भी हथकड़ी नहीं लगाई गई थी।

Page No. 2

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जब उन्हें अदालत ले जाया जा रहा था तब आन्दोलन कराने वालों तथा कुशालसिंह व कमलेश द्वारा लोगों में उत्तेजना पैदा की गई, जिसके फलस्वरूप भारी भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस गाड़ी को बलपूर्वक घेर लिया गया । एस. पी. व कलेक्टर मौके पर पहूंचे और भीड़ को समझाने की पूरी कोशिश की । परन्तु सारे प्रयास निष्फल रहे । भीड़ ने पुलिस के घेरे को तोड़ने का प्रयास किया और पत्थर बाजी प्रारम्भ की । कुछ पत्थर पुलिस गाड़ी में गिरे । एक बन्दी श्री कुशालसिंह जी नगरपालिका के सदस्य थे, उन्होने पुलिस ट्रक से कूद कर भाग जाने के लिए छलांग मारी, परन्तु उनको पकड़ लिया गया । स्थिति को काबू के बाहर देख जिलाधीश ने भीड़ को अवैधानिक घोषित किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को साधारण बल प्रयोग का आदेश दिया । चूंकि स्तिथि गम्भीर हो चुकी थी, भीड़ बल प्रयोग द्वारा बन्दियों को छुडाने के लिए तत्पर थी और पुलिस पर हमला किया जा रहा था, एक बन्दी जो नगरपालिका के सदस्य भी थे छूट कर भागने का प्रयास भी कर चुके थे, अतः विषम परिस्थिति को देखते हुए उन उब व्यक्तियों के हथकड़ी डाली गई थी । पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की मार पीट व अभद्र व्यवहार करना नहीं पाया जाता है । साधारण तौर पर हथकड़ी जन-प्रतिनिधियों के न लगाने बाबत आदेश मौजूद हैं और सरकार उनका पालन करवाने हेतु सदैव चिन्तित रही है और रहेगी । किन्तु इस परिस्थिति में उक्त व्यक्तियों ने स्वयं कानून तोड़ने का प्रयास किया अतः उनको रेस्ट्रेन में रखने के लिये इस प्रकार का व्यवहार अपवाद रूप में, आतंक की पृष्ठभूमि में किया गया ।

जोधपुर में कोई जन प्रतिनिधि या नगरपलिका का सदस्य गिरफ्तार नहीं हुआ ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने फरमाया कि पुलिस पर हमला किया जारहा था तो जैसी भाषा इन्होंने प्रयोग की उससे यह शंका होती है कि क्या हमला कर दिया गया था या करने का अन्देशा था कि किया जाने वाला है इसका इरादा जाहिर किया था और जब यह स्थिति उनके पहले से जानकारी में थी कि मुलजिमों को छुडाने की जनता कोशिश करेगी तो इसका प्रबन्ध पहले से क्यों नहीं किया सरकार ने ? तीसरी बात, जिस वान में उनको ले जाया जा रहा था वह खुली थी या बन्द थी । अगर खुली थी तो छुड़ाने के अन्देशा रहते बन्द वान में क्यों नहीं ले गये ? और चौथी बात, हमला किया जा रहा था इसका अर्थ अगर हमला कर दिया है तो हमला करने वालों को क्यों नहीं पकड़ा ? उनको मुलजिम बनाया या नहीं ?

यह थोड़ा और स्पष्ट कर दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दो प्रश्न मैं पूछू ।

अध्यक्ष महोदय, कुशालसिंह जब वान में ले जाये जारहे थे उस समय उन्होंने जनता में उत्तेजना पैदा की, ऐसा कहा गया और इस उत्तेजना के कारण भीड़ ने वान को घेर लिया और पथराव शुरु किया । एस.

Page No. 3

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पी., चूरू ने प्रयत्न किया कि उत्तेजना शान्त की जाय। मैं पूछ रहा हूं कि जब वान चल रही थी तो कुशालसिंह के पास ऐसी कौनसी चीज थी, क्या साधन था जिससे वह उत्तेजना पैदा कर गये? भाषण से कर दी या किससे कर दी? क्या बात करदी? वे अरेस्ट कर लिए गये, वान में धर लिये गये, ले जा रहे थे तो वान में से भाषण कर दिया या क्या कर दिया?

दूसरी बात यह कही कि पथराव शुरू हो गया और कुशालसिंह वगैरह ने भागने की कोशिश की तब हाथ में हथकड़ियां डाली गई। तो यह तो मन्त्री महोदय को अच्छी तरह मालूम है कि घेरा डालो आन्दोलन में सब पार्टियों ने यह निश्चय किया था कि गिरफ्तारियां दो. और स्वयं दो और स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दो। स्वेच्छा से जब देने की बात थी गिरफ्तारियां तो यह समझ में नहीं आ सकता कि कोई सत्याग्रही या कोई इस तरह के आन्दोलन में आने वाला आदमी भागने की बात सोच भी सकता है। यह समझ में नहीं आता। उनका तो लक्ष्य ही यह था कि सरकार को भड़कावे गिरफ्तार करने के लिये और सरकार गिरफ्तार करे और शान्तिपूर्ण तरीके प्रयोग में लाये जावें और यह सही है कि उन्होंने निहायत शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी गिरफ्तारियां दी। ऐसी दशा में यह कहना कि वे भागने का प्रयत्न कर रहे थे, गलत चीज है और इसके साथ साथ यह भी कहना कि उन लोगों ने कोई उत्तेजना पैदा की, गलत चीज है। जो हथकड़ियां उनको डाली गई जन प्रतिनिधियों को वह गलत चीज है और गलत डाली गई और वह आम लोगों के अन्दर भय पैदा करने के लिए डाली गई और उनके लिए कोई कारण उपस्थित नहीं था कि उनको हथकड़ियां डाली जातीं। आज सरकार का कमिटमेन्ट है इस सम्बन्ध में कि जनप्रतिनिधियों को हथकड़ियां न डाली जायें, सरकार उस कमिटमेन्ट से पीछे हटी है। उनके हथकड़ियां डालने के पीछे एक ही दृष्टिकोण था कि आम सत्याग्रही आगे न आयें और सरकार उनको टेरीफाई करे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have given the facts, Sir. Now he is making a speech. आपके प्रश्न बहुत हो चुके हैं; अब मुझे भी तो समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : दूसरे भी बोलना चाहते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि उन लोगों को हथकड़ियां इसलिए डाली गई थीं कि वे भीड़ में उत्तेजना पैदा कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर कई जगह इस प्रकार की बातें आई हैं कि जहां चुने हुए प्रतिनिधियों को हथकड़ियां डाली जाती हैं और पुलिस वाले यही बहाना लेते हैं कि इनके भाग जाने का अन्देशा था और जब आप यह घोषणा कर चुके हैं और यह नियम है कि जन-प्रतिनिधियों को हथकड़ियां न डाली जायें। क्या मन्त्री महोदय, इस बात के लिए एश्योर कर

(श्री नत्थीसिंह)

सकते हैं कि जब पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही हो तो जुडीशियल इन्क्वायरी करायें कि जो हथकड़ी डाली गई थी और उसके लिए जो बहाना पुलिस ने बनाया था वह कहां तक सही है और यदि पुलिस के वर्शन पर ही कि वह इस तरह से कह रहा था इसलिए हथकड़ी डाली गई अगर यही बतौरा चलता रहा तो जनता इसका पालन कभी नहीं करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने जुडीशियल तौर से इसकी इन्क्वायरी कराई है और अगर नहीं कराई है तो क्या इसकी इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से दो बातों की जानकारी करना चाहूंगा। उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट में बताया कि जब मुलजिमान को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे उस समय भीड़ ने वहां शान्ति भंग की और मुलजिमान को छुड़ाने का प्रयत्न किया । मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि उन मुलजिमान को लेकर पुलिस के आदमी भीड़ के सामने क्यों गये थे ? जुलूस में जिस प्रकार की स्थिति है, थाने से जब मुलजिमान को ले जाया जा रहा था, थाने से कोर्ट में जाने के लिए बाजार में होकर जाना पड़ता है । प्रातःकाल से ही जुलूस की तैयारी हो रही थी, लोग बाजार में इकट्ठा हो गये थे तो दूसरे रास्ते से न ले जाकर जिस रास्ते में लोग खड़े थे; भीड़ इकट्ठी हो रही थी और हड़ताल की तैयारियां हो रही थीं, प्रदर्शन के नारे लगाये जा रहे थे, उनके बीच में से उन मुलजिमान को ले जाने की चेष्टा क्यों की गई ? क्या यह इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि भीड़ को प्रवोक करने के लिए उन मुलजिमान को वहां ले जाया गया और उन मुलजिमान के बहाने पुलिस और जनता के बीच में संघर्ष हो कर भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा जिससे काफी आदमी आहत हुए ।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो लाठी चार्ज किया उसमें कितने ऐसे व्यक्तियों के चोटें आई जो न तो प्रदर्शन में शामिल थे और न भीड़ में ही थे और जब भीड़ ने नारे लगाने का प्रयत्न किया और लोग अपनी दूकानों में बैठे हुए थे तो ऐसे कितने लोगों के चोटें आईं और उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

तीसरा प्रश्न यह है कि श्री मुरलीधर व्यास को जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने से पहले जब वह कलेक्टर से मिलने जा रहे थे, तो क्या यह सही है कि रास्ते में उनको जिन व्यक्तियों ने गिरफ्तार किया उन्होंने उनका हाथ भी मरोड़ा, उनको धक्का भी दिया और सीढ़ियों में चढ़ने से मना किया। जब वह जा रहे थे तो उनकी कलाई मरोड़ी तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार किये बिना सारी स्थिति पर काबू नहीं पा सकती थी ? इन बातों का भी वे स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि आदालत में ले जाने पर तमाम घटना घटी, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या इन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके ले जाने के पहले वहां पर मजमा पुलिस के समाने जमा हुआ था ? अगर उसके सामने

Page No. 5

(श्री हीराभाई)

जमा नहीं हुआ था तो क्या आदलत के सामने था। अगर अदालत के सामने जमा थे या और कहीं सत्याग्रहियों का स्थान, जहां कहीं एलान किया था, वहां पर वे जमा हुए होंगे तो क्या पुलिस के लिए वही रास्ता था कि उसी रास्ते पर से ले जा कर बहाना लिया जाये और फिर उसकी जिम्मेदारी लोगों पर ही डाली जाये ? आपने यह भी कहा कि वान से भागने की कोशिश की। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भागने की कोशिश की थी तो वान से उतर कर कितने कदम तक भागे थे और उनको फिर से पकड़ा और फिर हथकड़ी डाली ? क्या उसके बारे में पुलिस किसी तरह की बहानेबाजी करके देश के लोगों की जरूरत की आवाज को दबाने के लिए हर तरह से इस तरह से षडयंत्र चलाती है और उन्हीं लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डालती है और अपने काले कारनामों को ढके रखना चाहते हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पुलिस को पता था कि सत्याग्रह चल रहा था तो उस रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी ? अगर सत्याग्रह नहीं चल रहा था तो फिर आपकी यह निराधार और झूठी बात हो चुकी है क्योंकि एक वान से जाकर आदमी कैसे भाग सकता है ? तो पुलिस ने जानबूझ कर जनतन्त्र का गला घोंटने के लिए यह घटना घटाई। इसके लिए जुडशियल इन्क्वायरी कराई जाये और जो सत्याग्रहियों को अधिकार है उसके ऊपर आप कुठाराघात न करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के जो प्रश्न है वे स्थगन-प्रस्ताव के तथ्यों से परे हैं। स्थगन-प्रस्ताव यह है कि इलेक्टेड मेम्बर्स को हथकड़ी न लगाई जाये, यह स्थगन-प्रस्ताव है। इस पर जो सारी स्थिति हुई उस पर प्रश्न आ चुके हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने कहा कि ऐसी स्थिति है तो हम इसके बारे में ही जानना चाहते हैं कि अगर स्थिति सही बताते तो ऐसा कहना और हथकड़ी डालना वाजिब होता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने तो अभी कहना ही शुरू किया है। जरा सुन तो लेते। मैंने कहा कि जो स्थगन-प्रस्ताव है वह इलेक्टेड मेम्बर्स के हथकड़ियां लगाने के सम्बन्ध में ५ लाइनों का है। सारी विषम या सम स्थिति वहां पैदा हुई उसके सम्बन्ध में नहीं है। इसलिए मैं उनके सम्बन्ध में भी जवाब दूंगा। फिर भी यथाशक्ति आपने जो प्रश्न रखे हैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रोसीजर के माफिक मैं सारे तथ्यों के सम्बन्ध में जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे मालूम है आप कई दिनों से बहुत क्षुब्ध हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि जो भीड़ २४ तारीख को मोर्चा बना सकती है उस मोर्चे में उत्तेजना पैदा की गई और हड़ताल करवाने का प्रयास किया जाने लगा और किया गया। उस दौरान में १०७, ब्रीच ऑफ पीस और १०७ में ७ व्यक्तियों को लिया

Page No. 6

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गया जो इस सारी विषम स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे। अदालत में कार्यवाही हुई उस कार्यवाही की पाबन्दी में पुलिस ने इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और पुलिस वान में बैठाया गया। अब जो प्रश्न आपके सामने उत्पन्न हुआ है कि पुलिस वान से यह कूद कैसे गये कुशालसिंहजी और हमला किया गया या किया जाना था या किये जाने की तैयारी थी, उसके विषय में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह गिरफ्तारी जो कि अत्यन्त आवश्यक थी शांति भंग होने से बचाने के लिए थी।

उसके बाद भीड़ ने इस वान को रोक लिया, आगे बढ़ने से रोक लिया। पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट मौके पर पहुंचे और मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रयत्न किये गये कि इस भीड़ को जो उत्तेजित किया जा रहा है इन सात व्यक्तियों के द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनमें संयम लाया जाय, नियन्त्रण किया जाय, लेकिन वह असफल रहे इस प्रश्न पर और असफल ही नहीं लेकिन भीड़ इतनी उत्तेजित हुई कि उसने पत्थर फेंकने आरम्भ किये, और पत्थर फेंके और पुलिस वान में वह पत्थर पड़े। उसी दौरान में श्री कुशालसिंह जिनके लिए कहा जाता है कि उनको हैण्डकफ्ड किया गया उन्होंने छलांग मारी, पुलिस वान से नीचे कूदे और उनको वापिस बाअदब अन्दर दाखिल किया गया।

अब मैं तथ्यों को सामने रखते हुए निवेदन करूंगा–

(१) सर्कमस्टान्सेज नं० १ उत्तेजित भीड़,

(२) वान को आगे नहीं बढ़ने देना,

(३) सर्कमस्टान्स नं० ३ पत्थर फेंकना भीड़ द्वारा,

(४) सर्कमस्टान्स नं० ४ श्री कुशालसिंह का नीचे कूदना और भागने का प्रयास करना और जनता को कहना कि उसको छुड़ा लो और आदमियों को छुड़ा लो, आगे बढ़ने नहीं दो।

इन सब सर्कमस्टान्सेज को लिंक करके देखें और अपने आपको उन पुलिस आफिसर्स के स्थान पर हम रख दें तो पुलिस के पास यह आदेश सरकार के होते हुए भी कि इलेक्टेड मेम्बर को हथकड़ी नहीं लगाई जाय और कोई चारा नहीं हो सकता कि श्री कुशालसिंह और उनके साथी वापिस कहीं छलांग मार कर भाग न जाय अथवा जनता और कहीं उत्तेजित होकर इनको न छुड़ा ले जाय ऐसी परिस्थिति में उनको हैण्डकफ्ड किया जाना, हैज़ारडस हो जाने के कारण, भाग जाने की संभावना होने के कारण, अत्यन्त आवश्यक था पुलिस के लिए। इसलिए हैण्डकफ्ड किया गया, अध्यक्ष महोदय।

दूसरा सवाल यह है कि २५ आदमी, इन्क्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे कुल मिलाकर, २५ आदमी घायल हुए इस पथराव के कारण। यहां तक मैंने इस विषम स्थिति का जिक्र किया और विषम स्थिति के आधार पर १४७ और दूसरे ऑफेन्सेज के अन्तर्गत....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पुलिस के कितने हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १४७, १४५, ३५२, ३३२ के अन्तर्गत मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गई। ३ आदमियों को ऑन दी स्पाट गिरफ्तार किया गया पथराव व हमले के करने पर और बाकी आदमियों को बाद में गिरफ्तार किया गया। इस विषम स्थिति को पार करके पुलिस इन ७ बन्दियों को लेकर पुलिस स्टेशन पर पहुंची। ऐसी बदहालत में मजबूरी से ऐसा करने को पुलिस को विवश होना पड़ा।

श्री हीराभाई : पुलिस वान की खिड़की खुली रखी, तब जाकर उन्होंने उतरने की फिर कोशिश की। इन्चार्ज को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास!

श्री हीराभाई : हंगामा पैदा करने वाला तो वही था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, जो चूरू और जोधपुर में, खास तौर से चूरू में जो वहां के कुछ साथियों को गिरफ्तारियां हुई और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके साथ साथ जोधपुर के अन्दर जो भी वहां के साथियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया उसके सम्बन्ध में स्थगन–प्रस्ताव किया गया है। कार्यवाही के सम्बन्ध में जो कुछ भी हुकूमत करें इस बात का वह मेरा नहीं है। मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चूरू के मामले में सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर चूरू की पुलिस ने ७ व्यक्तियों को घर बैठे रात्रि को यह कहकर ३ और ४ के बीच में २४ तारीख को थाने पर बुलाते हैं। रात्रि को ४ और ५ के बीच में थाने में बुलाते हैं यह कह कर चूरू के ७ व्यक्तियों को जिसमें सेक्रेटरीज भी हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स भी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक हैं इन्होंने अपनी कार्यवाही की। उसके बाद में २४ तारीख को सवेरे जब ६ बजे इन लोगों को ले जा रहे थे और वहां पर सड़क के ऊपर प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि २५ तारीख को इस प्रकार देशव्यापी भारतबन्द का नारा था उस आधार पर आन्दोलन चल रहा था। उसमें प्रदर्शन भी हो रहा था। उसमें माइक पर बोला भी जा रहा था। वहां से वह मोटर निकली। उस समय उस पर जो आदमी बोलने वाला था उस बोलने वाले के साथ में किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया उसकी ओर आपके जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जिस समय मोटर निकली सामने लोग बैठे हुए थे, मोटर के सामने भी थे। प्रदर्शन भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, किन्तु यह पुलिस को अधिकार कहां से आया कि जो आदमी माइक पर बोल रहा है जिसका कि बुनियादी अधिकार है बोलने का एस० पी० वहां पर जाये, डी० एस० पी० वहां पर जाये और वह बी० ए० पढ़ा लिखा आदमी है उसके बाल पकड़ कर नीचे खींचे और डंडे मारें और इतनी भीड़ में से उसको घसीट कर ले जाये कि उसको बेहोशी की हालत में थाने पर ले जाये जिसकी कि मेडीकल रिपोर्ट है, मैं समझता हूं कि पुलिस को कौन सा अधिकार है कि जो बुनियादी अधिकार बोलने का है वहां से उसको इस तरह से घीस कर ले जाये?

एक काम तो यह किया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात हम चाहते हैं कि उसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

बाद में भी जो वहां पर ये यह कहते हैं कि पुलिस के ऊपर पत्थर मारे गये, मैं मानता हूं कि पुलिस के भी कुछ चोटें आई हैं। इसमें मुझे कोई यह नहीं है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार का ऑर्डर दिया कि लाठी चार्ज करते हैं ? कोई ऑर्डर नहीं दिया गया लेकिन जब लड़के को माइक पर से घसीट कर ले जाने लगे तो लोगों में टैन्शन हुआ और लोगों ने हुरें की आवाज लगाई, कुछ लोग आगे बढ़े उस समय लाठी चार्जकर दिया गया। लाठी चार्ज के अन्दर लोगों को चोटें आई। बच्चों के चोटें आई, औरतों के चोटें आई, दूकानों पर जो लोग बैठे हुए थे उनके चोटें आई। उनको वहां पर पीटा गया। मैं माननीय गृह-मंत्रजी को इस बात का चैलेन्ज देकर कहना चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से इस बात का पता लगायें कि इस बुरी तरह से पीटा गया। उसके बाद पथराव चालू हुआ, तो पथराव के बारे में हमारे पास में फोटो मौजूद है जो कि मैं सदन में पेश कर सकता हूं। उस व्यक्ति को जो माइक पर बोल रहा था किस प्रकार से ले जाया गया घीसकर उसके भी फोटो मैं पेश कर सकता हूं। दूकानों पर बैठे हुए लोगों को और स्कूल जाते हुए बच्चों को जिस प्रकार से पीटा गया है उसके भी फोटो पेश कर सकता हूं। पुलिस के हाथ में पत्थर है जो कि जनता के माथे पर पत्थर मार रहे है उसके भी फोटो पेश कर सकता हूं। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है मैं प्रमाण सहित पेश कर सकता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस में वान में लोगों को पीटा और जनता को पीटा और उसके बाद में यह सारा वातावरण बना।

उसके बाद का मैं अर्ज करू कि जुलूस जा रहा था। उसके बाद में यह हो गया कि भीड़ तितर-बितर हो गयी फिर भी पुलिस ने, उसके बावजूद तीन जगह लाठी चार्ज किया छात्रों पर। छात्र स्कूल से निकल रहे थे, और नारे लगा रहे थे और कुछ को निकाल रहे थे; वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यह कहां तक ठीक है कि बिना किसी हुक्म के जगह-जगह लाठी चार्ज करते हुए चले जायं और माइक पर बोलने वाले आदमी को कौनसा कानून कहता है कि बोलते हुए को गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाओ ? तो मैं यह आपसे जानना चाहता हूं।

इसके बाद में २५ तारीख को यह घटना हुई। यह समाप्त हुई। २६ को गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद में आप कहते है कि शाम को गिरफ्तारियां हुई और दूसरे दिन जारी रहे। घरों से लोगों को बुलाया गया, कोई वारन्ट नहीं कोई बात नहीं और रात को १२ बजे, एक बजे लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में लोगों को थाने में पीटा गया। आप पुलिस कस्टडी में रख लें और वहां पर लोगों को पीटें। हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर श्री प्रदीपजी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा काम किया, म्युनिसिपल बोर्ड के चैयरमैन, श्री कुशाल सिंह,-चेयरमैन अभी नहीं है, लेकिन मेम्बर तो है आज भी है और म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर्स उनको आपकी पुलिस ने पीटा। जब पुलिस कस्टडी में हैं तो उनके सिर तोड़ा। समझ लीजिए आपकी कस्टडी में हम

Page No. 9

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं वहां आप हमें मारें, पीटें तो हमारे पास क्या साधन हैं ? आपकी पुलिस जान से भी मार सकती है ।

जहां तक हथकड़ी लगने का सवाल है प्रदीपजी और कुशालसिंहजी म्युनिसिपल बोर्ड के पहले चेयरमैन थे, अब भी वे मेम्बर हैं; उनके हथकड़ी लगाई गई या नहीं और भेजा गया या नहीं ? उनके हथकड़ी लगाई गई और हथकड़ी लगाकर भेजा गया । यहां पर कहा गया था कि इलेक्टेड लोगों के हथकड़ी नहीं लगायेंगे और डिप्टी मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हथकड़ी लगाई है तो नहीं लगानी चाहिये । मैं नहीं समझता....

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन से मंत्री थे जिन्होंने कहा ?

श्री मुरलीधर व्यास : आपने ही कहा था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह कह सकता हूं निश्चित रूप से नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जहां सर्कम्सटान्सेज़ डिफरेंन्ट हों....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस सदन में होम मिनिस्टर सम्माननीय माथुर साहब ने निश्चित रूप से कहा था और सदन को यह गारन्टी दी थी कि किसी भी इलेक्टेड आदमी को हथकड़ी नहीं लगाई जायगी । यह स्पष्ट बात है । इसमें यह नहीं है कि किसने कहा, मिनिस्टर बदलते होंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न डिबेटेबल नहीं है । प्रश्न यह है कि इलेक्टेड आदमियों के हथकड़ी नहीं लगानी चाहिये, यह मन्जूर करके चल रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : अब मैं आप से बयान करूं मेरे खुद के साथ में क्या हुआ मैं गलत नहीं कहना चाहता । १ तारीख को भारत बंद का प्रदर्शन लेकर कलेक्टोरेट गये, हम चाहते थे कि ६ आदमी प्रतिनिधि के रूप में जाकर बातचीत करेंगे । पुलिस ने मुझे खुद को रोका । डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने मेरे गले में हाथ डाला, मुझे डंडा मारा जिसकी रिपोर्ट दी, खून लगा हुआ बताया, नाखून लगने से खून निकला वह कलेक्टर को बताया, मुख्य मन्त्रीजी को लिखा कि मेरे साथ क्या हुआ है । मेरे साथ भी इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं जो मिलने जाते हैं तो जनता के रिप्रजेन्टेटिव्ज़ जो प्रदर्शन लेकर जाते हैं उनके हथकड़ी लगाई जाती है, उनके डंडे मारे हैं, उनके सिर फोड़े हैं, आप इसकी जांच कराइये कि पुलिस की कस्टडी में उनके सिर फोड़े या नहीं ?

जोधपुर में जोरावरमल बोड़ा और जैसलमेरिया जिनका राजस्थान की आजादी के लिए नाम है, जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए काम किया है, जिनके खिलाफ बोम्बे षड़यंत्र केस चला था, उनको जेल में डालकर रखा गया । जोधपुर में जोरावरमल बोड़ा एडवोकेट है उनको और जैसलमेरिया

(मुरलीधर व्यास)

को हथकड़ी डालकर ले जाया गया। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया जब कि वे म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं ? आपकी पुलिस का व्यवहार इस प्रकार का है। मैं दूसरी कार्यवाही के बारे में कहना चाहता हूं। हमने जुर्म किया है तो कड़ी से कड़ी सजा दें, उसके लिए हम भीख नहीं मांगेंगे बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं, आप उसको बुरा मानते है तो हमें सजा दें, लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि आप पुलिस को इस प्रकार अधिकार कैसे देते हैं और अधिकार देकर आप खुद यहां घोषणा करें उसके बाद भी इस प्रकार का रवैया हो, तो मैं मांग करता हूं कि इसके लिए आप जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा दीजिये। चूरू में जो वाका हुआ है उसके लिये पुलिस जिम्मेदार है जिसने नाजायज़ तरीके से गिरफ्तारियां कीनाजायज तरीके से डंडे मारे। उसके बाद पुलिस ने खुद ने पत्थर मारे, टेन्शन पैदा किया। मैं यह भी मानता हूं कि बच्चों ने उधर से भी पत्थर मारे होंगे, मैं इससे इन्कार नहीं करना चाहता, झूठ बोलना ठीक नहीं, पुलिस ने लापरवाही से कार्य किया, किस तरीके से किया यह नहीं जनता, लेकिन आज भी प्रमाणित करता हूं कि पुलिस ने इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया। २६ तारीख को मैं गया। भारत बंद के लिए नारा था। लोगों के बही-खाते तहसीलदार और पटवारी दुकान से उठा कर ले गये, उनको धमकाया और कहा कि कल हड़ताल मत करना। आपके हुकूमत के लोगों का काम लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने का है। उनका काम यह नहीं है कि वे खुद ही आन्दोलन चलावें और एक्टिव पार्ट लेकर हड़ताल बंद करने की कोशिश करें और हुकूमत के लोग ही पार्टी बन जावें। जिस प्रकार पार्टी वाले दबाने का काम करते हैं उसी प्रकार का काम उन लोगों के द्वारा किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। इसलिये मैं गृह मन्त्रीजी से अर्ज करना चहता हूं कि आप अपने विश्वस्त आदमी से जांच करवा लीजिये या खुद कर लीजिये, मेरा बयान झूठा हो तो मैं दंड भुगतने के लिये तैयार हूं वर्ना जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाय। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस मसले को लोकतंत्र के आधार पर सुलझाइये। आज हम आंदोलन करते हैं, कल आप भी करते हैं, दूसरी पार्टियें भी आंदोलन करती हैं उनको आप इस तरीके से दबाने की बात करेंगे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो इससे लोकतंत्र पनप नहीं पावेगा। आप चाहते है कि अपोजीशन मजबूत हो, अपनी बात कहे, मैं कहता हूं चूरू में १५,००० आदमी गये, एक भी आदमी ने पत्थर नहीं मारा। सुबह से शाम तक वहां रहे, गांधीजी की अहिंसात्मक कार्यवाही हुई, यह १ अक्टूबर की बात है। २५ तारीख को इस प्रकार की कार्यवाही क्यों हुई ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराके और सदन में उसकी रिपोर्ट पेश करें, यह अच्छा होगा जनतांत्रिक तरीके से।

श्री अध्यक्ष : श्री मुराणा।

Page No. 11

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, चूरू की घटनाओं के बारे में अभी माननीय उप–गृह मंत्रीजी ने जो बयान दिया है मैं उसकी बात पर आपके सामने स्ट्रैस देना चाहता हूं और वह यह है उप–गृह मन्त्रीजी का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वे ...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On a point of order, मेरा सिर्फ निवेदन करना यह है कि एडजोर्नमेंट मोशन है, आप कुछ क्वेश्चन्स के द्वारा इन्फोर्मेशन मुझसे सीक कर सकते हैं न कि भाषण देकर सदन को उद्घोषित करें। यह परम्परा नहीं रही है। दूसरा, जो यहां प्रश्न उठाया श्री मुरलीधर ने भाषण द्वारा उन प्रश्नों की पुष्टि और तुष्टि की और आप भी भाषण देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि प्रश्नों के द्वारा, कोई एम्बिग्विटी रही हो तो मुझ से पूछलें, लेकिन भाषण न दें।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मानिकचन्द सुराणा : उप–गृह मन्त्रीजी को भाषण की योग्यता में ऐसा लगता है, भरोसा नहीं रहा। मुझे कहने दिया जाय....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आप पोइन्ट आफ आॅर्डर पर निर्णय फरमा दें तब निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोलें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बहुत संक्षेप में बोलूंगा। माननीय उप–मंत्रीजी का कथन सही नहीं है कि जब लोग भागने लगे तब हथकड़ी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं कि श्री कुशालसिंह और श्री प्रदीप शर्मा म्युनिसिपेलिटी के सदस्य हैं, संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और जनता के नेता हैं। जब शुरू में उनको पुलिस कोतवाली में लाया गया उस वक्त से उनके हथकड़ी लगाई गई थी और पुलिस वान में ८॥ – ९ बजे बाजार से ले गये उस वक्त भी उनके हथकड़ी लगी हुई थी, इसलिये आपका कहना कि हथकड़ी इसलिये लगाई थी कि वे भागने का प्रयत्न कर रहे थे, तथ्य के विरुद्ध हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार की नीति कि इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज़ के हथकड़ी नहीं लगाई जायगी। आपके मंत्री और सरकार मानती है कि इलेक्टेड लोग हैं उनको हथकड़ी लगा लगाना बंद करना चाहते हैं। लेकिन आप कहते है कि क्यों कि वे भागने लगे थे इसलिए उनके हथकड़ी लगाई, मैं आपके वक्तव्य को चुनौती देता हूं, यह बिल्कुल असत्य है। सत्य यह है कि उनके शुरू से हथकड़ी लगाई है। इससे भी गम्भीर बात यह है कि कलेक्टर, चूरू के सामने इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव्ज़ ने रिप्रेजेन्ट किया कि राजस्थान सरकार का सक्यूलर है कि इलेक्टेड लोगों को हथकड़ी नहीं लगाई जाय उसके बावजूद भी कलेक्टर, चूरू ने आदेश नहीं दिया कि हथकड़ी नहीं लगाई जाय।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लेकिन उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जिस प्रकार से इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है उसी प्रकार हथकड़ी लगा कर वापिस लेजाया जाय। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के आदेश की इससे ज्यादा खुली अवहेलना कोई हो नहीं सकती। मुझे याद है, पिछले सेशन में जब एक सरपंच के नौखा के अन्दर हथकड़ी लगाई गई थी, तो जिस थानेदार ने ऐसा किया था उसको एकदम मोअत्तिल किया गया था, क्योंकि १०७ का केस जाब्ता फौजदारी का केस सरपंच पर लगाया गया था, वह निरर्थक लगाया गया था। यहां पर १०७ और ११७ जाब्ता फौजदारी का निरर्थक केस एस. एस. पी. के दो मेम्बर और म्युनीसिपल बोर्ड के मेम्बर्स पर लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत गम्भीर है, इसलिए उप-गृह मंत्री उनको बचाने की दृष्टि से चाहे कह दें कि भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा की संयुक्त समाजवादी पार्टी के मेम्बर, जिन्होंने सारे भारत को बंद करने का बीड़ा उठाया था, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया था, क्या वह गिरफ्तारी से भाग जाते ? वह क्या हिन्दुस्तान से भागने वाले थे ? चूरू शहर को छोड़ कर वहां से फरार होकर वे क्या चोर-डाकू बनने वाले थे ? आपकी यह कल्पना है तो मैं समझता हूँ, आपकी राजनीति की समझ धन्य है कि आप इतना नहीं समझते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप डिप्टी एस. पी. को सेव करना चाहते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे राजस्थान सरकार के आदेशों का गला घोंटते है, उन डी. एस. पी. को आप सेव करने की कोशिश मत कीजिये। इसकी क्या आवश्यकता है ? लेकिन आप ऐसा नहीं करते, नहीं तो आज तक कलेक्टर, चूरू और पुलिस के आदमी, जिन्होंने गलती की है, के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो जाती। मैं पुरज़ोर शब्दों में मांग करना चाहूंगा कि इस मामले में चूंकि सरकार के आदेशों की अवहेलना की गई है, सरकार द्वारा यह तथ्य मान्य है, इससे सरकार डिनाई नहीं करती है, इसलिए यह केस ऐसा है कि किसी प्रकार की रियायत कलेक्टर, चूरू और डिप्टी एस. पी. और दूसरे जो अधिकारी हैं, उनके प्रति नहीं करनी चाहिए और उनको बरखास्त करना चाहिए। रहा सवाल पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करने का, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जांच करवाई थी—जब संयुक्त समाजवादी पार्टी के नेता मुरलीधरजी मुख्य मंत्री से मिल कर आये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करेंगे, एक सीक्रेट अधिकारी को भेजेंगे और उसकी रिपोर्ट लेंगे। मे नहीं जानता कि वह रिपोर्ट अभी तक मुख्य मंत्री या गृह मंत्री जी भी हैं, के पास पहुंची है या नहीं। अगर नहीं पहुंची है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्म की बात है। और अगर पहुंच गई है तो मैं सरकार का माइन्ड जानना चाहता हूं, सरकार का दिमाग जनना चाहता हूं कि सरकार ने अपने सीक्रेट पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पर, सी. आई. डी. की रिपोर्ट पर, क्या फैसला लिया ? उस समय मुख्य मंत्रीजी ने साफ कहा

Page No. 13

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

था, जिस तरह का चूरू एक शांत जिला था, मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतना बड़ा आन्दोलन चूरू में हो सकता है । सारे राजस्थान के शहर एक दिन बन्द रहे लेकिन चूरू में, अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारियों के रवैये के कारण चार दिन तक बन्द रहा: २५, २६ सितम्बर और १ व २ अक्टूबर के दिन, जिस दिन महात्मा गांधी जयन्ती थी, उस दिन भी चूरू की जनता को हड़ताल करनी पड़ी और यह भी एक मांग लेकर गई कि पुलिस लाठी चार्ज की जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय । मैं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सी. आई. डी. पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट आ गई है या नहीं ? अगर आ गई है तो अच्छा है और अगर नहीं आई है तो हाई कोर्ट के जस्टिस द्वारा जुडिशियल इन्क्वायरी कराने में असहमत क्यों हैं ? अगर उससे असहमत हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर के योग्य अधिकारी के द्वारा जांच करायें, क्योंकि संविधान के मूल अधिकारों की हत्या कर दी गई है । एक शांन्तिपूर्वक चलता हुआ जुलूस जिसमें पांच हजार लोग थे, वह कलेक्टर के दफ्तर के आगे प्रदर्शन करने जा रहा था, उसको तितर-बितर करने के लिए राजस्थान की सरकार ने चार बार लाठी चार्ज कराया और जुलूस के ऊपर इतना भयंकर लाठी चार्ज किया कि बहुत से लोगों को चोटें आईं और उनको मजबूर किया तितर-बितर होने को । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू के अन्दर १४४ दफा नहीं लगाई गई थी । उप-गृह मंत्रीजी इसको नोट करें अगर १४४ दफा होती और जलूस चलता तो लाठी चार्ज करना जायज़ हो सकता था । बिना १४४ दफा लगाये हुए आपको अधिकार नहीं है शान्तिपूर्वक चलते हुए जुलूस के ऊपर लाठी चार्ज करें । इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, २५, २६ सितम्बर को लाठी चार्ज किया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं, उससे पहले कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा वार्निंग नहीं दी गई थी कि लोग तितर-बितर हो जायं, क्योंकि उन्होंने अनलॉफुल असेम्बली बना रखी है । इसकी कोई सूचना या चुनौती लोगों को नहीं दी गई, इसके बिना ही जब लाठी चार्ज किया गया, और इसके बिना ही कार्यवाही की गई तो लोगों ने पत्थर फेंकना शुरु कर दिया । अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने पत्थर फेंके हैं तो लाठी चार्ज से बचने के लिए फेंके हैं । मैं यह बयान अपने आप नहीं दे रहा हूं बल्कि चूरू के एस. पी. का बयान है कि लाठी चार्ज के जवाब के अन्दर लोगों ने लाठी चार्ज से बचने के लिए पत्थर फेंके हैं । यह नई दिल्ली के अखबार में कालिया, सुपरिटेंडेंट पुलिस के बयान छपे हैं । मैं समझता हूं कि उनके इस बयान के बाद स्थिति स्पष्ट है कि हथकड़ी लगाई गई है, शुरु से आखिर तक लगाई गई है । मुझे अफसोस है कि कलेक्टर को कहा गया कि हथकड़ी लगा देना गैर कानूनी है लेकिन उसने हथकड़ी खोली नहीं और उसने कहा कि हथकड़ी लगा कर वापिस ले जाया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, इस तरह के कलेक्टर को तुरन्त बरख्वास्त किया जाना चाहिए । सरकारी नौकर, जो

(श्री माणिक,चन्द सुराणा)

साफ तौर से सरकारी आदेशों की अवहेलना करता है, को एक मिनट भी नौकरी में रखने का आपको अधिकार नहीं है। सरकार इस मामले में नर्मी बरतती है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे भयंकर नतीजे होंगे जोधपुर के संयुक्त समाज वादी पार्टी के लोगों को. निम्बाहेड़ा संयुक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को हथकड़ी लगाई गई, इस प्रकार जुल्म राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर, संयुक्त समाजवादी पार्टी के मेम्बर पर किया इसका नतीजा साफ होगया था, लेकिन नतीजा कुछ बच गया हनुमानगढ़ में, अन्यथा इसका नतीजा वहां साफ देखने को मिलता, फिर भी कॉंग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए कि साढ़े सत्ताइस हजार के मुकाबले में २३ हजार वोट आपकी सरकार के खिलाफ पडे हैं, यह प्रतीक है....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): चूरू का मसला है कि हनुमानगढ़ का मसला है ?

श्री मोहनराज जैन (बाली): आप बैठ जाइये।

श्री फूलचन्द जैन : याद कर रहे हैं

श्री मोहनराज जैन : अक्ल मन्दी से काम लीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा:मैं तो तीन मांगें करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, - पहली मांग यह है कि चूरू में पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज क्यों हुआ और चार दिन तक आम हड़ताल लोगों को क्यों करनी पड़ी ? इस बात की जुडिशियल इन्क्वायरी किसी डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर के आदमी के द्वारा कराई जाय। दूसरी यह कि चूरु के पुलिस अधिकारी और कलेक्टर चूरू, जिसने सरकारी आदेशों की अवहेलना की है हथकड़ी लगाने के मामले में, इनको मोअत्तिल किया जाय। कोई सक्षम सरकार यदि होती, अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह कलेक्टर और पुलिस अधिकारी को एक दिन भी नहीं रहने देती और आन्दोलन के तुरन्त बाद उनका तबादला कर दिया जाता। नीम के थाने में आप अधिकारियों का तबादला कर सकते हैं, आपकी सरकार एस. डी. ओ. का तबादला कर सकती थी क्योंकि उस एस. डी. ओ. की रिपोर्ट वहां के संयुक्त समाजवादी पार्टी के आन्दोलन के पक्ष में है। लेकिन आप चूरू के कलेक्टर का तबादला नहीं कर सकते क्योंकि चूरू के कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने आपकी कांग्रेस की सरकार को बचाने का प्रयास किया, इसका नतीजा यह हुआ कि चार दिन तक जनता में भीषण जोश रहा। दूसरी मांग मेरी यह है कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों और चूरू के कलेक्टर को फौरन मोअत्तिल किया जाय। तीसरी मांग मेरी यह है चूरू के मामले के अन्दर जो कुछ भी सरकार की तरफ से ढील हुई है और जिस तरह का व्यवहार किया गया है, चूरू में ऐसा लगता था कि राजस्थान में कोई सरकार नहीं है, इस राजस्थान में कोई सुनने वाला तक नहीं है, चार दिन तक हड़ताल जनता ने की, लेकिन वहां कोई मन्त्री या उप मन्त्री नहीं पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि उस चूरू जिले के यहां

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पर दो उप-मन्त्री हैं, लेकिन उनमें से किसी एक उप-मन्त्री ने जा कर, चूरू में इतनी बड़ी हड़ताल होने के बाद भी जाकर उसका अध्ययन नहीं किया, चार दिन तक हड़ताल क्यों की ? यह मामला बड़ा गम्भीर है । मैं निवेदन करता हूं कि जो मैंने तीन मांगें रखी हैं, इनमें कोई राजनैतिक या प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है । आप जुडिशियल इन्क्वायरी करायें और उसमें हमारे साथी दोषी हों तो कोई हर्ज नहीं है । आप ताजीरात हिन्द, जाब्ता फौजदारी के मुकदमे उन पर करायें । मैं निवेदन करना चाहता हूं । इन तीनों मांगों को

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दोहराने के साथ अपना आसन ग्रहण करता हूं । मैं साफ तौर से उप-मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि उनके शुरू से आखिर तक हथकड़ी लगी हुई थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सोशियलिस्ट पार्टी का कार्य क्रम भारत बन्द सारे देश में चला और उसके अनुसार चूरू में भी पहले दिन २४.६ ६४ को मीटिंग की गई और जैसा कि बताया गया था, उसी समय मीटिंग हुई और वहां के राज्य कर्मचारियों की तानाशाही के कारण चूरू जिले की जो स्थिति हुई उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । २४ तारीख की रात को मीटिंग होती है और दूसरे ही रोज २५ तारीख की सुबह साढ़े चार बजे ही बिना किसी नोटिस और हुक्म के, बिना किसी वारन्ट के पुलिस कर्मचारियों ने सात आदमियों को घर से बुला कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया । जब उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद जनता ने उनसे कहा कि आपने इन लोगों को किसलिये गिरफ्तार किया है, तो कहा कि शान्ति भंग न हो इसलिये गिरफ्तार किया है । उसके बाद उन लोगों को थाने से खुली मोटर में बिठा कर ले जाया गया और वह इस कारण से ले जाया गया कि जनता भयभीत होकर उनका साथ न दे । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य जनता के प्रतिनिधि थे, जो कल तक म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन थे और आज भी म्युनिसिपैलिटी के सदस्य हैं उनको हथकड़ियें लगा कर खुली मोटर में निकम्मी हुकूमत के कलेक्टर और डी. वाई. एस. पी. ने निकाला और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । जिस समय लोगों ने पुलिस वालों से पूछा कि आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया है तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । यह तो हुआ सो हुआ, मगर इस पर भी जिस ढंग से जनता पर लाठी चार्ज किया गया उसका हाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, यह, उप-मन्त्रीजी जो कभी चूरू पधारे होंगे वहां गढ़ देखा होगा । गढ़ के सामने लाठी चार्ज घन्टे भर तक होता रहा और ४ फर्लांग तक होता रहा, तुलसया बाजार, बड़े मन्दिर को दुकानों तक लोगों को लाठियें मारी गई । दूसरी तरफ घंटाघर के आगे तक गुदड़ी बाजार में, रामगढ़ ये दरवाजे तक लाठियों से जनता को बेरहमाई से पीटा गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चूरू जिले से चुन कर आये हैं उनका यह कर्तव्य था कि वे वहां पर जाकर देखते तो उन्हें मालम होता·······

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : मैं सही स्थिति आपके सामने रखूंगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप शर्म करें, आप चूरू जिले से चुन कर आये हैं; आपको कम से कम वहां पर जाकर सारी स्थिति को देखना चाहिये था....

(श्री फूलचन्द, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री मोहनलाल सारस्वत के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप चूरू गये थे क्या ? आपको लज्जा आनी चाहिये, आप चूरू जिले से चुन कर आते हैं। आपको ऐसे अवसर पर वहां पहुंचना चाहिये

(शोर-गुल)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : योजना मंत्रीजी इशारा करते है तो हम भी तैयार होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी फूलचन्दजी ने फरमाया कि वे असलियत यहां रखेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे असलियत यहां रखें तो हमें बहुत खुशी होगी और हमने जो बातें कहीं हे यदि उनमें कोई बात असत्य होगी तो मैं निवेदन करता हूं कि बिना पार्टी का ख्याल करते हुए मैं आपसे माफी मांगूंगा। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने वहां की जो स्थिति देखी है वह सामने रखें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज चार फर्लांग तक किया और उस लाठी चार्ज में ७०,७० और ८०, ८० वर्षों की औरतों के लाठी की चोटें आई हैं। इसके सिवाय लाला पिनारा का सिर फूट गया। हीरालाल चौधरी, सांवरलाल बजाज जो अपनी दूकान पर बाजार में बैठे थे, चोटें आई। अब्दुल रहमान को सुनार की दूकान पर बैठे पीटा। मासूम बच्चों के भी चोटे लगीं.......

(श्री फूलचन्द जैन और श्री मुरलीधर व्यास व श्री मोहनलाल सारस्वत के साथ-साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में ऐसी मिसालें आई है जिसमें ठोडी तोड़ दी गई....

एक माननीय सदस्य : अस्पताल में भर्ती हुई हैं क्या ?

श्री फूलचन्द जैन : पुलिस की रिपोर्ट है या मेडिकल रिपोर्ट है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप श्री मोहनलालजी को बोलने दीजिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : हम जब २७ तारीख को पहुंचे और पता लगाया कि किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया है और किन-किन के चोटें लगी हैं तो आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो खेती करने वाले थे, उन्हें खेत से बुलवा कर गिरफ्तार किया गया और जिनका इस आन्दोलन से कोई संबन्ध नहीं था, उन लोगों को भी पांच-पांच रोज तक गिरफ्तार करके रखा गया।

Page No. 17

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां पर जो तांगे वाले लोग थे, जो तांगा चलाते थे और जो दो या तीन रुपया रोज कमाते थे, उनको भी पकड़ लिया गया और उनके तांगे और घोड़े तक को थाने में रोक रखा गया। उन तांगे पर लाउड-स्पीकर लगा हुआ था। लाउड-स्पीकर आज तक पुलिस ने नहीं दिया है। जिन १२ व्यक्तियों के विरुद्ध पथराव का मुकदमा बनाया गया है वह बिल्कुल झूठा है। मुकदमा वापिस लिया जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको भी क्या हथकड़ियां लगाई गई ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : लोग रिपोर्ट पुलिस थाना में देने गये। वहां जनता का संघर्ष था, कलेक्टर और एस. पी. यह चाहते थे कि जनता को किसी न किसी तरह से कुचला जावे और जब हमने कहा कि लोगों की रिपोर्ट लो तो उन्होंने नहीं ली और जिन लोगों के चोटें आई उनमें से कुछ का मुआयना हुआ और बहुत से लोगों का मुआयना कलेक्टर और एस. पी. को बराबर कहने पर भी नहीं हुआ। बाहर बैठे हुए लोगों ने कहा कि बहुत से लोगों को चोटें लगी हैं नहीं लिखी हैं, लिखी जानी चाहिए, मगर बावजूद लोगों के कहने के, वे नहीं लिखी गई और बड़ी मुश्किल से चार पांच लोगों का रेकॉर्ड हुआ। इसके लिये कुछ लोग यह कहते हैं कि वास्तविक स्थिति हम भी सामने रखेंगे; मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वे वास्तविक सही स्थिति को हमारे सामने रखेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे।

इसके अलावा मैं कांग्रेस के सत्ताधारी मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि यदि आप वहां होते और आपने वहां पर ७-८ दिन तक जो घटनाएं हुई और वहां के लोगों पर अत्याचार हुए उनको आप देख लेते तो आपको यह मालूम हो जाता कि इस हकूमत को बदनाम करने के लिये वहां के कलेक्टर और एस. पी. ने यह समझ लिया कि ५-७ आदमियों को, जिन्होंने यह मीटिंग की है, उनको गिरफ्तार करने से स्थिति ठीक हो जावेगी, अन्यथा २५ तारीख को हुकूमत बदल जायेगी या क्या परिस्थिति पैदा हो जावेगी, उन्होंने अकारण ही हमारे भाइयों को, जो संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी के व्यक्ति थे, गिरफ्तार कर लिया और उन्हें खुली मोटर में ले जाया गया; जबकि थाना पुलिस के सामने तीन हजार व्यक्ति जुलूस के रूप में मौजूद थे। चूरू की जनता ने हड़ताल की और चूरू में चार दिनों तक जो वातावरण रहा उसको यदि आप आंखों से देखते तो आपको ऐसा मालूम होता कि आज के प्रजातन्त्र में हुकूमत नाम की कोई चीज हमारे वहां नहीं है और यह स्थिति वहां चूरू में ४ या ५ दिन तक चली। १ तारीख को जब श्री मुरलीधर व्यास गिरफ्तार हुए तो हमारी पार्टी ने बहुत ही सूझ-बूझ से काम लिया और सोच समझ कर कदम उठाया। दो तीन नेता कलेक्टर से बात करने जाते हैं उनको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया। उस पर भी हमारी पार्टी ने शांति रखी और १५-२० हजार आदमियों का जलूस था उसको बड़ी शांति से वापिस लाये। फिर दूसरे रोज २ अक्टूबर को महात्मा गांधीजी का जन्म-दिवस था वहां कलेक्टर के मकान पर गये, जनता का १०-१५ हजार का जलूस गया जहां उस रोज 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम' का

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

भजन जनता गा रही थी। कलेक्टर साहब के यहां महात्मा गांधीजी के जन्म दिन पर 'बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं' चल रहा था। इस प्रकार हुकूमत को बदनाम किया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिन पर इस तरह के कृत्य किये और जुलूस में गये हुए लोगों को पानी नमिले, टूटियां बन्द कर दी गईं। तीन बार लाठी चार्ज भी हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अब मैं उप मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गए उनके आपने हथकड़ियें इसलिए डालीं की वे भागना चाहते थे और इसी कारण आपको हथकड़ियां लगानी पड़ी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जनतन्त्र के उपमन्त्री हैं। आप इस तरह से लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार मत करिये और जो करते हैं उनको रोकिये। बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग छींका टूटा है और आपको हुकूमत मिली है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। मन्त्री महोदय देखिए आपकी पुलिस ने वहां पर माइक्रोफोन पर एलान करते हुए श्री रामावतार बी०ए० को बाल पकड़ कर तांगे से नीचे गिरा दिया और घसीटते हुए थाने में ले गये। अनेक फोश गालियां निकालीं। क्या अधिकारियों ने कानून को हाथ में नहीं लिया? यही आपकी चुनी हुई हुकूमत है!

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हुकूमत में आप जो चाहें अन्ट-शन्ट स्टेटमेंट दे दें, यह आपका जनतन्त्र है! यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी निवेदन कर दिया है। अब अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : डी वाई. एस. पी. और कलेक्टर ने वहां पर जो अत्याचार किया है उसके लिए सारे मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाये; अगर जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं होती है तो हमें बहुत असंतोष है और इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने जयपुर में बैठ कर ही सारी हाल सुना होगा। अगर आप यहां नहीं बैठते और चूरू की स्थिति को आंखों से देखते तो इस प्रकार का गलत स्टेटमेन्ट नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री संक्षेप में जवाब देंगे। काफी समय हो गया है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस सारे मामले के सम्बन्ध में मैंने उत्तर प्रस्तुत कर दिया था सदन के सामने और मैंने यह भी निवेदन किया था कि यह प्रश्न एडजोर्नमेन्ट मोशन सारी स्थिति के सम्बन्ध में न हो कर जहां तक हैंडकफ्स का ताल्लुक था उसी से सम्बन्धित था, फिर भी माननीय सदस्य ने सम्पूर्ण परिस्थिति पर कहा। मुझे खुद को दुख है, यदि ऐसे तथ्य हैं जैसा कि माननीय मुरलीधरजी व्यास ने कहा, यदि

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार की प्रथम सूचना मुझे दी है, मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है, जहां तक व्यक्तिगत उनके साथ अभद्र व्यवहार का प्रश्न है....

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मन्त्रीजी को मैंने जेल से पत्र लिखा था।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं उसको जानकारी और जानकारी के साथ जांच करवाऊंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुरलीधरजी ने....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (व्यवधान): रहा दूसरा प्रश्न; I am in prosession of the House.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुरलीधरजी ने मुख्य मन्त्री को जेल से चिट्ठी लिखी थी, वे गृह मन्त्री हैं और आप उपगृह मन्त्री हैं, अफसोस यह है कि जो सूचना उनको भेजी गई वह आपको अभी तक नहीं मिली है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक दूसरा प्रश्न है जोधपुर का। जोधपुर का ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां कि स्थिति दूसरे ढंग की थी। श्री जैसलमेरिया, श्री व्यास और एक श्री व्यास और एक श्री बोड़ा, ऐसा कुछ नाम है ....

श्री मुरलीधर व्यास : श्री जोरावरमल बोड़ा एडवोकेट हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो ये तीन साहब कलेक्टरेट में गये। कोर्सिज़ तो ऑफिस में दाखिल हुए, जिलाधीश के कमरे में और न मालूम क्या सूझ बूझ रही उनकी कि उन्होंने वहां घोषित किया कि हमने अब जिलाधीश का काम सम्हाल लिया है। दफा ४४८ और एक सेक्शन और में; इस तरह जिलाधीश का कार्य सम्हालने के प्रश्न पर बाध्य रूप से कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री मुरलीधर व्यास : हम तो आपका काम भी सम्हाल लेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हथकड़ियों का कहा गया, जोधपुर में जिलाधीश का काम सम्हालने की घोषणा की उसके लिए उनको रोका, बाअदब रोका। मैं अब इस प्रश्न पर आना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मेरा मतलब श्री मुरलीधरजी व्यास से है, उन्होंने बहुत ढंग से, विश्लेषणात्मक ढंग से फेअर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन रखी, मैं उस डिस्टिंक्शन को पूरा करना चाहता हूं। २४ तारीख का उत्तेजना देने के आधार पर घोषणा की भारतबन्द का दिवस मनाया जावे। विषमता को रोकने के लिये १०७, ११७ लागू करके उन व्यक्तियों को जिनका सम्बन्ध इससे कहा जाता है, उनको गिरफ्तार किया गया, जो इलेक्टेड मेम्बर थे। मैं इसलिये अर्ज करना चाहता हूँ कि उस वातावरण में जिस सर्कूलर का आप संकेत देते हैं उस वक्त उन बेड़ियों का प्रयोग नहीं किया गया जब साधारण स्थिति थी। लेकिन जब उनको वाहन में बैठाया गया, और आपने कहा कि माइक पर कोई बात कही जा रही थी, उसका उनको

Page No. 20

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

अधिकार था। निश्चय ही दूसरे तथ्यों में देखा जाय तो मैं भी कहूँगा कि माइक पर बोलने का अधिकार था, पर उनको रोकना और पुलिस के अधिकार में रखने का कारण था। वह यह था कि वे माइक पर वायोलेंस प्रीच कर रहे हैं, वायोलेंस क्या प्रीच कर रहे हैं ? आगे नहीं बढ़ने दी जायगी, इनको रोक लो, इस वायोलेंस को प्रीच करने का फल यह हुआ कि भीड़ उत्तेजित हुई, वाहन को रोका गया और यहीं समाप्त, स्थिर नहीं हुई, श्री कुशालसिंह ने अन्दर से भाषण देना आरम्भ किया, भाषण भी यह कि हमको छुड़ावो, इस तरह की उत्तजेना भीड़ को दी। फिर स्वयं गाड़ी से नीचे कूद पड़े। इन सब तथ्यों के आधार पर वह माइक का भाषण महत्व रखता है जिसमें छुड़ाने को कहा। आरम्भ में हथकड़ियां नहीं लगाई गईं।

वायोलेंस प्रीच किया गया, भीड़ को उत्तेजना दी, रोंगफुली रेस्ट्रेन किया गया वाहन को। एस० पी० मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझायश की। जिलाधीश मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझायश की, पर सब निष्फल। अन्ततोगत्वा समझायश के बाद धारा १२७, १२८ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई कि आप यहां से मेहरबानी करके डिस्पर्स हो जायं। लेकिन इस आदेश के बावजूद डिस्पर्स होना तो दूर रहा पथराव शुरू हुआ जिससे २५ आदमी, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि पुलिस वाले भी घायल हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, घायल नहीं हुए हैं, जनता के आदमी भी घायल हुए हैं, वाहन में बैठे हुए एक सदस्य जिनके लिये यहां कहा जा रहा है, वे भी पथराव से घायल हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : वे पत्थर से नहीं पुलिस की लाठी से घायल हुए हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह ट्रक था जिसके लिये कहा जा रहा था, माननीय सदस्य ने कहा कि वाहन से था तो कैसे कूद पड़े, मैं निवेदन कर दूँ कि वह ट्रक था, जिसमें से कूदना बड़ा संभावनीय है।

श्री हीराभाई : ट्रक पर से कूद पड़ते तो मर जाते।

श्री निरन्जनाथ आचार्य : जब इन लोगों को ट्रक में ले जा रहे थे तो वायोलेंस प्रीच किया गया, भीड़ को उत्तेजित किया गया। भीड़ ने ट्रक को रोंगफुली रेस्ट्रेन किया। मजिस्ट्रेट ने १२७ में डिस्पर्स होने को आगाह किया तो भीड़ ने पथराव किया ! उस विषम परिस्थिति में या तो पुलिस का कर्त्तव्य होता कि वह उत्तेजित भीड़ को कह देती कि आपकी सम्पत्ति आप ले लीजिये या यह हो सकता था कि भीड़ कहीं और उन पर हमला न कर दे और कैदियों को कहीं छुड़ाकर न ले जाय। उस विषम स्थिति में और कोई दूसरा चारा पुलिस के पास नहीं हो सकता था कि बन्दियों को रोका जाय और वे सब तरीके अख्त्यार किये जायें कि जिससे वे नहीं जाने पायें और उस विषम स्थिति में किसी तरह से उनको ले जाया जाय। जैसी विषम स्थिति पैदा की गई उस आधार पर हमें खेद है पर साथ ही नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ऐसा मौका नहीं दें। इलेक्टेड मेम्बर्स की ज्यादा जिम्मेदारी है कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ऐसी विषम स्थिति वायोलेंस की पैदा न करें कि जिससे बाध्य होकर उनको हैंडकफ्ड करना पड़े।

माननीय सदस्य ने दूसरा उदाहरण दिया था तो मैंने सस्पेन्शन के आदेश दिये थे। जब पुलिस ने असाधारण स्थिति नहीं होते हुए सरपंच को हैंडकफ्ड किया था। हमें बड़ा धक्का लगा कि इलेक्टेड मेम्बर के साथ ऐसी कार्यवाही की। मैंने फौरन सस्पेन्ड किया; पर यहां तो स्थिति ही दूसरी है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर ऐसी विषम स्थिति पैदा नहीं की जाती, अगर ऐसी वायोलेंस प्रीच करने की, पथराव करने की हरकतें नहीं की जातीं, वाइन को रोंगफुली रेस्ट्रेन करने की और कूदने की हरकत नहीं की जाती, तो निश्चय ही हैंडकफ्ड करने के मामले में आपकी भावनाओं का आदर करते हुए हमारी भावनाएं भी उभरतीं, हम स्वयं उनको सस्पेन्ड करते; लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है।

दूसरा प्रश्न मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे मामले की पृष्ठभूमि को देखें। माननीय सदस्य ने कहा कि उनको सस्पेन्ड करें, डी० एम० और एस० पी० के खिलाफ कार्यवाही करें, पर इन तथ्यों के आधार पर कहां तक वह उचित हो सकता है ? इस पर सदन शान्त मन से सोचे। उस पथराव और वायोलेंस के दौरान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप महरबानी कर के चले जाइये लेकिन पथराव शुरू हुआ और पथराव चलता रहा, जैसा कि मैंने अर्ज किया भीड़ ने हमला किया। हमला करने के बाद १० आदमियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, धारा १४७, ३५२ ऐसे तीन-चार ऑफेन्सेज़ में। तीन-चार आदमियों को स्पोट पर गिरफ्तार किया गया। वह किया गया, ७ आदमी बाद में गिरफ्तार हुए। वह मुकदमा अदालत के सामने है। ये प्रश्न डिफेन्स में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, अदालत के सामने ये सारे प्रश्न रखे जा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से या एस० पी० की ओर से कोई ज्यादती की गई, या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की गई। ये सारे तथ्य मजिस्ट्रेट के सामने डिफेंस के तौर पर दिए जा सकते हैं और ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मजिस्ट्रेट का इस संबंध में कोई स्ट्रिक्चर पास हुआ कि हमारी तरफ से ज्यादती हुई है तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं उन स्ट्रिक्चर्स के आधार पर कार्यवाही करने में हम नहीं चूकेंगे। ऐसी हालत में मैंने जो तथ्य दिए और आपने जो स्थगन प्रस्ताव रखा उसके विपरीत आपने सारी स्टोरी पर प्रकाश डाला, इसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। यद्यपि मुझे पूर्व सूचना नहीं थी फिर भी मैंने निष्पक्षता से तथ्य रखे हैं और मैं आशा करता हूं कि इससे सदन को विश्वास हो जायेगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि बाकी क्या रह गया!

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे तो सिर्फ....

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई बहस नहीं होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम लिया, वह थे नहीं और दूसरी बात....

श्री अध्यक्ष : सवा घंटा हो गया, इस पर बहस करते हुए....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट भी नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक मिनट भी दे दें तो सफाई हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : कोई सफाई इस तरह से नहीं हो सकती । माननीय सदस्य दो बार बोल चुके हैं । कब तक यह क्रम चलेगा ? माननीय सदस्य कुछ सहयोग करें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक मिनट के लिए अर्ज करना चाहता हूं । सिर्फ यह बात जानना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष : मनानीय सदस्य ! यह बहुत गलत है ।

श्री मुरलीधर व्यास : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या....

श्री अध्यक्ष : आप पहले पूछ लेते सारी बात ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सारे तथ्य गलत थे ।

श्री अध्यक्ष : गलत और सही का निराकरण नहीं हो सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे एक ही बात पूछनी है ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट भी मैं ज्यादा देने को तैयार नहीं हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई मुकदमा अदालत में नहीं है । पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स कहां से आएंगे ? ११७-१०७ का मुकदमा वापस ले लिया है ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जायेंगे तो इस तरह से बहस कभी खत्म नहीं होगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्होंने कहा पुलिस ऑफिसर....

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य सहयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में इस तरह से बहस शुरू करने नहीं दी जाएगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर आप यह कहें तो मैं भविष्य में समय नहीं दूंगा, यह आपकी तरफ से थ्रेट है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी तरफ यह थ्रेट दिया जाय कि आप बहस करने नहीं देंगे, क्या यह हमारा राइट नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था होनी चाहिए ?

श्री मुरलीधर व्यास : व्यवस्था दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था को कहां मान रहे हैं ? सवा घन्टे से ज्यादा हो गया। ८-१० माननीय सदस्य बोल चुके। एक बार नहीं दो-दो बार।

श्री मुरलीधर व्यास : आप धमकी दे रहे हैं अपने पद से ?

श्री अध्यक्ष : इसलिए देता हूं कि माननीय सदस्य सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इस तरीके से धमकी क्यों देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बात को तोड़-मरोड़ कर रख रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जिस तरह से समझाते हैं उसी तरह से....

श्री अध्यक्ष : आप सारी बात को गलत समझ रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप दो मिनट भी कहने का मौका नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : नहीं दे सकता। फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सहयोग दें तो सदन की कार्यवाही चल सकती है। इतना समय भी मामले की गंभीरता को समझ कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : दोनों पक्षों को मौका न दें तो वस्तु-स्थिति कैसे मालूम पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट का सवाल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन...

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर बिल्कुल चर्चा नहीं हो सकती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपका ध्यान....

श्री अध्यक्ष : अब आगे का प्रश्न लिया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। आपने जानकारी जिस मुकदमे की दी....

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न समाप्त हो गया। विधायी कार्य।

श्री भीखाभाई।

(१२. ८ म. प.)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श)

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर वन विभाग....

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : चाहे मंत्री भी हों उनको भी नहीं बोलने दिया जायगा ।

श्री भीखाभाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पंचायत लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । कुछ संशोधनों की सूचना आई है ।

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद),

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर),

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर),

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर),

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़),

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द),

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा),

श्री छत्रसिंह (आहोर),

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा),

श्री अमरसिंह (दूदू),

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई),

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०),

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़)'

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०),

श्री केदारनाथ (गंगानगर),

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा),

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर),

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु०),

श्री चौसरसिंह बावेल (बैगूं)

व

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १६६४ को तीन माह के लिए/एक माह के लिए/तीन माह के लिए/एक माह के लिये/तीन माह के लिए/ एक माह के लिये तीन माह के लिए /३० अक्टूबर, १६६४ तक/तीन माह के लिये/ एक माह के लिये/दो माह के लिये/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।"

(२) श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर),

श्री गंगासिंह

श्री मानसिंह मेहार (आमेर),

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर),

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई),

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) :

(कुछ माननीय सदस्य)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुनः एक नवीन प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में। तीन मास की समाप्ति होने से पहले। तीन दिन में। तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।]

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of order. हमें हिंदी अनुवाद आज ही मिला है जो कि नियमानुसार २४ घंटे पहले ही मिलना चाहिए। पहले एक point of order उठाया गया था और आसन से व्यवस्था हुई थी कि भविष्य में समय से पूर्व अर्थात् २४ घन्टे पूर्व ही अनुवाद मिलना चाहिये। जब ऐसी व्यवस्था आसन से हो चुकी है तो उसव्यवस्था के विरुद्ध इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को संभवतया मालूम नहीं है कि किन परिस्थितियों में यह आज रखा गया। इसलिए अगर थोड़ी सी माननीय सदस्यों को असुविधा भी हो तो भी आज विचार किया जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री भैरोंसिंह : मैं सरकारी पक्ष से जानना चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में सरकार की ओर से कोई भी संशोधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं क्या? यदि पहले मालूम हो जाय तो अच्छा है। वरना जिस समय अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किये जाएंगे फिर वाद-विवाद शुरू हो जायगा। इसलिए मंत्री महोदय पहले बताएं कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी कोई संशोधन करना चाहते हैं या रिपोर्ट जैसे पेश हुई है उसीके पक्ष में सरकारी रुख है और सरकार उसी रूप में पारित करना चाहती है।

श्री भीखाभाई : सिलेक्ट कमेटी से जो सिफारिशें आई हैं उन्हीं के अनुसार आगे विचार किया जा सकता है। हाउस का ट्रेंड देखने के बाद ही....

श्री भैरोंसिंह : अभी तक तो कोई निर्णय नहीं किया है ना ?

श्री भीखाभाई : अभी कैसे कह सकते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिल प्रवर समिति से होकर अब सदन के सामने आया है। मेरा इस पर प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। ये संशोधन बारबार सदन के सामने आते हैं उनका भी एक बैकग्राउंड होता है। जब पंचायत कानून लागू किया गया और उस वक्त जो पंचायत कानून बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आईं उनको देखने के बाद सादिकअली कमेटी बिठाई गई और उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ा और टर्म बढ़ाना पड़ा। इंतजार करने के बाद रिपोर्ट आई और उसके बाद यहां पर यह संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया। इस कानून के लागू

Page No. 26

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

होने के बाद आज क्या स्थिति हुई है, क्या अनुभव हैं उनके बारे में कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और अब कुछ संशोधन आने वाले हैं। आज चुनाव जो लड़ेंगे या चुनाव समितियों में जावेंगे वे स्वयम् भी नहीं जानते कि क्या संशोधन उस कमेटी की रोशनी में आने वाले हैं। निश्चित कानून नहीं है जिसकी सरकार घोषणा करे। रिपोर्ट दे दी है उस रिपोर्ट का सरकार क्या करती है, यह भी निश्चित नहीं है। उसको सरकार एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, यह भी निश्चित नहीं है। सारी जनता और पंचायत वाले जानना चाहते हैं। बताया यह जाता है कि चुनावों में यह संशोधन करना चाहते हैं। जब चुनाव हो जावेंगे और उसके बाद रिपोर्ट की छाया में आप संशोधन लावेंगे तो चुनाव किस नारे के अनुसार हो रहे हैं और किस कानून के मातहत हो रहे हैं? सरकार लोगों के गले पर क्यों तलवार लटका रही है। उसमें फिर संशोधन हो जायगा। इसलिए इसको एक सम्पूर्ण कानून की दृष्टि से ही पास करना चाहिये और उसमें सम्पूर्ण ढंग से ही व्यवस्था करनी चाहिये। हम यह कह दें कि कोई बड़ा कानून है और उसमें हम संशोधन करते रहेंगे और कमेटी पहले डिक्लेयर करते हैं, यह मेरे ख्याल से गलत होगा।

मैं अपने अनुभवों की बात सरकार को बताना चाहता हूं। जिस प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद् का संगठन किया गया उस सम्बन्ध में जो अनुभव हुए हैं वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस के नाम पर उसके सिद्धान्तों के आधार पर पंचायती राज कायम हुआ। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा कि जिला परिषद् और पंचायत समिति को हटा देना चाहिये। पंचायत को ही एक युनिट रखना चाहिये। किसी भी देश में चाहे वह अमेरिका हो या इंग्लैंड, वहां पर भी स्वायत्त शासन का अधिकार होगा, वहां भी ऐसा नहीं होता है कि थ्री टायर गवर्नमेन्ट बना दी गयी हो। जनतन्त्र के अन्दर गुण की अधिकता होनी चाहिये, बहुतायत होनी चाहिये लेकिन यदि अवगुणों की बहुतायत हो जाय तो वह जनतन्त्र वीक होता चला जाता है। ऐसी हालत में यह स्थिति चली। उसको लेकर देश गुजर रहा था, थ्री टायर गवर्नमेन्ट बना दी गई, जिला परिषद्, पंचायत समिति और पंचायत। सारे कार्यक्रम हैं उनका अम्बार लगा कर गांवों तक पहुंचने की कोशिश की। यदि राजस्थान में आप व्यवहारिक आधार पर इसको निश्चित कर दें तो इससे सारे देश को रोशनी मिलेगी। पंचायत एक युनिट होगी और पंचायत समिति और जिला परिषद् की जो मशीनरी है उस युनिट को चलायेंगी। मैं समझता हूं कि यह विचार करने योग्य बात है। गाड़ी की लकीर पर चले गये हैं, आगे उसी पर चलते रहने के बजाय जिस ढंग से देश की आज स्थिति है, जिस परिस्थिति में से आज देश निकल रहा है, आज हमारी पंचवर्षीय योजनायें क्यों फेल हुई हैं और जिन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों में से आज देश गुजर रहा है, जो वातावरण आज पंचायतों में हैं उन सबको देखते हुए हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा, हम बार-बार घोषणा करते रहते हैं कि हम अन्न की स्थिति से निकल जावेंगे लेकिन जहां पर

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

पंचायतें ही कमजोर हों और उनके ऊपर पंचायत समिति और जिला परिषद् इस प्रकार की स्थिति पैदा करती हो, श्री टॉयर गवर्नमेन्ट जहां खड़ी कर रखी हो और लम्बी मशीनरी पंचायत समितियों और जिला परिषदों में खड़ी कर रखी हो और फिर भी हमारी पच-वर्षीय योजनायें सफल न हों, पहले सरकार में देरी होती है, फिर जिला परिषद् में और उसके बाद पंचायत समिति में और फिर जाकर पंचायत में पहुंचे और फिर पंचायत वाले उसको किस प्रकार एक्ज़ीक्यूट करें, मैं समझता हूँ कि आप सब ही इस स्थिति से अवगत हैं कि यहां तक पहुंचते २ क्या स्थिति बन जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पंचायतों पर सीधा ही गवर्नमेन्ट का डाइरेक्ट कन्ट्रोल और डाइरेक्शन हो। पंचायतों के अन्दर कार्य सरकार खुद अपनी मशीनरी के द्वारा कराये। दस साल निकल जावेंगे, पन्द्रह साल निकल जावेंगे फिर भी यदि यही स्थिति रही तो समस्या बनी रहेगी। आज १७-१८ साल हो गये देश को आजाद हुए लेकिन फिर भी हमारे लिए अन्न की समस्या भयंकर रूप से बनी हुई है। इतना धन और इतना परिश्रम लगने के बाद भी आज यह स्थिति क्यों बनी हुई है ? इसका एक ही कारण है कि हमने नीचे की यूनिट को सबल नहीं बनाया है। जो मशीनरी आपने क्रीयेट की है वह इस प्रकार कर दी है कि वह मशीनरी पंचायतों तक नहीं पहुंचती और उसका सम्बन्ध पंचायत समितियों और जिला परिषदों तक ही सीमित रह जाता है, उन पंचायतों के लोगों को ज्ञान ही नहीं मिलता, उनको मालूम नहीं होता। गांधीजी की कल्पना ग्राम राज्य की थी वह जिला परिषद् और पंचायत समिति की नहीं थी। इस प्रकार बन्धन की नहीं थी। उनकी कल्पना यह थी कि देश में पंचायतें होंगी और अधिक से अधिक स्वायत्त शासन मिल सकेगा, वे अपनी व्यवस्था खुद करेंगी न कि उनको ऐसी जन्त्री में से निकाला जायगा कि ग्राम पंचायतें काम करेंगी तो गुलामों की गुलाम होंगी। उनकी कोई ताकत नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह एक मौलिक बात है। जब सरकार जिम्मेदारी के साथ पंचायतों को चलाये, उनको स्वावलम्बी बना दे तब समितियों को रखिये, और जब समितियों में कॉन्शियस पैदा हो जाय तब जिला परिषद् रखिये। इस तरह से स्थायी नहीं होनी चाहिये। आज स्थिति क्या हो रही है ? आज जो प्रोग्राम बनते हैं उसकी स्थिति क्या बनती है ? वे ही फायदा उठा रहे हैं और प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुँचते। मैं अपने अनुभव के आधार पर दावे से कह सकता हूं कि बड़े-बड़े साहब, जिला परिषद् के प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान और बड़े-बड़े सरपंच मालदार हैं, उन पर कर्जे का लाखों रुपया है। आप यह कह सकते हैं कि इलेक्टेड बॉडी है। उसने दे दिया हम क्या करें ? आप इस तरह मत शक करिये। जिस महत्व से सरकार को रुपया लगाना चाहिये वह नहीं है। आज देश बड़ी भारी तकलीफ में है। यदि सही रूप में रुपया लगे तो हम देश को आज की परिस्थिति से निकाल सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। इलेक्टेड बॉडीज़ के अलावा मैं यह मानता हूं कि जहां-जहां ब्लॉक के आदमी हैं जो नाम

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

से दे रुपया; इससे आप पूछ सकेंगे कि किनको रुपया दिया ?

लेकिन आप उनसे नहीं पूछ सकते । आपके ब्लेक वाले बच जाते हैं। वहां तो खुशामद करते हैं आप पैसे वालों की। मैं कहता हूं पैसे वालों ने ही आपका रुपया लेकर फायदा उठाया है। गरीबों को तो कुछ नहीं मिला है। उल्टे जो मिला वह भी २०-३० परसेन्ट कट कर मिला है। इतना माहदा आपने बीच में बिठा दिया है कि १०० (के ८०) मिलते हैं। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते। कह सकते हैं आप सुबूत के लिये। मैं कहता हूं सुबूत तो उस बात का हो जो एक आध जगह होता हो, यह तो सारी जगह है। सारे राजस्थान में यह छाया हुआ है। इसमें सुबूत की क्या जरूरत है ? आप भी जानते हैं। हम भी जानते हैं। सब जानते हैं।

मेरी यह मान्यता है कि आप अनुभवों के सच्चे आधार पर संशोधन नहीं लाते। पैसा, सुविधा अपने अपने को फायदा और दूसरी दूसरी चीजों से प्रभावित होकर आप संशोधन लाते हैं, प्योरली जनहित की दृष्टि से आप कोई चीज नहीं लाते और फिर आप चुनाव कराते हैं या दूसरे काम करते हैं तो वे सारे गलत होंगे। इसलिये अगर आप सही कानून, सही बात, सही जनहित की बात लाना चाहते हैं तो इस में आमूल परिवर्तन करना होगा।

जैसा मैंने कहा पंचायतों के पंच सरपचों के हाथ में आप पैसे का हिसाब मत दीजिये। आपकी काफी मशीनरी है, उसको दीजिये। आज क्या होता है पैसे के वितरण का हिसाब किताब रखने करने का मामला पंच, उप-सरपंच आदि को दिया जाता है। फिर क्या होता है जरा सी कोई उसमें गलती हुई तो गलतियों को छिपा कर चैक कर के रख लिया जाता है और उसको आतंक का जरिया बना कर उसके बल पर पंचायत समिति के प्रधान और जिला समिति के प्रमुख तक को डरा धमका कर गुलाम बना कर रखते हैं कि यह गलती तुम्हारे गले में फन्दा है। कानूनी गलती हिसाब-किताब रखने में वाउचर रखने में हो गई तो गले में फन्दा बना कर डाल देते हैं और अपनी मरजी माफिक चलाते हैं, जहां खिलाफ जाने की बात करता है तो फन्दा याद दिला देते हैं कि इन गलतियों की सजा मिलेगी, जेल जाओगे, हथकड़ी-बेड़ी पड़ेगी। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कहता हूं। कांग्रेस के वोट और दूसरे चुनावों में वही कागज पेपर सामने आ जाते हैं और उनके बल पर वोट लिये जाते हैं और उनमें कितने ही बेईमान कोई हों, हां में हां अगर मिलाते हैं, हाथ उठा देते हैं, उनके साथ तो वे कितनी ही इस तरह कि गलतियां करें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, पर जो ईमानदार हैं और ईमानदारी से समिति और जिला परिषद् में काम करना चाहते हैं तो उनको सस्पेन्शन, जेल, पुलिस सभी दिखाने को कोशिश की जाती है और इस तरह से उनको गुलाम बना कर रखा जाता है। मैं चाहता हूं कि इस गुलामी की जंजीरों से इनको मुक्त किया जाय इसकी दो तरकीबें हैं।

(१) तो यह कि इलेक्टेड आदमी कभी भी पैसे से डील नहीं करेगा। सरपंच हो,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पंच हो, समिति का प्रधान हो, परिषद् का प्रमुख हो उनमें से किसी के हाथ में पैसा नहीं जाने दिया जावेगा। उस पैसे से डील करने के लिये आपकी मशीनरी काम आनी चाहिये। आपने वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट कर रखा है। स्कूल मास्टर है, पढ़ा-लिखा है, पूरा हिसाब किताब रख सकता है, उसे आप यह काम दीजिये और इसके एवज में आप उसको दस बीस रुपया माहवार दे सकते हैं। पुलिस, एक्साइज़, एजूकेशन, समाज-कल्याण इस तरह की आपने बहुत फौज इकट्ठी कर रखी है। इनमें से किसी को आप काम दीजिये यह। आपने तो उस को मल्टीफेरियस बना रखा है। काम हिसाब-किताब का इनको दो आप और वे सरपंच प्रधान आदि के हुकम से काम किया करें। उसका हुकम चले, पैसे का हिसाब नहीं।

आप अनाज के कन्ट्रोल ऑर्डर को लागू करने के लिये उसकी देखभाल के लिये एन्फोर्समेन्ट बना रहे हैं, क्यों नहीं यह काम आप पुलिस को दे देते हैं, पुलिस क्या करेगी, पुलिस के जवानों का अमला बढ़ाकर आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : पंचायती राज विधेयक पर आप बोलें। सामान्य भाषण नहीं दें। क्यों इसे प्रवर समिति में भेजा जावे इसी तक सीमित रहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो हिसाब-किताब आप उनसे रखवाइये।

एक बात और कहना चाहता हूँ। आज दस-दस आदमी एक पंचायत में हैं तो तीस पंचायतें एक समिति में है तो ३०० सरपंच मिलकर इलक्ट्रोरल कॉलेज हुए। वे प्रेसीडेन्ट को चुनें और तीस जो सरपंच हैं वे और एम० डल० ए० उसमें बैठेंगे और उसको तीन साल तक काम चलाना पड़ेगा। तो चुनने वाला कोई, और कमेटी में काम करने वाला कोई और इसके बाद मेजोरिटी रखनी है। अजीब बात है। एक अजीब तरह की कल्पना है यह इस पंचायती राज में। २७० आदमी जिसको चुनें वह तो प्रधान और ३० आदमी कमेटी के मेम्बर, प्रधान प्रेसीडेन्ट एक तरफ और चुने जाने वाले एक तरफ। इसके लिये मैं यह सुझाव दूँगा कि इस पर गौर किया जावे। इसे व्यवहारिक बनाया जावे। अनुभव है सरकार को सन् १९३५ का। ३५ में पहली सरकार कांग्रेस की बनी। तब लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की मिनिस्टर थीं विजयलक्ष्मी पण्डित यू० पी० में। कहा गया कि डाइरेक्ट वोटों से म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसीडेन्ट को चुना जावेगा और वार्ड से मेम्बर चुने जावेंगे। इसका अनुभव यह आया कि दूसरी दफा यह तरीका बदल दिया गया। तो हमें यू० पी. का यह सबक लेना चाहिये जिस का एक्सपेरीमेन्ट उस समय ही कांग्रेस सरकार कर चुकी। इसी तरह का एक्सपेरीमेन्ट फिर यहां करना यह राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ करना है। इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। ये करप्शन आदि की मोरियां आपने खोली हैं, उनको बन्द करना होगा। यह बड़ों-बड़ों को पैसा देना, गरीबों को दो तो तीस परसेन्ट से भी अधिक काट कर देना ठीक नहीं है। आज अगर इनसे फायदा किसी को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मिला है तो बड़े-बड़े किसानों को मिला है, गरीब को नहीं मिला है। यह बात मैं कह सकता हूं क्योंकि वह गरीब कानूनी चक्कर नहीं जानता।

यह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है। पर आपने इस इम्पोर्टेन्स को यह मान्यता दी है कि पहले जहां यह हरिभाऊजी के पास था, अब भीखाभाई के पास आ गया। तो यह इसका डिटीरियोरेशन हुआ है। इसकी रैमिडी करनी चाहिये। अब और अमेन्डमेन्ट पर बोलूंगा। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का जो विकेन्द्रित रूप हमारे सामने आया उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो हमारे आज सामुदायिक विकास के कार्यक्रम हैं उनको इस तरह का जन-सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उसमें प्रगति लाने के लिए उनको अधिकाधिक गांवों के हाथ में दिया जाये और उनके जरिये से योजनाओं को कार्यान्वित कराई जायें। पिछले पंचायत समितियों के चुनावों के बाद इस सदन ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि इस काम में पंचायती राज असफल रहा है और पंचायती राज को और सशक्त बनाने के लिए गांवों को सही रूप में इकाई बना सकें और ग्रामराज की कल्पना सरकार हो सके उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन लाने चाहिये इस सदन की भावना का आदर करते हुए उस कमेटी को बैठाया गया जो कि पंचायत राज अध्ययन दल है और उस पंचायती राज अध्ययन दल ने एक रिपोर्ट दी और अच्छा तो यह होता जैसा मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा था कि उसमें एक कॉम्प्रीहेन्सिव बिल लाया जाता और तब इस रोशनी में कि पंचायतों का क्या अध्ययन है और क्या उनका संबंध है उसको ध्यान में रखते हुये इस चुनाव के कानून पर भी विचार किया जा सकता होता, लेकिन यह नहीं किया गया और यह स्वयं में एक मूलभूत गलती है। जैसा मैं मानता हूं कि सरकार अभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूक नहीं है और हमारे गांव की भाषा में घास काटने की नीयत से इस काम को करना चाहती है। यह एक चुनाव का कानून लाये हैं और उसको भी पंगु बनाकर लाये हैं। जिस उद्देश्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है वह कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए मैंने जो जनमत को प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये। मैं यह मानते हुए भी और इस पक्ष में होते हुए भी कि पंचायतों के चुनाव ओवरड्यू हो चुके हैं और उनको अब तक कभी का कराया जाना चाहिए था, यद्यपि मैं मानता हूं कि सरकार एक न एक बहाने से इन चुनावों को टालती रहती है और आगे भी टालेगी और न वह नवम्बर में करेगी और न वह फरवरी में करेगी इस

(श्री नत्थीसिंह)

लिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाता और जो लोग इससे सीधे प्रभावित होते हैं उनकी राय भी जानी होती और जब इसमें संशोधन किये जाते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस काम को नहीं किया है जिसको मैं चाहता हूं। इसलिए इस कानून को निश्चित रूप से ग्रामीणजनों तक पहुंचाकर उनकी राय जाननी चाहिए।

जो चुनावों के संबंध में हमारे सामने यह कानून उपस्थित हुआ है सदन में पिछले दिनों भी जब यह सदन पहले पहल मिला तो सब की एक आवाज गूंजी और वह आवाज यह थी कि इन पंचायती राज संस्थाओं में जो सहवरण की प्रथा है वह एकदम गलत है और कोऑप्शन एक तरह से करप्शन को बढ़ावा देना है और इससे फूट के लक्षण पैदा होते हैं। इस बात को मानते हुए हम देखते हैं कि कोऑप्शन के नाम से जो नया बिल सामने आया है उसमें केवल दो सहवरण सदस्यों को हटाया गया है जिनको अनुभव के नाम से पंचायत समितियों में लिया जाता था, उनको दूर कर दिया गया है बाकी कोऑप्शन की प्रणाली ज्यों की त्यों मौजूद है।

अध्ययन दल की रिपोर्ट है उसमें एक बात बड़ी अजीब कही गई है और वह कोऑप्शन के संबंध में कही गयी है कि जो पंचायतों में सहवरण की प्रणाली है उसके संबंध में उन्हें कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। मैं समझता हूं कि या तो अध्ययन दल के द्वारा कोई इस संबंध में अध्ययन नहीं किया गया या फिर उन्होंने कोई जानकारी प्राप्त नहीं की....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): सब के पास क्वेश्चनेअर भेजा गया था लम्बा-चौड़ा।

श्री नत्थीसिंह : इस सदन में इस बात को उठाया गया था कि पंचायतों में जो सहवरण हो रहे हैं उनमें सरपंच लोग आम तौर पर पर्चों खारिज करके मनमाने रूप से मसले को ले लेते हैं। सदन में इस बात को कई बार कहा गया और यह आम जानकारी की बात है और फिर यह कह देना कि पंचायतों में सहवरण की कोई समस्या ही नहीं है, पूर्णत: गलत है। इसलिये मैं कहता हूँ कि पंचायतों में सहवरण के मामले में जो धांधली होती है उसका असर प्रधानों के चुनावों पर पड़ने वाला है। यह सहवरण की प्रथा ही गलत है। कोऑप्शन का नया नया आइडिया हमारे कांग्रेस के संविधान की देन है। पहले पहल ढेबर भाई के जमाने में सहवरण को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। मैं कहता हूं कि सहवरण की यह प्रणाली पूर्णतया दूषित प्रणाली है और इसको एकदम समाप्त कर दिया जाना चाहिए तभी हमारा पंचायती राज सफल हो सकता है। एक बात जो सहवरण के पक्ष में आ सकती है वह यह है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, जिनको आज की प्रणाली में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उसका एक मात्र तरीका सहवरण ही है। मैं इससे कतई इत्तफाक

(श्री नत्थीसिंह)

नहीं करता। सहवरण के बजाय जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको निश्चत रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मैं इसका हामी हूँ। जो प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए उसका हामी हूं लेकिन वह कोऑप्शन के जरिये नहीं बल्कि हमें इस प्रणाली को खत्म करना होगा और इस प्रणाली को अपनाना होगा कि हमारी जितनी पंचायतें हैं उनमें हम इस तरह के क्षेत्र निर्धारित कर दें कि इन इन जगहों में से वे लोग आयेंगे जो कि समाज के वीकर सेक्शन हैं। इसके विषय में अध्ययन दल ने भी विचार किया है और अध्ययन दल ने अपना तर्क भी दिया है कि यह प्रणाली इसलिए ठीक नहीं है कि इससे ज्यादा खर्च बढ़ जायगा और सबसे बड़ी बात यह कही है कि जातिवाद प्रथा को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि उसने यह बात कैसे कह दी। आज हम देखते हैं कि कोऑप्शन के जरिये जो दलित वर्ग के लोग आते हैं वह पैरासाइट होते हैं, दूसरे की दया पर निर्भर करने वाले होते हैं और उनका विकसित व्यक्तित्व नहीं होता है। इसलिए हम उनकी सीटें रिजर्व कर दें और सुरक्षित क्षेत्र कर दें जहां से वह जनता में से चुनकर आयेंगे और जब ऐसे लोग वहां पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व विकसित होगा और सही रूप में अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और आजकी सी स्थिति नहीं होगी। इसलिए यह कहना कि कोऑप्शन ही एक अच्छी प्रणाली है, गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रणाली जिसको आप छोड़ते चले जा रहे हैं यह वीकर सेक्शन को उठाने की प्रणाली हमारे म्युनिसिपैलिटी के कानून में भी है और उसमें इसको बदला गया है और इस प्रणाली को जो कि सहवरण की है इसको एक दोषपूर्ण प्रणाली मानी गई है। मैं समझता हूँ कि जब हमारे भारत के संविधान में भी सुरक्षित स्थानों के लिए नियम बनाया गया है, हमारी विधान सभा में भी जब इस प्रकार का नियम बनाया गया है और हमारे यहां की पार्लियामेन्ट में भी इस वर्ग के लोगों को सुरक्षित स्थान दिये गये हैं जहां से वे चुनकर आते हैं और बैठते हैं तो इनका जो स्टेटस होता है वह उन सहवरण किये हुए सदस्यों से कहीं ऊंचा होता है। अगर कोऑप्शन के बल पर वह आते तो किसी भी हालत में वह काम नहीं कर सकते थे जो कि आज यहां काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि यह सहवरण की प्रणाली दूषित है, इसको अलग कर देना चाहिए। समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, शोषित वर्ग है उनके लिए सुरक्षित स्थान रखना चाहिए। परन्तु यह वर्ग सीधे जनता में से चुनकर आना चाहिए। एक दूसरी प्रथा कोऑप्शन की और है जिसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें स्थाई समितियों में कोऑप्शन की प्रणाली और रखी गई है और जो प्रणाली थी उससे ज्यादा बदतर रूप में रखी गई है। आज तक तो यह कहा गया है कि जो स्थाई समितियों में कोऑप्शन है उसमें पंचायत समितियों को अधिकार है कि अगर वह उचित समझें कि स्थाई समिति में कोई आदमी लेना है तो वह कोऑप्ट करके ले आयें

Page No. 33

(श्री नत्थीसिंह)

जो कहा गया है इस कानून में कि ५ आदमी हर स्थायी समिति में पंचायत समिति के सदस्य होंगे और दो आदमी पंचायत समिति के सदस्यों के बाहर के भी लोग जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनको सहवरित किया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों में इस क्षेत्र का अनुभव है उन लोगों को आखिर किस समझ से यह कह दें कि विशेषज्ञ स्थायी समिति में आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसी एक प्रणाली कृषि-निपुण के लिए भी अपनाई गई थी। अध्ययन करने वालों ने यह माना है कि इसका कोई महत्व नहीं है। किसी को भी कृषि-निपुण के नाम से लिया जा सकता है। वही स्थिति स्थायी समितियों में सहवरित सदस्यों के उपर लागू होती है। शिक्षा समिति में सहवरित किया जायगा तो कौनसा शिक्षा विशेषज्ञ सहवरित किया गया है अभी तक ? पार्टी बाजी के आधार पर ज्ञानशून्य मामूली पढ़े लिखे लोगों को कर लिया जाता है। राजनैतिक रूप से उन लोगों को किसी तरह से प्रश्रय देते हैं। ऐसे ही लोगों को स्थायी समितियों में लिया जायेगा तो मेरी मान्यता है कि स्थाई समितियों में जो कोऑप्शन का प्रावधान रखा गया है यह एकदम विलोपित कर दिया जाना चाहिए। कोऑप्शन की प्रणाली बेकार प्रणाली है। इससे कोई अच्छा आदमी नहीं आ पाता है। पंचायत समिति के प्रधान हैं उनको किसी अपने हित के दृष्टिकोण से कोऑप्ट करते हैं। इस बात को सही ढंग से चलाया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव के विषय में जो परिवर्तन किया गया है-- पंचायतों के चुनावों में कोई परिवर्तन नहीं है; लेकिन पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव के बारे में परिवर्तन किया गया। जब यह कमेटी बनी थी और हम लोगों ने यह मांग की थी कि प्रधान के चुनाव में परिवर्तन आना चाहिये। वह कारण क्या थे ? जिन कारणों को सदन ने महसूस किया था उनको हमको देखना पड़ेगा कि क्या वे कारण आज दूर हो चुके हैं जो कि सर्क्यूलेट किये गये है ? सबसे बड़ा कारण यह था कि जो सरपंच होते हैं उनकी संख्या कम होती हैं और लोग उनको लेकर भाग जाते हैं। कोई हरिद्वार ले जाता है और कोई बन्दीगृह में उनको डाल देते हैं। इस तरह से सही रूप से चुनकर लोग नहीं आ सकते हैं। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की मांग की गई थी कि इस बात को ठीक किया जाय ताकि जनता के सही नुमायन्दे पंचायत समितियों में आ सकें, और उसके लिए अब यहां पर क्या किया गया है ? यह मैं मानता हूँ कि जो पहले प्रणाली थी उससे कुछ इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा बन गया है। सरपंचों के साथ-साथ पंचों को भी अधिकार दिया है कि वे भी प्रधान के चुनाव में मतदाता होंगे; लेकिन उनको भी लोग भगा ले जायेंगे उस बुराई को कैसे दूर कर दिया है, जिस बुराई के खतरे से यह मांग की गई थी कि प्रधान के चुनाव की प्रणाली में संशोधन किया जाय। मैं कहता हूं कि वह बुराई आज उससे ज्यादा द्विगुणित रूप में सामने आयगी। आज

(श्री नत्थीसिंह)

३० में से १६ आदमियों को प्रलोभन देने से काम चलता है तो जो पैसे वाला आदमी होगा वह १५० में से ८०-९० आदमियों को लेकर भागने की कोशिश करेगा। उससे खर्चा बढ़ जायगा और उसके बावजूद वही बात रहेगी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो दूसरा प्रावधान रखा गया है वह प्रावधान यह रखा गया है कि प्रधान के लिए खड़ा कौन हो सकता है? प्रधान के लिए खड़ा करने के लिए प्रावधान यह रखा गया है कि प्रधान के लिए वह आदमी खड़ा हो सकता है जो कि किसी ग्राम पंचायत का मतदाता हो। एक तरफ तो इस सिद्धान्त को मानते हैं मतदता हो, एक ग्राम पंचायत का मतदाता है उसको प्रधान का चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसको जरूरत नहीं है इस बात की कि वह पंचायत समिति का सदस्य बने। उसको जरूरत नहीं है कि पंचायत समिति में चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बना है उसका सदस्य बने। एक तरफ तो यह सिद्धान्त मानते हैं और दूसरी तरफ इस सिद्धान्त को क्यों नहीं मानते हैं? जब आप जनता के बीच में से प्रधान का चुनाव करवाना चाहते हैं और जनता के हर मतदाता को अधिकार देना चाहते हैं तो ऐसी कौनसी बात है कि आप यह परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं कि प्रधान का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, और जनता के बीच में से उसका चुनाव हो तो सही रूप में नुमायन्दे चुनकर आयें और तब सब गड़बड़ दूर हो सकती है। जब भ्रष्टाचार होगा तो उनकी तबियत के आदमी वहां आयेंगे। अगर यह नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सहवरण सदस्यता का विरोध क्यों होता था वह सहवरण केवल नाम का सहवरण होता है। उसका विरोध इसलिए होता था कि जो लोग सरपंच बनकर नहीं आ सकते हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं उनको प्रधान बनाने के लिए पिछले दरवाजे से लाया जाता है। आप जनता के द्वारा चुनाव नहीं कराना चाहते हैं बालिग-मताधिकार के रूप में अधिकार नहीं देना चाहते हैं। प्रधान के लिए कोई भी आदमी खड़ा हो जाय। जो संशोधन किया है वह बुराई को दूर करने के लिए है, और आप अगर उस मामले में गम्भीर हैं और सही रूप से चाहते हैं तो निश्चित रूप से बालिग-मताधिकार की जो प्रणाली है उसको अपनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि एक-एक क्षेत्र में १०-१० आदमी प्रधान के चुनाव के लिए खड़े होंगे तो छोटे-छोटे तबको में वोट बंटकर अल्पमत वाले प्रधान के पद पर बैठ जायेंगे। बाकी के ९ मिल जायेंगे और अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे और पंच और सरपंचों के बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा। इससे पंचायत समिति की व्यवस्था समाप्त हो जायगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी मायने में इस तरह की प्रणाली रख रहे है वह सही नहीं है। मैं यह मानता हूं कि आप यह रखें कि प्रधान का चुनाव जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसमें से ही हो सकता है, मैं मानता हूं कि आपका इरादा यह नही था कि उसको हटाकर इस तरह की चुनाव प्रणाली लागू करना चाहें मैं साफ

(श्री नरथीसिंह)

कहूंगा कि आपने यह बात मानकर एक गलत प्रणाली अख्त्यार की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो और बातें बताना चाहता हूं कि आपने अधिकार खड़े होने का दिया तो अध्ययन दल की जो रिपोर्ट है उस में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पंचायत राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिये पंचायत समिति की व्यवस्था होनी चाहिए। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। उसमें दो रूप मेरे सामने आये है। प्रमुख के चुनाव के लिए अधिकार है तो प्रमुख के चुनाव के लिए कौन खड़ा हो सकता है? सदन की कमेटी ने यह कहा है कि उसके लिए खड़ा होने का अधिकार उसी आदमी को होना चाहिए जो कि उस क्षेत्र का रहने वाला हो और ग्रामपंचायत, पंचायत समिति या जहां पर ग्रामदान स्कीम है वहां पर ग्राम सभा का सदस्य हो। उसमें पेज ६ पर जो टिप्पणी दी गई है उसमें साफ साफ कहा है

"The Committee are of the view that a Pramukh should be a voter of the Panchayat in the district. The committee have subtsituted clauses (i), (ii), (iii), for the clauses (i) (ii), (iii), (iv) and (v) in clauses (a) (ii) and have further substituted the words "unless he is a resident of, and a voter of any panchayat or a member of the Gramsabha"......

यह आप कहते हैं और उन्होंने कौन सा दिया है

"Unless he is a resident of the district and is a voter of the panchayat or Municipal Board or Council in the District"

इसका साफ मतलब यह है कि सिलेक्ट कमेटी की जो मन्शा है उसके हिसाब से ये शब्द हटा दिये गये हैं "unless he is a resident of the district and is voter of the panchayat or Municipal Board or Council in the District.

तो जो यह टिप्पणी दी गई है मैं कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी को ओमिट कर दिया गया है। उसको भी यहां पर छाप दिया गया है बढ़ाते हुए 'एएड' में लेकिन यह जो धारा रखी है पता नहीं भ्रम में डालने के लिये गई है या क्या बात है? मैं समझ नहीं पाया हूं। उसमें साफ-साफ है। इस बिल की धारा २२ जिसमें धारा ४५ के लिए प्रोवीजो है उसमें इन वर्ड्स को नहीं हटाया गया है। उसको मूलभूत अंग के रूप में माना गया है। जो प्रावीज़ो है वह मैं पढ़कर सुना देता हूं

"Provided that no person shall be eligible to be elected as Pramukh unless he is a resident of the district"'

इसमें हटाया गया है

ulness he is a resident of and a voter of any panchayat or a member of a lGramsabha established under section 8 of the Rajasthan Gramdan Act, 1960 (Rajasthan Act 3 of 1960)"

यहां तक तो ठीक था लेकिन इसके साथ ये शब्द भी जुड़े हुवे है-

(श्री नत्थीसिंह)

"and is a voter of the panchayat Mounicipal board or council in the District"

जिस काम के लिए यह संशोधन किया गया है यानी शहरी लोग ग्रामीण संस्थाओं में न जम जायं तो सिलेक्ट कमेटी ने भी उसको माना है और हटा दिया, फिर मालूम नहीं कि कैसे इस प्रकार से इसको मूलभूत अंग माना गया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा.... (श्री सचीव द्वारा सूचित किये जाने पर) यह प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं बिल्कुल इस बात की ताईद करता हूं कि केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन संस्थाओं में आने चाहिए और दूसरे लोग नहीं आने चाहिए।

(१.०० म० प०)

एक चर्चा और चल रही है। मैं पंचायत मन्त्रीजी को सावधान करना चाहता हूं। उनकी लॉबी में ऐसी चर्चा है कि ऐसा संशोधन आयेगा कि शहर वाले लोगों को भी चुनाव का मौका मिल जाय। यदि ऐसा संशोधन रख दिया तो बहुत ही खराब बात होगी। ऐसा संशोधन किसी भी हालत में नहीं लाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक स्थिति और है जिसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि बड़े जोर से चर्चा चल रही है कि जो एक्स-ऑफिशियो मेम्बर्स हैं जिनमें एम० एल० एज़० आते हैं उनको डिबार किया जा रहा है। एक तरफ तो कहा जाता है कि उनको पूरे पूरे अधिकार होने चाहिये, प्रधान बनने के अधिकार भी होने चाहिये उन पर बाधा नहीं लगानी चाहिए और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि ये एसोसियेटेड मेम्बर होने चाहिए। इस बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज का कानून है उसमें काम्प्लीकेशन्स है और जो आज संशोधन आया है उसमें इस कॉम्प्लीकेशन को बदस्तूर रखा है एम० एल० एज० को एसोशियेट मेम्बर रखा पंचायत समिति में उनको वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन यह पाबन्दी नहीं थी कि वे प्रधान नहीं बन सकते, यह रुकावट नहीं है। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि एक तरफ तो एक्स-ऑफिशियो का क्लॉज़ जोड़ा है, बाधा लगाई है कि वह प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख, उप-प्रमुख नहीं चुना जायेगा। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के वोटर को चुनाव की छूट है। एम. एल. ए. भी ग्राम पंचायत का मेम्बर होगा तो उसको चुने जाने से किस प्रकार रोक सकते हैं? लेकिन कानून के अन्तर्गत पाबन्दी लाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर दोनों व्यू ले सकते हैं। वे उनके मनोनयन पत्र यह कह कर खारिज कर सकते हैं कि आप पर पाबन्दी है और दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं कि आपको चुनाव के लिए खड़ा होने का अधिकार है। यह एम्बीगुअस पोज़ीशन है इसको दूर करना चाहिए। सबसे अच्छा तो यह होता कि इस बात के लिए राजी होते कि पंचायत समिति में केवल उनको एसोसियेट मेम्बर रखा जाय और यह छूट नहीं दी जाय कि वह प्रधान बन सकें लेकिन यह नहीं कहा है। यदि मन्शा साफ है तो दल-दल की स्थिति नहीं रहनी चाहिये, एक्स-ऑफिशियो की बात हटानी चाहिए।

Page No. 37

(श्री नत्थीसिंह)

मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। पंचायत समितियों के लिए एम० एल० एज़० को अधिकार नहीं है, वहां जिला परिषद् में एम० एल० एज० को निश्चितरूप से अधिकार होना चाहिये कि वे प्रमुख के पद के लिये लड़ सकें। दूसरी बात यह है .... ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : अश्रव्य।

श्री नत्थीसिंह : आपतो रहने दीजिये आपने तो बदनाम ज्यादा किया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंचायत समिति और जिला परिषद् कानून बहुत सरल होना चाहिये, लेकिन इसमें इस तरह के उल्टे प्रावधान किये हैं कि उससे भ्रम को बढ़ावा मिलता है।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि पंचायत राज्य संस्थाओं में और सहकारी समितियों में किस प्रकार का संबंध रहना चाहिये इस संबंध में भी व्यवस्था की गई है। पहले कानून में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि सहकारी समितियों के प्रतिनिधि आयेंगे उनको प्रधान, उप-प्रधान होने का अधिकार नहीं होगा लेकिन पंचायत समितियों में मतदान करने का अधिकार होगा। सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि उनको केवल एसोसियेट मेम्बर के अधिकार होने चाहिये चुनाव का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं इससे पूर्ण सहमत हूं इसलिए कि पंचायतों और सहकारी संस्थाओं में दोस्ती का सम्बन्ध हो लेकिन वे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। लेकिन इस डिमान्ड में इस तरह का खतरा क्या है कि एक दूसरे के सम्बन्ध अब भी नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, यदि समझते तो जिला परिषद् की व्यवस्था हो कोआॅपरेटिव पर लागू होगी इसमें फिर भ्रम क्रिएट किया। पहले के कानून में ऐसा था कि सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, जिला परिषद् के फुलफ्लेज्ड मेम्बर होंगे और उनको पूरे अधिकार होंगे। उसको हटा कर एसोसियेट मेम्बर रखा जाय। इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि उनको वोटिंग राइट नहीं हो ताकि आर्थिक इकाई में उनके हस्तक्षेप से बचसकें। लेकिन एक प्रावधान रखा है अध्यक्ष सहकारी बैंक और अध्यक्ष, जिला सहकारी संघ उसके साथ "अथवा" शब्द क्यों लगाया है उनका वोट का अधिकार नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। हम विकास करना चाहते हैं उसमें सहकारी क्षेत्र क्या सहयोग दे सकते है इस बात को बताने के लिये उसमें जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष होने चाहिये। लेकिन 'अथवा' रखा गया है इस 'अथवा' का निर्णय कौन करेगा इसकी कानून में व्यवस्था नहीं की। इसलिये मैं कहूंगा कि यह सारा बिल जल्दबाजी को निशाना है। इसका पूरा-पूरा असर समाज पर पड़ने वाला है। वह क्या हो सकता है इस पर समग्ररूप से विचार होना चाहिए नहीं तो स्थिति क्या होगी कि एक एक करके चुनाव आगे बढ़ा दिये जायेंगे। गांवों में चर्चा हो रही है कि चुनाव और आगे बढ़ेंगे। पहले तो खंभ ठोक कर दंगल में लड़ने के लिए पहलवान की तरह खा-खाकर लोग तैयार होते हैं और ऐन समय आता है तब घर में बैठने को मजबूर कर देते हैं। नवम्बर में अगर चुनाव नहीं करायेंगे तो उसका गलत असर पड़ेगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अपने ही क्षेत्र का। कुम्हेर पंचायत के पंचों को

(श्री नत्थीसिंह)

शिकायत थी कि वे लोग गड़बड़ियां करते हैं। भ्रष्टाचार के ११ आरोप उनके खिलाफ आये। हमने पब्लिक मीटिंग की और कहा कि इस तरह से पार्टी बदनाम होती है ऐसे लोग नहीं रहने चाहिये। पूरे कस्बे की मीटिंग हुई। ऐसी मीटिंग राजस्थान में कहीं नहीं हुई होगी। उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि सारे पंचों को ग्राम सभा से इस्तीफा देना चाहिये और कलेक्टर के सामने सबने इस्तीफा दिया और ६-६-६३ को इस्तीफा मन्जूर हो गया लेकिन उसके बाद आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। इसके बाद सरपंच ने दो कोऑप्टेड मेम्बर्स और २ हरिजनों को और १ को और साथ लेकर कोर्ट में अपील कर दी कि हम इस्तीफा वापिस लेते हैं और उन्होंने इस्तीफा वापिस ले लिया। आज उस १८ पंचों की पंचायत में सिर्फ ६ आदमी राज्य कर रहे हैं और मनमाने ढंग से जमीनें बेच रहे हैं यहां जब इस बारे में कहते हैं तो जवाब देते हैं कि १० दिन में बन्द कर देंगे। भ्रष्टाचार की सुनवाई आप नहीं कर सकते तो जनता स्वयं इसके लिए कार्यवाही करेगी। १५-२० दिन पहले उसी सरपंच ने एक केन्द्र के मन्त्री को बुलाया था और 'बुद्धं शरणं गच्छामि' हो गये।

एक माननीय सदस्य : कौनसी पंचायत की बात है?

श्री नत्थीसिंह : अब मुझे पता चला है कि जनवरी-फरवरी तक चुनाव करायेंगे। तब तक प्रधान को सुपरसीड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं, एक बार इलेक्शन भी करा सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया। इस तरह आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

इतना ही नहीं कि जो राज्य चल रहा है वह केवल कानून से चलता हो। यह मेरी मान्यता है कि संयुक्त विकास आयुक्त हैं वह सर्क्यूलर जारी करते हैं, उनके आधार पर इन पंचायत राज संस्थाओं का सारा शासन चलता है। वह सर्क्यूलर ढेर के ढेर होते हैं, जिनको सरपंच और पंच समझें क्या, प्रधान जी जैसा समझा देते हैं वह समझ जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की बातें की जातीं कि सही रूप से चुनाव हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : रामकिशनजी मंत्रिमंडल में बैठे हैं।

श्री नत्थीसिंह : आप फिक्र क्यों करते हैं?

मैं कहना चाहता हूं कि हम कहते हैं, पंचायतों को मजबूत बनाये, ग्राम सभायें मजबूत हों। इसलिए जो प्रोवीजन हों, वे ऐसे हों जो इन नीचे को संस्थाओं के लिए मार्ग-प्रदर्शक हों।

इसके अलावा चुनाव तो करा लिये, यह जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इनके द्वारा आप अनियमितताओं को रोकथाम करना चाहते हैं। लेकिन आज की स्थिति में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि नकेल तो इन अधिकारियों के हाथ में दे रखी है। अगर कोई बेईमान हो तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी नहीं। लेकिन जो ईमानदार हैं उनको फंसाने के प्रयत्न किये जाते हैं। इसलिए हमने यह विचार रखा है कि यह

(श्री नत्थीसिंह)

नियंत्रण की प्रणाली है इसमें सुधार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक ट्रिब्यूनल आप बनायें, और लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि कोई गलती करता है तो उसके पास में उसकी शिकायत कर सकें। ऐसी व्यवस्था रहे कि इस प्रकार के आदमियों को सजा मिल सके। ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि जो बेईमान हों उन्हें बचायें और जो ईमानदार हैं उन्हें फंसायें, यही नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रधान एक अध्यापक को तीन-तीन बार मोअत्तिल करता है बिना डिस्ट्रिक्ट कमेटी की राय लिये हुए। जब कि यह प्रावधान है कि उसकी राय ले। वह मामला डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वापिस आ जाता है। लेकिन उनसे यह नहीं पूछा कि यह गैर कानूनी काम क्यों किया ? हमने पूछा तो कहा कि ऊपर से दबाव करते हैं तो हम कर देते हैं। परन्तु इसके साथ क्योंकि कमेटी का रिजोल्यूशन नहीं था इसलिए केस वापिस कर दिया। इस तरह एक अध्यापक तीन साल से मोअत्तिल पड़ा है और वह कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार ने बड़ी भूल की है कि वह पीसमील लेजिस्लेशन ला रही है। मैं समझता हूं कि एक समग्र रूप से लेजिस्लेशन लाया जाना चाहिए था।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता था और वह यह कि इसमें जो एक्स-ओफिशियो मेम्बर पंचायत समिति के रखे गये हैं। उसमें प्रावधान और जोड़ा गया है और वह यह है कि एस. डी. ओ. पंचायत समिति का मेम्बर होगा। इसके लिए तर्क दिया गया है कि, उसको जब एक बार पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वह तर्क यह दिया है कि पंचायत समिति के एस. डी. ओ. को इसलिए मेम्बर होना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू के मामले आते हैं, उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो जाय और दूसरी चीजों में सहयोग मिले इसलिए एस. डी. ओ. को रखना चाहिए। अब उसका मत होता नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है ? मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि पंचायत समिति और पंचायत राज संस्थाओं का जो रूप हैं उसके सम्बन्ध में सरकार कन्फ्यूज्ड है। वह उसको एक प्रशासनिक एजेंसी मानती है या ग्रामीण क्षेत्र की स्वायत्त संस्था के रूप में मानती है। मैं मानता हूं कि इनको ग्रामीण क्षेत्र की स्वतन्त्र प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार इन्हें ग्रहण किया जाना चाहिए तो जितने भी अधिकारी है। उनको स्टेच्यूरी रूप में मेम्बर बनाया जाय-यह गलत है। एस. डी.ओ. का कोई रूरल विकास से सम्बन्ध नहीं है, वह रेवेन्यू का अधिकारी है। इसके अलावा पंचायत समिति को कानून के अन्दर अधिकार हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स को अपनी मीटिंग में विचार-विमर्श करने के लिए बुला सकती हैं। अगर विकास विभाग वाले सोचते हैं कि एस. डी. ओ. को उन नियमों के तहत नहीं बुलाया जा सकता तो नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है और एक सर्क्यूलर और जारी हो सकता है। जहां इतने सर्क्यूलर जारी हो सकते हैं वहां एक और हो जाय तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन कानूनी रूप से एस.डी.ओ. को पंचायत समिति का मेम्बर बनाना गलत है और ऐसा

(श्री नत्थी सिंह)

प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिए ! क्योंकि अगर इस दृष्टिकोण से चलते हैं तो सरकार या अधिकारी हैं वे पंचायत को अपनी एक एजेंसी के रूप में लेते हैं, एक स्वतंत्र स्वायत संस्था के रूप में नहीं। इन शब्दों के साथ मै निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कानून लाया गया है, यह एक भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। इसको मिटाने के लिए मन्त्री महोदय यह आश्वासन दे दें कि २७ नवम्बर को चुनाव करवाने वाले हैं। अगर ऐसा आश्वासन देते हैं तो मैं सोचूंगा कि मैं अपने प्रस्ताव को प्रेस करूं या नहीं। अगर आश्वासन नहीं देते हैं और सोचते हैं कि फिर चुनाव करने की तारीख बढ़ायेंगे तो इस कानून को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री रामकिशन (वैर) : ये तो कांग्रेस में मिल गये। इनको क्या बोलने की जरूरत है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : On a point of order, इनको आप मास्टर नत्थीसिंह कहें। मुझे सब लोग पूछते हैं कि तुम कांग्रेस में चले गये। ये मास्टर हैं, इसलिए इनको मास्टर कहना चाहिए।

श्री रामकिशन : हमें अपने जिले में विज्ञप्ति निकालनी पड़ी है।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : आप पहले कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस से बाहर चले गये। मैं बाहर था, भीतर आ गया।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं तो पहले रहा हूं, आप तो अब चले गये हो।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि....

श्री रामकिशन : अरे, आज तो नहीं बोलना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : मैं फेवर में बोलूंगा। यह सहवरण के बारे में रखा गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। यदि मान लीजिये, सरपंच को पंचायत समिति का सदस्य रखा जाता है और स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर रखा जायगा तो किसी सब्जेक्ट के माहिर हैं, मान लीजिये आप कि कोई कृषि के विषय में ज्यादा चतुर है, या किसी में शिक्षा के विषय में योग्यता है तो ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि सहवरण का रखा जाय।

दूसरा एम. एल. ए.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसको कहते हैं गंगा गये तो गंगाराम और जमुना गये तो जमुनाराम।

श्री रामकिशन : ६ तारीख को बोले तो इसके खिलाफ बोले थे। आज क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आवाज धीमी पड़ गई है।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ी आप तकलीफ न करें ।

जो एम. एल. ए.....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : विरोधी दल में आने की दर्ख्वास्त दे दी है ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : एम. एल. ए. के लिए रखा है कि प्रधान का चुनाव वह न लड़ पाय । इसके लिए मैं सहमत हूं....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप जाते ही कांग्रेस की नीति बताने लग गये ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : लेकिन प्रमुख के लिए रखा है कि इस तरह का हक नहीं होना चाहिए, यह गलत है । मैं समझता हूं कि एक ऐसे योग्य व्यक्ति को प्रमुख बनना चाहिए जो पूरी तरह से जिला परिषद् को कंट्रोल कर सके और सुचारु रूप से कार्यवाही चला सके ।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया आइटम रखूंगा....

श्री विजयसिंह झाला : पार्टी मीटिंग में ऐसा हुआ है ?

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : मेरा निवेदन है कि चुनाव, डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिए । मेरा यह विचार है कि पंच, सरपंच और प्रधान और प्रमुख की पेटी साथ साथ रखे जाने चाहिए । इससे क्या होगा कि सरकार और पब्लिक, दोनों को, पैसे की बचत होगी और समय की भी बचत होगी । साथ ही इतनी भागदौड़ भी नहीं होगी ···

श्री रामकिशन : ठीक है ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : इसमें क्या है कि प्रधान का चुनाव होगा तो प्रत्येक प्रधान के चुनाव में एक-एक व्यक्ति खर्च करेगा और····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्या चाहते हैं अब ?

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : आप सुन लीजिये । या पहले आप मुझसे डिस्कस कर लीजिये ।

पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख—इन सबके चुनाव एक साथ होते हैं तो जैसे पहले प्रधान के चुनाव हुआ करते थे कि पंचायत समिति के मेम्बर्स को इकट्ठा किया जायगा, उसी तरह की भागदौड़ होगी । कोई गंगा जी नहलायेगा, कोई तीर्थ करायेगा । यह हालत होने वाली है । मैं निवेदन करूं····

श्री रामकिशन : ये ठीक कह रहे हैं ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : पांच सौ के करीब होगी पंचायत समिति ।

(श्री नत्थीसिंह)

तो मैं यह कहता हूं कि इससे यह होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वह उन लोगों को ज़्यादा प्रलोभन देकर उनके वोट को यूटिलाइज़ करेंगे और उनको डीमोरेलाइज़ करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि गरीब और योग्य व्यक्ति होंगे उनका नाम नहीं आ सकेगा। इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् का चुनाव होगा उसमें पंचायत समिति के सारे सदस्य वोटर्स होंगे और अपना वोट देंगे यह आपने प्रावधान रखा है। उसमें सारे सदस्य जब इकट्ठे होंगे तो जो मालदार व्यक्ति होगा वह उनको प्रलोभन देगा और वही सदस्य बन सकेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसमें यह रखा जावे कि डाइरेक्ट इलेक्शन उसी दिन हो और चारों की चार पेटियें अलग अलग रख दी जावें। अलग वोट डालने में सहूलियत के लिहाज से चार कलर अलग अलग बांट दिये जावें और अलग अलग रख दिये जावें। चारों के वोट एक साथ हो जावेंगे। इससे सरकार को पैसे और समय की बचत होगी ऐसी मेरी मान्यता है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि ब्लॉक कमेटी होनी चाहिये। आपने पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव और अविश्वास के बारे में जो रखा है वह ठीक नहीं है। अविश्वास और चुनाव अजीब ढंग का है। पंच और सरपंच तो प्रधान का चुनाव करेंगे और उनको हटाने वाले हैं सिर्फ सरपंच ही।

श्री रामकिशन: यह नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): यही है। चुनाव तो पंचों और सरपंचों ने मिल कर किया और हटाने का अधिकार सरपंचों को ही है। मैं यह कहूँगा कि जिस वक्त पंचायत समिति का कार्य चलेगा उस वक्त पंचायत समिति के सदस्य होंगे सरपंच और वे ही बैठक में शामिल होंगे। उनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। वे किस अनुभव के आधार पर उसके पक्ष या विरोध में वोट देंगे। यह एक समस्या है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक ब्लॉक कमेटी होनी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: ब्लेक कमेटी भी शुरु हो गई क्या ?

श्री परसराम मदेरणा: (श्री नत्थीसिंह को संबोधित करते हुये) इनकी बोली आपके समझ में आती है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अब तो आपकी बोली समझ में आने लगी है, हमारी कैसे आवेगी ?

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): आप मुझे डिस्टर्ब न करें। आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष: आप बोलते रहिये।

श्री नत्थीसिंह: इसमें ३० सदस्य होने चाहियें और उनका चुनाव पंच और सरपंच के जरिये होना चाहिये और उसमें कोई भी खड़ा हो सके। और जब चुनाव हो जावे वही लोग प्रधान का चुनाव करें और वही अविश्वास लावें और इससे अविश्वास और चुनाव वाला मामला यूहीं साफ हो जावेगा।

(श्री नत्थीसिंह)

इसके साथ साथ प्रधान और सरपंच के पास पैसों के लेन-देन का अधिकार रखा है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि जो सरपंच या प्रधान होते है ये चाहे कितने ही पढ़े-लिखे क्यों न हों लेकिन वे एकाउन्ट के मामले में एक्सपर्ट नही होते और मैं सही कहता हूं कि पंचायतों में पटवारियों से भी ज्यादा हिसाब रखना पड़ता है और कोई भी कितना ही लिखा-पढ़ा सरपंच क्यो न हो वह एकाउट्स के मामले को ठीक तरह से नहीं समझ सकता है इसलिये लेन-देन का और हिसाब-किताबका मामला सरकारी कर्मचारी के जरिये ही होना चाहिए ताकि भविष्य में सरपंच को कोई दिक्कत नहीं आवे।

इसके साथ साथ एस. डी. ओ. को सदस्य रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। मैं यह कहूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर जरूरत पड़े तो हम उनको बुला सकते हैं और जरूरत के समय उनको बुला लिया जावे क्योंकि उनका इनसे क्या सम्बन्ध है। एस. डी. ओ. किसी के पक्ष में रहेंगे तो वह प्रधान रह सकेगा और यदि किसी प्रधान के विपक्ष में पड़ गये तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं इस फेवर में नहीं हूं कि एस. डी ओ. को एसोसियेटेड सदस्य बनाया जाये। इसके सिवाय सब ठीक ही है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह (पिंड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक १९६४ को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाए, यह मेरा प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। राजस्थान की दो करोड़ की जनता में एक करोड़ ६८ लाख रूरल पोपुलेशन है और इसका असर १६८ लाख जनता पर पड़ेगा इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। हमारे यहां राजस्थान सरकार ने सारे हालत को देखने के लिये एक स्टडी टीम बनाई और उस स्टडी टीम ने जगह जगह जाकर जानकारी हासिल की स्टडी टीम का निर्माण किया इसके लिये तो राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं मगर मैं यह कहूंगा कि उनको बहुत कम समय मिला और वे बहुत कम आद-मियों सेमिल सके। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट निकाली वह अंग्रेजी में निकाली है जिसको देहात के लोग समझ भी नहीं सकते हैं। इसी कारण मैंने यह रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

इस समिति ने भ्रमण अवश्य किया। २६ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स में ११ डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टरों में गये और ५ जिला परिषद की मीटिंगें अटेन्ड की। २३२ पंचायत समितियों में से १६ पंचायत समितियों में गये और २३२ मेंसे ३ पंचायत समितियों की मीटिंग अटेन्ड की। ७३९१ ग्रामपंचायतों में से ५ पचायतों में मीटिंग अटेन्ड की। जहां तक एम. एल. ए. और एम. पी. से मिलने का सवाल

(श्री गोविन्दसिंह)

हैं, स्टडी टीम ३ एम. पी. से और ६ एम. एल ए. से मिली है। २६ प्रमुखों में से १३ प्रमुखों से मिली है। २३२ प्रधानों में से १२ प्रधानों से मिले, २६ कलेक्टरों में से ८ कलेक्टर से मिले और २३२ विकास अधिकारियों में से ६ से मिले। कहने का मतलब यह है कि जो जानकारी इनको प्राप्त करनी चाहिए थी उसके लिए पूरा समय उनको नहीं मिला और इस वजह से पूरा काम नहीं कर सके। उसकी रिपोर्ट के बाद यह बिल बना। अध्यक्ष महोदय, जब गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया, जगह-जगह पर स्टडी टीम गई और जगह-जगह से उनको जो सूचना मिल सकी प्राप्त की और एक यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद यह राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ जाता है। मैं यह कहूँगा कि यह उस रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। पंचायतों की टर्म तीन साल तक होती है। स्टडी टीम ने जो रखा है और सिलेक्ट कमेटी ने जो रखा है उसमें स्थिति स्पष्ट नहीं बनती है। जो नोट ऑफ डिसेन्ट लगाये हैं वे कांग्रेस वालों ने लगाये हैं और विरोधी दल के सदस्यों ने बहुत कम नोट ऑफ डिसेन्ट इसमें लगाये हैं। हो सकता है कि वे यह चाहते हों कि जो जो खामियें रह जावेगी रहने दी जावे ताकि लोगों को फायदा नहीं मिल सकेगा। अन्यथा जितने भी बिल आते हैं उनमें सिलेक्ट कमेटी में जो बिल भेजा जाता है उसमें हमेशा विरोधी पक्ष वालों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। यह सदा होता रहा है।

श्री रामकिशन : अभी भी है। ज्यादा विरोधी दल वालों के ही हैं आप देख लीजिये इसके अलावा इसमें कांग्रेस के सदस्य ही ज्यादा थे। विरोधी कम थे।

श्री गोविन्दसिंह : बिल बना देने और कोई एमेन्डमेंट कर देने के साथ साथ हमें वह भी देखना है कि पंचायत राज्य का काम ठीक तरह से चले। मैं यह कहूंगा कि यह और भी अच्छा होगा कि स्टडी टीम ने जो बातें इसमें रखी है और कायदों में रद्दोबदल हुई हैं उसमें एक पंचायत समिति की क्या जन-संख्या हो और दूसरी की क्या जन संख्या हो इसको भी देखा जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है, राजस्थान की २२ पंचायत समितियां ऐसी हैं जिसकी पॉपुलेशन ५० लाख से कम हैं। १८ समितियें ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या १ लाख के ऊपर है और सबसे बड़ी पंचायत समिति की जन संख्या १ लाख ३० हजार की हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री वित्त) : वे कौनसी हैं?

श्री गोविन्दसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा पंचायत समितियों पर चाहे उसकी पोपुलेशन कितनी ही हो वही एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा होता है एक लाख ३० हजार की जनसंख्या वाली पंचायत समिति पर होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा में भी गवर्नमेंट जब जन-संख्या बढ़ती है तो सीमा बढ़ाती है। इसलिए हमारी पंचायत समितियों की जिनकी पापुलेशन ६० या ८०

Page No. 45

(श्री गोविन्दसिंह)

हजार की हो उसको मिलाकर २११ लाख हजार तक की जन-संख्या तक बढ़ा सकते हैं। इससे उस पंचायत समिति का खर्चा जो गवर्नमेंट उस पर करती है वह बच जावेगा और वह पैसा निर्माण कार्य में लगाया जा सकता है, तो यह जरुरी बात थी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो पटवारघर हैं वे पंचायत समितियों के मुकाबले में कम हैं, जितनी पंचायतें हैं उतने पटवारघर भी नहीं हैं। कुल राजस्थान में ७३६१ पंचायतें हैं और पटवार सर्किल ७६१ हैं।

दूसरी बात है कि जहां तक चुनाव का सवाल है पंचायतों में कोई खास रद्दोबदल नहीं हैं। पर पंचायत समितियों में रद्दोबदल हैं इसमें रखा हैं कि कोई भी मतदाता पंचायत समितियों के प्रधान पद के लिए खड़ा हो सकता है। उसके मतदाता पंचायतों के मेम्बर्स और पंचायत समितियों के मेम्बर्स होंगे। इसी प्रकार से जिला परिषदों का रखा है। उन्होंने रखा है कि पंचायत समितियों के मेम्बर और जिला परिषदों के मेम्बर भी मत देंगे और प्रमुख व प्रधानों के लिए पंचायत क्षेत्र का मतदाता ही खड़ा हो सकेगा। देखने में यह नियम अच्छा है, लेकिन जो शहरों में रहने वाले हैं उन्होंने आज से दो माह पहले ही अपने नाम देहातों में लिखाना शुरू कर दिया। सरकार यदि देखना चाहती है कि देहातों की ये संस्थाएं पनपें तो सरकार को यह नियम बनाना चाहिए कि जो कम से कम १८० दिन से कम देहात में रहा है और चाहे उसने नाम भी लिखवा दिया है तो भी उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया और उनको मालूम पड़ा कि यह नियम आ रहा है तो उन्होंने अपने नाम देहातों की लिस्ट में लिखवा दिए। इसलिए उनको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जाय।

जहां तक सरपंच का सवाल है उसमें साफ लिखा है कि उसकी योग्यता होगी कि कम से कम लिखना-पढ़ना जानता होगा और जो चुनाव अधिकारी है वह इस बात को देखता है कि वह पढ़ा-लिखा है या नहीं है लेकिन प्रधान के लिए कोई योग्यता नही रखी है। राज्य सरकार कम से कम ऐसा कर दे जिसके द्वारा प्रधान के लिये कोई योग्यता निर्धारित हो। साथ ही साथ इसमें यह अजीब बात है कि जांच करने के लिए वहां का चुनाव अधिकार निर्णय करता है कि उसमें पढ़ने-लिखने की योग्यता है या नहीं और वह कहदे कि अमुक आदमी में यह योग्यता नहीं तो फिर उस आदमी को अपील करने का अधिकार भी नही हैं क्योंकि उसी दिन मतदान होता है व सरकार ऐसा प्रावधान कर दे कि जो सरपंच के लिए खड़ा होना चाहता है वह किसी अधिकारी से सर्टीफिकेट ले ले कि सरपंच को इतनी योग्यता है या नहीं, जैसे विकास अधिकारी से या इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स से, जिससे वह आदमी जो सरपंच के पद के लिए खड़ा होना चाहता है वह प्रमाण-पत्र ले। "पढ़ा-लिखा" बहुत ही वेग टर्म है। इसलिए अगर सरकार चाहती है कि हरएक आदमी को अधिकार मिले तो ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए ताकि चुनाव अधिकारी की गलती के कारण उसका नाम खारिज न हो जाय।

दूसरा यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि एम. एल. ए. या एम. पी. प्रधान या प्रमुख

(श्री गोविन्दसिंह)

के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता । यह देखने में अच्छा लगता है । जब सरकार इतनी ब्रॉडबेस्ड हो गई है तो आप ये काले शब्दों में क्यों लिखते हैं कि एम. एल.ए. पंचायतों के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता आप किस अधिकार से कहते हैं कि खड़ा नहीं हो सकता चाहे वह वहां का रहने वाला है । आप सिर्फ इतना कह सकते थे कि कोई एम. एल. ए यदि शहर का रहने वाला है तो वह पंचायत समिति में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि देहातों की मतदाताओं की लिस्ट में उसका नाम नहीं है । एक प्रतिबन्ध आप और लगा सकते हैं कि जो एम. एल. ए. या एम. पी. प्रधान बन जयगा, उसको एक निश्चित अवधि के बाद किसी एक पद से त्याग-पत्र देना पड़ेगा, १५ या २० दिन के अन्दर । नहीं तो अगर यह प्रश्न हाई कोर्ट में चला गया तो आप नतीजों का ध्यान रखें । कोई भी एम. एल. ए. रिट करेगा और स्टे ऑर्डर ले आयगा तो आपका चुनाव धरा रह जावेगा ।

जहां तक प्रमुख का सवाल है, कोई भी एम. एल. ए. या एम. पी. इसके लिए खड़ा नहीं हो सकता । तो इसके लिए भी मुझे यही कहना है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि ऐसा प्रतिबन्ध लगा दें । जैसे माननीय कुम्भारामजी राज्य सभा के मेम्बर थे, अब एम. एल. ए. बने, तो उसका नाम राज्य सभा से हटा दिया जायगा । इसलिए आप यह कर दें कि कोई भी एम. एल. ए. प्रधान बन जाय या जिला प्रमुख बन जाय, तो उसका नाम विधान सभा से हटा दिया जायगा । आपने लिखा है कि स्टडी टीम की रिपोर्ट के अनुसार एम. एल. ए. प्रधान नहीं हो सकता है तो आखिर ऐसा नुकसान एम. एल. ए. ने क्या किया कि यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है ? आप शायद यह समझते हैं कि एम. एल. ए. का दर्जा प्रधान से ऊंचा है, इसलिए उसको प्रधान के पद पर क्यों रखें लेकिन लोग समझेंगे कि एम. एल. ए. ने कोई ऐसा काम किया जिससे उसको पंचायत समितियों में नहीं जाने देते हैं इसलिए उसका महत्व घट जायेगा । आप बस ऑपरेटर्स के केस को ही देख लीजिए । वैसे वे लोग स्टे ऑर्डर्स ले आए, एम. एल. ए. भी हाईकोर्ट में चले जायेंगे और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स आजायेगा ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : स्टे ऑर्डर जो हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है बस ऑपरेटर्स के केस में उसमें हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी ली है कि अगर फैसला उनके हक में नहीं होता है तो टैक्स देना पड़ेगा ।

श्री गोविन्दसिंह : कहीं हाई कोर्ट में रिट हो गया, स्टे ऑर्डर मिल गया तो पंचायत समिति ऐसी ही बैठी रहेगी । या तो यह कर दिया जाय कि कोई भी प्रधान अगर एम. एल. ए. बन जाता है तो वह १५ दिन के भीतर अपने आप ही खारिज हो जायगा ।

दूसरे जो हमने कोऑप्शन का प्रावधान रखा है उससे जात-पांत बढ़ेगी । एक तरफ तो

(श्री गोविन्दसिंह)

हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान में सेक्यूलर स्टेट है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे जात-पांत बढ़े या करप्शन की प्रेक्टिस बढ़े। इसी तरह से जिला परिषद् में एम. एल. ए., एम. पीज़. और जिला परिषद् के मेम्बर्स भी होंगे। प्रमुख एक बात कहेगा और वे दूसरी बात। तो व्यवहारिकता क्या रहेगी?

इसके साथ ही साथ सवाल सरकारी मशीनरी का है। वह इन संस्थाओं से कोऑपरेट नहीं कर रही है। दो-तीन मिसालें मैं बता दूं। अभी अभी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल कमेटी बनी है उसका चेयरमैन कलेक्टर है। उसमें दो या तीन मेम्बर्स जिला परिषद् के हैं। हमने इसका विरोध किया है उसके बाद उनसे बातचीत हुई कि आपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल कमेटी बनाई है उसके क्या फंक्शन्स होंगे? उन्होंने कहा यह सुप्रीम बॉडी होगी, जो तय करेगी; न तो वह जिला परिषद् में जायेगा, न रिव्यू में लिया जायेगा। एक तरफ आप जिला परिषद् का चुनाव कराने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका कलेक्टर उनके हकों को लेता जा रहा है। श्रीमान् कलेक्टर कहते हैं कि जिला परिषद् का मतलब नहीं है। आप प्रोसीडिंग्ज़ मंगाकर देखिये कि कहां कहां पंचायत समितियों में डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ने कोई एडवाइस दी है? कोई एडवाइस देने वाला नहीं है। इससे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स पंचायत समिति की मीटिंग में भाग ही नहीं लेते। कोरम पूरा होता है, मीटिंग कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में जहां कलेक्टर के हैडक्वार्टर्स हैं, जब भी मीटिंग में आते हैं, आधे घन्टे के बाद ही लंच पर चले जाते हैं। जिन आदमियों का जनतन्त्र में विश्वास नहीं उनके हाथ में ऐसी चीज दी जा रही है। जो डिप्टी डेवलपमेन्ट ऑफिसर्स हैं, विकास अधिकारी हैं, वे तो ऐसे आदमी हों जो पंचायती राज में विश्वास रखने वाले हों।

जमीनों का अलॉटमेन्ट होता है। उसमें सरपंच, प्रधान, एम. एल. ए., विकास अधिकारी और तहसीलदार—सब मेम्बर्स होते हैं। जबसे जमीनों का अलॉटमेन्ट हुआ है, कुछ तहसीलदारों को यह मीनिया हो गया, हर महीने में मीटिंग कर रहे हैं। एक पंचायत में तहसीलदार पहुंचता है और सरपंच खुद अपनी जमीन के लिए दर्ख्वास्त देता है, उस सरपंच ने सरकार की जमीन को दबा रखा है, ट्रेस्पासर है, उसी सरपंच को दूसरे गांव में जमीन देता है। मीटिंग में एम. एल. ए. नहीं, विकास अधिकारी नहीं, कोरम भी कांस्टीट्यूट नहीं हो पाता। तो इस तरह से सरकारी अफसरों से कोऑपरेशन नहीं मिलता। तहसीलदार कोऑपरेट नहीं करता तो पटवारी भी कोऑपरेट नहीं करता। हरेक को जब १५—२० रुपए खर्च करने पड़ते हैं तब जाकर काम बनता है। जिस वक्त जमीन अलॉट कराने के लिये जाता है तो जमीन मिलती नहीं है। जहां काबिल काश्त एलॉट होती है वहां पहाड़ मिलता है। तो जहां तक इस कानून के बनाने का सवाल है वह अच्छा है, सुन्दर है; चुनाव की पद्धति सुन्दर है लेकिन पंचायती राज के लिए सोचना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी पंचायती राज चलाने में मदद नहीं देंगे तो नहीं चलेगा।

(श्री गोविन्दसिंह)

जबसे नन्दाजी ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आवाज उठाई, कांग्रेस ने हरेक मण्डल में भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी बनाई, उसके बाद सरकारी ऑफिसर हमको दुश्मन समझने लग गए, उनके बीतचीत का सामान्य ढंग बदल गया। मैं कहता हूं कि कोई एम. एल. ए. ऐसा है या कोई सरपंच ऐसा है जो खाता है, भ्रष्टाचार करता है, उससे आप नफरत करिए; लेकिन आप कहते हैं; कि हम किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं। फूड एडवाइज़री कमेटी है उसके मेम्बर्स एम. एल. ए., एम. पी. और जिला परिषद् के मेम्बर्स हैं और दो मेम्बर्स नॉमीनेटेड हैं। जिला झालावाड़ की समस्या अजीब है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कलेक्टर साहब उस कमेटी की मीटिंग तब बुलाएंगे जब एम. एल. ए. नहीं होंगे। उन्होंने ३ अगस्त को इस कमेटी की मीटिंग बुलाई। मैंने उनसे कहा कि तीन अगस्त को विधान सभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसने जवाब दिया कि हमने टाइम फिक्स कर दिया है। आखिर १६ तारीख को बुलाई। बहुत जो अजीब बात है तारीख १६ अगस्त की मीटिंग में जिला परिषद् के प्रमुख थे और दो मेम्बर्स कोऑप्टेड थे एक तहसीलदार ने कहा कि पंचायत समितियों को शुगर का काम अपने हाथ में ले लिना चाहिये। वहां प्रस्ताव पास हो गया। यह काम हो गया पंचायत समितियों सुपुर्द हो गया। जिस वक्त सुपुर्द हो गया तो कलेक्टरसाहब लिखते हैं कि शुगर का वितरण इस तरह होगा : एक से पांच आदमियों के लिए एक किलो, ६ से ६ आदमियों के लिए दो किलो और ६ से अधिक आदमियों के लिए तीन किलो मिलेगी जब कि मुश्किल से एक फमिली को एक किलो शकर भी नहीं मिल पा रही है। हर पंचायत में ५००–६०० फमिलीज़ हैं और उतने तीन बोरी शुगर मिलती है। एक तो शुगर वितरण काम पंचायत समिति को दे दिया और फिर उसको बदनाम करने के लिए सर्क्यूलर निकाल दिया कि हमने निर्णय लिया है कि एक से पांच आदमियों के लिए एक किलो, ६ से ६ के लिए दो किलो और ६ से अधिक को तीन किलो। अजीब समस्या हो गई।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां जो नियम बनाए हैं उनको इस निगाह से देखना पड़ेगा कि आपकी सरकारी मशीनरी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो पंचायती राज चलाने में मदद करे; नहीं तो जितने हम नियम बना रहे हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : श्री छतरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से यह विभाग ऐसा महत्वपूर्ण विभाग हमारे ऐसे मंत्री के पास है....

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री से नहीं दिल से शुरूआत करें।

श्री विजयसिंह झाला : जो दरअसल इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं लेकिन सुधार करने के बावजूद भी नहीं कर सकते। इसी कारण जो दरअसल अमेंडमेंट्स सादिक अली कमेटी के ऊपर की सारी इस सदन में प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी वे प्रस्तुत नहीं हो सकीं। और मैं समझता हूं कि उस सारी रिपोर्ट को जब हम देखें और उसमें जो आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए जो सजेशन्स दिये हैं उन बातों को जब तक हम क्रियान्वित रूप में परिणत नहीं करेंगे तब तक चुनाव कराने के उपरान्त भी जिस ढंग से हम पंचायती राज को चलाना चाहते हैं उस ढंग से नहीं चला सकेंगे। मैं नहीं समझता कि वे क्यों नहीं वे सुझाव, वे संशोधन इसी सदन के अन्दर इसी अमेन्डमेन्ट के साथ पेश हुए ?

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : सारी रिपोर्ट पर हो जाते ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं समझता हूं, सारी रिपोर्ट पर नहीं किन्तु कुछ ऐसे मुद्दे थे जो पंचायत की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित हैं, जो प्रशासन से सम्बधित हैं, जो पंचायत समिति की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित हैं, जब तक आप उन पर विचार नहीं करेंगे तब तक आप यह समझते हों कि केवल चुनाव कराके सही रूप में पंचायती राज को चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूं। सादिकअली कमेटी के अनुसार पंचायत और तहसील का कार्य एक होना चाहिये और यह बहुत जरूरी है क्योंकि तहसील और पंचायत का सम्बन्ध एक ऐसा सम्बन्ध है जिसको हम तोड़ नहीं सकते और जो तहसीलदार और पंचायत समिति का आज सम्बन्ध है उस सम्बन्ध पर आज पंचायती राज को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आप चुनाव करा लीजिये एक तहसील का एरिया एक पंचायत समिति में पड़ता है और एक-एक तहसील का एरिया दो पंचायत समिति में पड़ता है आप उसको तोड़ेंगे ? चुनाव के बाद आप उसको भंग करेंगे ? यह सम्भव नहीं हो सकता और जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक जो डिफिकल्टीज़ पंचायतों के सामने आती हैं वे सॉल्व नहीं हो सकतीं। एक पंचायत का सरपंच यह चाहता है कि नामान्तरण में परिवर्तन किया जाय लेकिन पटवारी सहयोग नहीं देते। पंचायत की एप्लीकेशन्स हैं कि बहुत सी भूमि आबादी में ली जाय, लेकिन सहयोग तहसीलदार नहीं देते। ऐसे बहुत कार्य बगैर पटवारी के सहयोग के, बगैर तहसीलदार और एस. डी. ओ. के सहयोग के पंचायतों के अन्दर पड़े हुए हैं। पंचायतों को अधिकार नहीं है कि वे कर सकें। एक पटवारी पर सरपंच किस प्रकार कंट्रोल रख सकता है और पंचायत समिति एक तहसीलदार पर किस प्रकार कंट्रोल रख सकती है जब तक आप इसको नहीं सोचेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते।

सबसे पहले हमारे यहां डेवलपमेन्ट के कार्य शुरू हुए। उस समय बी.डी.ओ. और तहसीदार एक पद पर नियुक्त थे। उस समय के कार्यों को देखिये कि कितने कार्य हुए हैं और आज के कार्यों को देखिये कि कितने कम हुए हैं। पहले बहुत ज्यादा कार्य हुए हैं। जो काम उस समय चालू हुए थे आप अन्दाज लगाइये कि कितने काम हुए थे, कितना श्रमदान हुआ था और पंचायत समितियों के निर्माण

(श्री विजयसिंह झाला)

के बाद कितने कार्य हुए इसकी तुलना करिये तो आपको मालूम होगा कि वह कार्य ज्यादा थे। उसमें प्रमुख कारण है वह यह है कि रेवेन्यू ऑथोरिटी जो एक प्रभावशाली ऑथोरिटी होती है उसका पंचायत और पंचायत समितियों को सहयोग मिलता था और आज वह नहीं मिल पा रहा है इसलिए सभापति

(१.५२. म.प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

महोदय, इस संसोधन के साथ साथ यह आवश्यक है कि तहसील और पचायत का किस प्रकार एकीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार समीकरण कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। कई बार यह सोचा था कि तहसीलदार को रेवेन्यू एक्सटेन्शन ऑफिसर बना कर भेज देना चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव था। पटवारी है उसको सरपंच के अधीन कर देना था।

सादिक अली कमेटी के अनुसार ग्राम सभा प्रस्ताव पास करती है उसके अनुसार वह आगे कार्य रूप में परिणत होना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि जो प्रस्ताव ग्राम सभा कार्य रूप में परिणित करने के लिए भेजती है वह कार्य रूप में परिणत नहीं होता है। उसके कई कारण हैं डिफिकल्टीज़ हैं उनको नहीं सोचेंगे तब तक सादिक अली कमेटी के अनुसार भी इसके मूल के अन्दर पंचायती राज की आवाज के पीछे जो फोर्स होना चाहिए वह नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, पंचायत समितियों का बजट पारित होकर आता है वह आगे से होकर आता है। पंचयत समितियों को पैसे की आवश्यकता होती है वह उनको नहीं मिलता है और जो प्रोजेक्ट और कार्य पंचायत क्षेत्र में नहीं हो सकते उनके लिए पैसा मिलता है। नतीजा यह होता है कि जिस ग्राम की जो नीड होती है, आवश्यकता होती हैं, जिस कार्य को ग्राम सभा या पंचयत या या पंचायत समिति करना चाहती है उसके लिए पैसा नहीं मिलता और पैसा मिलता है किसी और कार्य के लिए। बदकिस्मती से पंचायत समितियों को यह अधिकार नहीं है कि एक हैड का पैसा दूसरे हैड में चेन्ज कर सकती हैं। पंचायत समिति को फुल अधिकार जब तक नहीं होंगे कि सारा पैसा जो दिया गया है उस क्षेत्र में जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार मानमाने ढंग से खर्च हो सकेगा अपनी योजना के अनुसार तब तक पंचायत समितियों की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी और पंचायतों और ग्राम सभाओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगी और नतीजा यह होगा कि जिस आधार पर हम चलना चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी।

इसके सिवाय भी, सभापति महोदय, इनका और भी कई दूसरे विभागों से सम्बन्ध है उसके बारे में हमें सोचना होगा। पंचायत समितियों को एग्रीकल्चर एक्टीवीटीज़ को चलाने का अधिकार दिया है, सहकारी विभाग की एक्टीविटी को चलाने का अधिकार दिया है, पंचायत समितियों को सोशियल वैलफेयर एक्टीवीटीज़ चलाने का अधिकार दिया है, लेकिन आज इस पंचायत विभाग के और उन विभिन्न विभागों के बीच में जो सम्बन्ध है,जिस ढंग से यह कार्य कर रहा है उस माफिक

(श्री विजयसिंह झाला)

एक्टीविटीज़ नहीं चल रही है। पंचायत समितियों के अन्दर जो प्रवृत्तियां चल रही हैं उसमें एक आदमी का दखल होना चाहिए यह नहीं हो सकता। प्रवृत्तियां दखल-मुक्त होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में पंचायत क्षेत्र में जो भी एग्रीकल्चर की प्रवृत्तियां चल रही हैं उनकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही की सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि सहकारी विभाग की प्रवृत्ति है तो सारी सहकारी विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिये। ये सारे सम्बन्ध सोचने पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता, इसका कारण यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कार्यक्रम लिया वह सारा का सारा अधूरा, कोऑपरेटिव का लिया वह सारा का सारा अधूरा। सभापति महोदय, ये जो अधूरे कार्य पंचायती राज में पड़े हुए हैं उनका लोगों के ऊपर मोरल इफेक्ट बहुत बुरा होता है। जब तक उनको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक उस क्षेत्र में नये कार्य चालू नहीं हो सकते। अब इन सारे कार्यों के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा जिसके लिए एक महत्वपूर्ण बात सादिकअली कमेटी ने भी बतायी और उसके पीछे कारण क्या है? क्यों पूरी नहीं होती है? इसके लिए सोचना पड़ेगा। श्रमदान के लिए ग्रामीण जनता से काफी पैसा मांगा है जो शिड्यूल्ड रेट हैं ग्रामीण क्षेत्रों के इन्टीरियर में और शहरों में जो रेट हैं वे एक ही हैं। इन पर सोचना पड़ेगा। एक ग्रामीण जनता है जिससे ७५ परसेन्ट चन्दा लेना चाहते हैं, श्रमदान लेना चाहते हैं, राजस्थान की जनता आज इस काबिल नहीं है कि इतना श्रमदान दे सके। ऐसी स्थिति में इन सारी बातों पर आप नहीं सोचेंगे, सभापति महोदय, तब तक चुनाव कराके आप पंचायती राज को सबल बनाना चाहते हैं वह कदापि सबल नहीं हो सकता।

(२.०० म. प.)

इसके सिवाय सभापति महोदय, जो सतनाम नामक फाइनेन्शियल कमेटी पंचायतों के फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए बनी थी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा।

रेवेन्यू का बहुत कम हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है। जब तक २५ परसेन्ट हिस्सा इनको नहीं मिलेगा तब तक वे अपना आवश्यक काम पूरा नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा पंचायत समिति में पांच साल का खर्चे का पर-कैपिटा अनुपात ३.४ आया है फर्स्ट स्टेज में। यह भी बहुत कम है। वह भी ज्यादा से ज्यादा स्टॉफ पर ही खर्च हुआ है, स्कीमों पर नहीं। इसलिए किस प्रकार से स्टॉफ कम किया जाए और स्कीमों पर ज्यादा पैसा मिले और काम का सिंपल मैथड सोचा जाये, इस पर विचार करना पड़ेगा।

आज एक छोटा सा लोन लेने जाते हैं तो उस पर आप तो ६ परसेन्ट ब्याज लेते हैं, पर उसको लेने में जो खर्चा पड़ता है उसको जोड़ा जावे तो १२ परसेन्ट से कम यह ब्याज नहीं पड़ता। तो इसलिए आपकी इन

(श्री विजयसिंह झाला)

सारी योजनाओं के प्रति लोगों की आस्था नहीं बन पाती, अविश्वास रहता है।

मैं समझता हूं कि एक रुपया पर कैपिटा प्रति पंचायत को सरकार द्वारा एक्स्ट्रा एक्स-पेन्डीचर एडजस्ट करने के लिए मिलना चाहिये। जो खर्चा प्रशासन में होता है वह सारा राज्य सरकार को बीयर करना चाहिये। इसी प्रकार पंचायत समितियों में भी २) रुपया पर-कैपिटा राज्य सरकार को इसके लिए देना चाहिये।

इसके अलावा जो स्टेन्डिंग कमेटी में कोऑप्शन का सिद्धान्त आपने रखा है वह सिद्धान्त की दृष्टि से अच्छा हो सकता है क्योंकि वे एक्सपर्ट होते हैं, पर दरअसल में जो आज होता है वह यह है कि जो बाहर से ये आते हैं ये सारे इस कमेटी के चैयरमैन होते हैं और जो इलेक्टेड मेम्बर होते हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है। कोऑप्टेड मेम्बर ही मनमानी करने लग जाते हैं। ये एक्सपर्ट रहें, अपनी राय दें, पर राय तक ही इनको सीमित कर दिया जाना चाहिये, वोट का पॉवर इनको नहीं होना चाहिये। तो समझ में आ सकता है कि आपका यह सिद्धान्त उचित है। वर्ना तो यह सिद्धान्त के लिए भी ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, इसके अलावा जहां तक कन्ट्रोल ऑफ सर्विसेज़ का सवाल है उस पर भी सोचना पड़ेगा। आज जो स्टॉफ

(२.३ म.प.)

पंचायत समिति में, पंचायत में है उस पर कन्ट्रोल विकास अधिकारी का या प्रधान का या सरपंच का नहीं है। नतीजा यह होता है कि सरपंच प्रधान आदि कोई काम करवाना चाहते हैं तो वह नहीं होता। जिला परिषद् को अधिकार दिया है पंचायत समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों पर। तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। पंचायत समिति किसी को रखना चाहती है तो जिला परिषद् ट्रान्सफर कर देती है।

यह संशोधन आ रहा है कि जिला प्रमुख शहर या जिले का हो। अगर यह हो जावेगा तो सादिकअली कमेटी की भी हत्या होगी; शहर में रहने वाले प्रमुख नहीं होने चाहिये। ग्रामीण जनता के नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाना चाहिये, यह सिद्धान्त रूप में हमने माना है। अगर इसे नहीं माना गया तो इस सिद्धान्त की भी हत्या होगी।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

श्री सभापति : श्री अमरसिंह।

श्री अमरसिंह (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ उसका उद्देश्य खास तौर से यह बताया गया है कि सादिकअली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पंचायत राज कायम किया जावे। लेकिन जब इन संशोधनों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ चुनावों से ताल्लुक रखने वाले हैं। इसके अलावा इनमें नवजीवन लाने के लिये आवश्यक प्रावधानों की बहुत कमी है।

(श्री अमरसिंह)

चुनाव सम्बन्धी धाराएं भी काफी नहीं हैं और इन्हें बहुत जटिल और दुरू बना दिया गया है । खास तौर से पंचायत समिति की धारा ८ का इस प्रकार से जटिल बना दिया गया है कि जिन वोटरों से ताल्लुक है, गांव वाले उसको समझ नहीं पा रहे हैं । इसमें जगह जगह क,ख,ग,घ,ट,ठ, घटाना बढ़ाना न जाने क्या क्या हैं, इसे ऐसा बना दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-कौन मेम्बर होंगे कौन-कौन नहीं होंगे ? किनको हटा दिया गया है, किनको रखा हैं ? इनका सरली-करण होना आवश्यक है । फिर भी हम उनको देख रहे हैं कि क्या क्या प्रावधान चुनाव सम्ब-न्धी रक्खे हैं ।

सबसे पहले पंचायतों की अवधि जो मूल में ३ साल के बजाय पांच साल की थी उसको प्रवर समिति ने ठुकरा दिया है और तीन ही साल रखा जा रहा है । यह प्रवर समिति का सुझाव ठीक नहीं है क्योंकि आज पंचायतों के पिछड़े रहने का कारण उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति है ! अगर उसकी अवधि पांच साल की होगी तो पंच सरपंच को लिखेगा कि पांच साल में कुछ करना है । वह प्रोपोजल वोटरों के सामने अच्छी तरह से रख सकेगा और इस अवधि में उनको पूरा करने की भी कोशिश कर सकेगा । नहीं तो तीन साल में तो वह अपने आपको बूढ़ महसूस करेगा; समय जल्दी समाप्त होगा और सोचेगा कि नया चुनाव आने वाला है, वोट नहीं मिलेंगे तो कुछ ऐसा करना चाहिये कि वोट मिलें । वोट लेने में रह जावेगा, ठोस कुछ नहीं कर पावेगा । इसलिये पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये पांच साल की अवधि आवश्यक है ।

दूसरा जो सरपंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधन होना चाहिये था वह भी नहीं आया । अवधि नहीं रखने से यह होगा कि जब चाहें अविश्वास प्रस्ताव पंच लोग ला सकते हैं इससे खींचातान और गड़बड़ी चलती रहेगी, काम में वे कहीं लगेंगे । इसलिये यह प्रावधान अवश्य हो कि कम से कम छः महीने में न लाया जावे ।

इसके बाद पंचों के अधिकार के बारे में पंचायत समिति में सरपंच को उप प्रधान बनाने के बारे में जो है यह ठीक है । लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समय सरपंच लोग प्रधान को वापिस बुला सकते हैं, पर पंचों को जो बनाकर आगे भेजते हैं तो उनको भी वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिये । इसके लिये मूल संशोधन में यह था कि न्याय पंचायत सर्किल से पंच लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे । अन्त में यह अधिकार हो कि जिसको बना सकें उसको हटा भी सकें । इससे वह सक्रिय रह सकेगा । लेकिन यह नहीं होने से पंच वोट देने के बाद सोता रहेगा क्योंकि वह समझता है कि मैं पंचायत समिति में कुछ नहीं कर सकता हूं इसलिये किसी न किसी अंश में पहले मूल वाले संशोधन के आधार पर सक्रिय भाग लिये जाने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है ।

इसके बाद मूल संशोधन में एक एम० एल० ए० को सरपंच बनने का अधिकार था लेकिन प्रधान और प्रमुख बनने का नहीं था

(श्री अमरसिंह)

और इस प्रवसर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक एम० एल० ए० और एम० पी० को जो प्रधान और प्रमुख भी बनने का अधिकार दिया जा रहा है इस सद्‌बुद्धि के लिए मैं सरकार को कांग्रेचुलेशन्स अवश्य ही देता हूं।

इसके बाद प्रधान की उम्र जो मूल संशोधन में २॥ साल की रखी थी अब वह ३ साल की रखी है, इसके मैं खिलाफ हूं। इसके खिलाफ में इसलिए हूं कि जब जब प्रधान ठीक ढंग से काम करने वाले नहीं होंगे तो नतीजा यह होगा कि अविश्वास के प्रस्ताव आयेंगे और गुटबन्दी चलती रहेगी और इससे विकास के काम में रुकावट आयेगी और काम नहीं हो सकेंगे। यदि २॥ साल की ही उनकी उम्र रखी जाती तो जैसा कि सादिकअली रिपोर्ट थी कि गुटबन्दी नहीं पनपने पाये और सब लोग साथ मिलकर चलें। क्योंकि वे जानते हैं कि जल्दी से चुनाव आने वाले हैं इसलिए खींचातानी क्यों की जाय और इसलिए २॥ साल की उम्र उनकी थी। लेकिन यह लम्बे अर्से के लिए बनाना डिक्टेटरशिप की भावना पैदा करता है और इसका नतीजा यह होगा कि अविश्वास प्रस्ताव जल्दी लाने पड़ेंगे इसलिए प्रधान की उम्र २॥ साल ही रखी जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

ये जो सब संशोधन हैं वे चुनाव से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये इसमें आये हैं। लेकिन इसके अलावा और भी सादिकअली कमेटी ने सुझाव दिये थे जिनका इसमें कोई संशोधन नहीं आया। जैसा कि पंचायत समितियों की सीमायें तहसील के समकक्ष बनाने के लिए सुझाव था उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा कर दिया जाता तो इससे काफी सुविधायें होतीं। अब दिक्कतें होंगी और प्रधान और सरपंच को दो–तीन तहसीलों में भागने का काम बढ़ जायेगा। इसलिए इसमें जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट डिसीज़न लेकर पंचायत समितियों और तहसीलों के समकक्ष सीमा देनी चाहिए।

सबसे इम्पोर्टेन्ट सुझाव जो सादिकअली कमेटी का था वह ग्राम सभा और वार्डसभा का था। आज जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि अमुक प्रमुख ने गबन किया है, घोटाले किये हैं। इसका कारण यह है कि वह पब्लिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसका संपर्क पब्लिक से नहीं है लेकिन ग्रामसभा और वार्डसभा को सख्ती के साथ लगाया जाता और समय समय पर मीटिंगें बुलाई जातीं तो यह दिक्कत दूर हो जाती क्योंकि वे लोग यह महसूस करते कि ग्राम सभा आने वाली है और हमें जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा बड़ी भारी दिक्कत आज पंचायतों के सामने आर्थिक समस्या की है वह भी इससे हल हो जाती। क्योंकि वहां पर जब कभी विकास की स्कीम बनाई जाती तो यह आवश्यक था कि गांव वालों की मदद से बनाई जातीं और वे उसके लिये चन्दा या टैक्स के रूप में कुछ न कुछ देते, लेकिन अब क्या होता है कि सरपंच जाकर बैठ जाता है। वह बेचारा पैसा कहां से कमा कर लाये? इसीलिए ग्राम-सभा और वार्डसभा को सख्ती के साथ कानूनी प्रावधान देकर इसमें रखा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि ग्रामसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर यह भी अधिकार होना चाहिये कि अगर

(श्री अमरसिंह)

सरपंच अयोग्य है तो उसको बहुमत के आधार पर वापिस बुला सके ताकि वह और भी सजग हो जायें।

इसके बाद जो आमदनी के साधन हैं वे बहुत सीमित हैं। फिर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है इसलिए जो पंचायतें छोटी बना दी गई हैं और न्याय पंचायतें भी अलग कर दी गई हैं कोई संशोधन आता तो ज्यादा अच्छा रहता। न्याय पंचायतें अलग बनाने से पैसे की आमदनी बंट गई है और छोटे-छोटे मामलों के अन्दर गांव वालों को परेशान होना पड़ता है। जैसे कि मवेशी का ट्रेसपास है और इससे खेतों को नुकसान होता है तो न्याय पंचायतें अलग होने से जहां भी उनकी सीट है किसानों को वहां भगना पड़ता है। इसीलिए पंचायतों को इस तरह के छोटे-मोटे अधिकार दे देने चाहिये ताकि ऐसे केसेज़ वहीं की वहीं निबट जायें। तो पहले तो यह न्याय पंचायतों को अलग करना ही गलत है और फिर कम से कम पशुओं के अतिक्रमण की पॉवर्स तो पंचायतों को अवश्य देनी चाहिए।

इसके बाद सरपंच ईमानदार है और अच्छा कार्यकर्त्ता है वह आगे आये, इसके लिये एक यह भी सुझाव था कि इन लोगों को पारिश्रमिक जरूर दिया जाना चाहिए। जब कि आज प्रधान को तनख्वाह मिलती है और एम० एल० ए० को भी तनख्वाह मिलती है बल्कि उनकी तनख्वाह में तो बढ़ोतरी हो रही है, अलाउन्सेज़ सबके बढ़ रहे हैं तो सरपंच और पंच को आप कहें कि वह सेवाभाव से काम करें तो यह बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है। वे अपना काम छोड़ें खेत छोड़ें और फिर अपना समय लगायें तो बिना किसी परिश्रमिक के यह सब कुछ होना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए यदि आपको ईमानदार लोगों को सामने लानी है तो उन लोगों को पारिश्रमिक के रूप में जरूर कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए और इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। नहीं तो जो लोग नालायक हैं, लुटेरे हैं वे इसमें आ जायेंगे।

इसके बाद पंचायत समितियों में जो खास तौर से चीज देखी जाती है वह यह है कि सदस्यों और विकास अधिकारी के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। विकास अधिकारी समझता है कि मैं सरकारी अधिकारी हूं और मुझे क्या परवाह और उधर दूसरी तरफ सदस्य अपने आपको पब्लिक का नुमाइन्दा समझता है ऐसी हालत में कुछ न कुछ कानूनी रूप इसको दिया जाना चाहिए और जैसा कि सादिक अली कमेटी में भी दर्शाया गया है कि इसके अन्दर लोगों की शिकायत होते ही तुरन्त जांच करवाई जानी चाहिए और वह शिकायत जो भी हो उसकी जांच का नतीजा पंचायतों में आना चाहिए और यदि विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण करना है तो पंचायत समिति की रायसे होना चाहिए वर्ना सामन्जस्य नहीं बैठ सकता।

इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट सुझाव था वह वित्तीय मामलों का था। आज पंचायतों के अन्दर गबन और घोटालों के मामले हैं और ऑडिट रिपोर्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए कोई भी ऐसी कमेटी या अधिकारी नहीं है जो कि

(श्री अमरसिंह)

ऐसी चीजों के खिलाफ एक्शन ले सके। आज हम कानून में संशोधन करने जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में न तो कोई प्रोपोज़ल्स ही सामने आ रहे हैं और न ही कोई संशोधन आया है। मैं जानता हूं, ऐसे ऐसे सरपंच हैं जो नियमानुसार नाप-तोल होना चाहिए उसमें गड़बड़िया करते हैं, लोगों को तकावी वगैरह दे दी गई है लेकिन उसकी वसूली के लिए कोई इन्तजाम नहीं है। गबन हो गये तो उनके बारे में भी कोई जांच-पड़ताल नहीं हो रही है। इसलिए इसके लिए कोई न कोई कमेटी नियुक्त होनी चाहिए या कोई अधिकारी नियुक्त होना चाहिए जो कि वित्तीय मामलों को देखे और खास तौर से इसमें पार्टीबाजी का सवाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के जो सरपंच हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता और दूसरी और जो विरोधी दल के सरपंच हैं उनके ऊपर आरोप लगा कर एक एक रुपये के गबन का केस लगाकर उनको हटा देते है। इसमें पार्टीबाजी को समाप्त किया जाये और निष्पक्ष रूप से कोई ऑफिसर या कमेटी बननी चाहिए जो कि वित्तीय मामलों का निपटारा करें और इसके अन्दर भी इसके लिए कोई न कोई प्रावधान होना जरूरी है। अगर इसके अन्दर आपकी कोई दिलचस्पी है तो मैं पूरा उद्धरण पढ़ना ठीक नहीं समझता हूं ऑडिट रिपोर्ट १९६३ के पेज १२६ पर कुशलगढ़, जोबनेर सांगानेर पंचायत समितियों के गबन, घोटालों के बारे में दिग्दर्शन कराया गया है, उसको देखें तो मालूम होगा कि लाखों रुपयों का हिसाब-किताब नहीं है। इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो पैसे की बर्बादी से कोई फायदा पंचायती राज को नहीं होने वाला है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि यह बात तो सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट पर होती तो अच्छा होता। आप बिल तक ही सीमित रहें तो अच्छा हो।

श्री अमरसिंह : इसमें आपने यह रखा है कि हम सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन लाकर पंचायती राज्य में नवजीवन प्रदान करने जा रहे हैं। उसके कुछ हिस्सों को ले लिया है और जिनसे नवजीवन प्राप्त होता उनको छोड़ दिया है। चुनाव जरूर हो जायगा लेकिन इसमें गड़बड़ घोटाले वैसे ही चलते रहेंगे। कहीं पर पन्चायती राज्य का पैर टूटा हुआ है, कहीं पर उसकी आंखें नहीं है, तो पन्चायती राज्य में नवजीवन क्या होगा?

इसलिए मैं इस चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें जल्दी नहीं की जाय। रिपोर्ट को देखते हुए जितने संशोधन लाये हैं उनको एक साथ लाया जाय और बार बार नहीं लाये जायं। वे लाकर इसको जनमत के लिए प्रसारित करके इसको पास किया जाय। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री जयनारायण सालोदिया!

(अनुपस्थित)

श्री विजयपाल!

Page No. 57

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज्य का विधेयक प्रवर समिति से आज विधान सभा के अन्दर पेश हुआ है, इस सिलसिले में मुझे भी दो–एक बातें जरूरी कहनी है।

पंचायती राज्य एक बहुत पवित्र आशा को लेकर बनाया गया था, लेकिन पन्चायती राज्य के अन्दर आज सभी–सरपंच, पंच और गांवों के लोग इधर–उधर कई दलों के अन्दर फंस गये हैं। आज भी पंचायती राज्य में दूसरे कानून बनाकर और भी इसे उलझाकर चुनाव कराने जा रहे हैं। मुझे ख्याल था कि मौजूदा सरकार इन पंचायतों के चुनाव के लिए बहुत गम्भीरता से सोच रही है। अब मैं यह देख रहा हूं कि कांग्रेसी अब इस उलझन में पड़ गये हैं कि अब हमारी मेजोरिटी तो आयगी नहीं तो अगले दरवाजे से घुसें या पिछले दरवाजे से घुसें यह घुसने का जो नियम है वह आज से ६ महीने और १२ महीने पहले से सोच रहे हैं, लेकिन सीधे तरीके से आज तक उसको कोई दरवाजा नहीं मिल पा रहा है। इस सिलसिले में सरपन्च और पंच, प्रधान के चुनाव के लिए अधिकार देने जा रहे है और प्रमुख के चुनाव के लिए सरपंच, एम० एल० ए०, एम० पी० कोऑप्टेड मेम्बरों आदि को मत देने के अधिकार दिये जा रहे हैं। हम तो यह चाहते थे कि अगर प्रधान का चुनाव सरपंच के मुताबिक बालिग जनता के अधिकार के अनुसार होता तो सबसे अच्छा होता और कम खर्चीला होता। जब कि सरपंच और पंच को वही अधिकार है तो होना तो यह चाहिए था कि पंच भी प्रधान के लिए खड़ा हो सके लेकिन आपने और भी इसके साथ जोड़ दिया है कि कोई भी नागरिक पंचायत या पंचायत समिति का रहने वाला है और पंच एवं सरपंच नहीं हो वह भी खड़ा हो सकेगा यह अनुचित है। अतः प्रधान का चुनाव जनता द्वारा होना बहुत जरूरी है। लेकिन सहकारी सोसाइटियों को भी अन्दर लिया गया है, न्याय पंचायतों को भी इसके अन्दर लिया गया है, इन सब बातों को खत्म करके सिर्फ प्रधानों का चुनाव बालिग मताधिकार के द्वारा हो जाता तो इस संशोधन में इस कानून को ज्यादा अच्छा समझता और ये सारी मुश्किलें नहीं आतीं।

पंचायती राज्य का मतलब यह था कि हिन्दी में यह सब काम होता। माननीय भीखा भाई, जो आदिवासियों के मिनिस्टर हैं लेकिन फिर भी हिन्दी में इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिल पाई है। अशिक्षित सरपंच इस नियम को कैसे समझ सकेंगे? होना यह चाहिए था कि इस संशोधन की कॉपी हमको हिन्दी में ७–८ रोज पहले मिल जाती तो इसको हम कुछ देख सकते थे, क्योंकि हम अंग्रेजी के ज्ञाता नहीं हैं।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : कौनसी रिपोर्ट? सादिक अली की रिपोर्ट या कौन सी?

श्री विजयपाल कटारा : सादिकअली की रिपोर्ट को हिंदी में अनुवाद करके अभी दिया गया है। आप इस कानून को जल्दी २ पास कराना चाहते हैं और हमारे अधिकार अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आपने सरपंचों को सस्पेंड करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया।

(श्री विजयपाल कटारा)

साथ ही प्रधान को पृथक करने का अधिकार भी अपने हाथों में ले लिया है। होना यह चाहिए था कि प्रधान को सरपंच और सरपंचों को पंच ही पृथक कर सकते हैं। आप डेमोक्रेसी को छोड़कर डिक्टेटरशिप करने जा रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि प्रधान का चुनाव बालिग मताधिकार के द्वारा होना चाहिए था और जहां पर आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या अधिक है वहां पर पूरा प्रतिनिधित्व उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। पर अब इससे ये वंचित रह जाते हैं। गांवों के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अगर प्रधान का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर होता तो सरपंच और प्रधान के बीच में अच्छा संबंध और तालुकात रहते और आज जो सार्वजनिक निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें इतनी रुकावटें आपसी मतभेदों की वजह से नहीं हो पातीं जो आज सरे आम हो रही हैं। आज प्रधान ठीक तरह से काम नहीं करवा सकता, क्योंकि आज हर पंचायत समिति में पार्टीबाजी से काम होता है इसलिए आज कोई भी निर्माण के कार्य पंचायत समिति में पूर्ण नहीं हो पाते हैं। आज पार्टीबाजी की वजह से सरपंच को जो श्रमदान का सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। वहां पर पंचायतों के लेवल पर और पंचायत समितियों के लेवल पर पार्टीबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। प्रधान आज यह सोचता है कि १५ आदमी मेरे कब्जे में होंगे तो बाकी के सरपंचों का गला घोट दिया जायगा। बाकी के सरपंचों का तो एक रुपये के गबन पर चालान होता है और जितने सरपंच उनके हैं उनको गबनों से बचाया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर के अन्दर एक सरपंच को डूंगरपुर पंचायत समिति के द्वारा मिनिस्टर साहब ने सस्पेण्ड करा दिया। कई सरपंचों ने हजारों रुपयों का गबन किया। मैं आपसे अर्ज करूं कि सीमलवाड़ा के भूतपूर्व प्रधान श्री हीरजी भाई रह चुके हैं। वे सोसाइटी चलाते हैं और हजारों रुपयों का गबन किया है। पुलिस में वे केस दर्ज करा दिये गये हैं लेकिन पुलिस में केस दबे हुए पड़े हैं। उनके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है क्योंकि वह व्यक्ति उस क्षेत्र का है जहां से श्री भीखाभाई विजित हुए हैं और जितने हमारे साथी हैं उनको चारों ओर से दबा रखा है। जो प्रजातन्त्र राज्य के लिए उचित नहीं है।

मेरा यह निवेदन था कि राजनैतिक दलों से बाहर रहने के लिए और पंचायती राज्य को मजबूत रखने के लिए प्रधान का बालिग मताधिकार के द्वारा चुनाव होता तो सबसे अच्छा होता बनिस्बत कोऑप्टेड मेम्बर सरपंच पंचों को हटाकर बालिग मताधिकार के द्वारा होता तो अधिक खर्चीला चुनाव नहीं होता। आज कांग्रेस सोच रही है कि हम हमारा बहुमत कौनसे दरवाजे से लावें। कांग्रेस यह भी सोच रही है कि हमारा बहुमत जिला परिषदों में किस तरह से आवे, ताकि सबसे अधिक पॉवर जिला परिषद् को देवें। आज तो आपने प्रधान को मत देने का प्रावधान पंचों को दिया है और आगे जाकर फिर बदल जाओगे कि प्रधान का चुनाव जनता द्वारा हो, यही आपकी नीति कब तक इस तरह बदलती रहेगी? मेरा यह निवेदन है कि उन स्थानों के लिए जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कॉस्ट का एरिया घोषित किया हुआ है वहां के लिए उन स्थानों के गांवों के लोगों को नेतृत्व देने

(श्री विजयपाल कटारा)

के लिए आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लिए कुछ सीटें ५०–६० प्रतिशत रिज़र्व होतीं तो वहां के लोगों को अधिक नेतृत्व करने का मौका मिलता, वर्ना जो लोग पैसे वाले हैं वे अपने आदमियों को पैसा देकर वोटर्स को खरीद लेते हैं। मेरा यह निवेदन है कि ५० पर्सेन्ट या ६० पर्सेन्ट प्रधान और सरपंचों के लिये रिज़र्वेशन होता तो हम भी पंचायत राज्य के लिये गांधीजी के मूलभूत सिद्धान्तों के लिये आगे रहते, लेकिन इन सिद्धान्तों को छोड़ कर किस ओर पंचायत राज्य जा रहा है यह देखने की बात है। इसलिये मैं पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिये तो जरूर सोचें। आने वाली पीढ़ी के लोग यह नहीं सोचें कि शिड्यूल्ड ट्राइब के मिनिस्टर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर गये। वे भूल गये हैं और आज उनके नाम से लोग रो रहे हैं। मैं मानता हूं कि केबिनेट में उनकी क्या हालत है, क्या नहीं; लेकिन उनको अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिये। उसका प्रयोग नहीं करके मुख्य मंत्रीजी के आदेश अनुसार चलते हैं और उनकी कठपुतली बन कर रहते हैं, उनकी चाटुकारी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं और आदिवासियों को वे बिल्कुल भूल गये हैं। दूसरी मेरी यह अर्ज है....

श्री सभापति : आप जो कुछ कहें बिल के बारे में कहें।

श्री विजयपाल कटारा : बिल के सम्बध में ही कह रहा हूं।

इन संघर्षों से बचने के लिए हमको सबसे पहले पंचायतों को राजनीति से बहुत दूर रखना पड़ेगा। मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में तीन पंचायत समितियां पड़ती हैं और मैं तीनों में बराबर जाता हूं और बराबर सहयोग के रूप में उनमें काम करता हूं लेकिन हमें वहां सिर्फ बैठने और बोलने का ही अधिकार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंचायतों की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, अभी पंचायतों की अवधि ३ साल की है इस बारे में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि यदि ढाई साल की ही अवधि रहे और पंचायत समिति की अवधि भी यही रहे तो सबसे अच्छा रहेगा।

पंचायतों के अंदर और पंचायत समितियों के अन्दर अभी प्रधान के लिये कोई अधिकारी नहीं है। आज प्रधान और बी० डी० ओ० दोनों ही आपस में मोटर में बैठने के लिए लड़ते हैं और उनमें आपस में मतभेद पैदा होता है और उनमें मतभेद होने से विभाग के जितने काम है वे रुक जाते हैं। आज प्रधान को कोई पॉवर्स नहीं हैं कि वह अपने अधिकार से कोई काम कर सके। उदाहरण के के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि सीमलवाड़ा पंचायत समिति का प्रधान अलग अपनी साइकल पर बैठ कर जाता है और बी० डी० ओ० मोटर लेकर अलग जाता है; ऐसी सूरत में पंचायत समिति की जीपें जिला हैड क्वाटर पर होनी चाहिए। जब प्रधान या बी० डी० ओ० का टूर निश्चित प्रोग्राम बना कर मय कलेक्टर की पर्मिशन से ले जावें; प्रधान को कम से कम अच्छे अधिकार देने चाहिये। बी० डी० ओ० को अधिकार ज्यादा देते हैं लेकिन पंचायत राज्य में प्रधान को अधिकार ज्यादा देने चाहिये ताकि ग्रामिणों में वह

(श्री विजयपाल कटारा)

अपना नेतृत्व कर सके और अपने अधिकारों से सही काम कर सके। उनको अधिकार नहीं देकर डिक्टेटर के रूप में बी० डी० ओ० को दिये हैं; बी० डी० ओ० सरपंचों के मामूली काम भी रोक देता है, हिसाब-किताब को रोक देता है। प्रधान और बी. डी. ओ. के पीछे सरपंच अपने कंधों पर थैला डाल कर चक्कर मारा करते हैं, घूमते हैं और फिर भी वह उनके मामूली काम भी रोक देता है। लोग प्रधान के पास जाते हैं तो वह कहता है कि बी. डी. ओ. के पास जाओ और जब बी. डी. ओ. के पास जाते हैं तो वह कहता है कि ये बातें तो कानून में नहीं आतीं, एस्टीमेट में नहीं आतीं और वे लोग इस तरह लटक जाते हैं। पंचायतों में जिनको ठेके दिये जाते हैं वे भी बी. डी. ओ. के पीछे-पीछे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं ? इसलिए कि बी. डी. ओ. को आपने सबसे अधिक अधिकार दिये हैं। कम से कम नक्शे के अनुसार सरपंचों को काम देना चाहिये था वह भी नहीं देते हैं। सरपंच और पंच पढ़े-लिखे नहीं होने से काम नहीं कर पाते हैं।

पंचायत समिति सीमलवाड़ा में राजनीति के कारण इतनी गड़बड़ है कि पंचायत समिति की कम से कम जांच समिति बैठानी चाहिये। मैं प्रूफ देकर बता सकता हूं कि वहां पर पैसे दिये जाते हैं। पंचायत समिति के बारे में मैंने लिखकर कलेक्टर को दिया। पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटी में एम.एल. ए. को बैठने का अधिकार है लेकिन वहां के बी. डी. ओ. ने कहा कि आपको बैठने का अधिकार नहीं है जब कि कानून में लिखा है कि बैठने का अधिकार है; लेकिन उन्होंने कानून की अवहेलना की है, उनके खिलाफ फौरन एक्शन लेना चाहिये। आप जानते हैं कि बी. डी. ओ. अनपढ़ लोगों के बीच स्टेन्डिंग कमेटी में बैठता है तो मनमाने ढंग से पैसा मन्जूर करवा लेता है। ऐसी लिस्ट मुझे प्राप्त हुई हैं, उसमें इस प्रकार से रुपये बांटे गये हैं। ऊपर न० १ से ३ तक ६००-६०० रुपये का अनुदान दिया गया। १८ से २० तक इसी तरह उन्हीं लोगों को दुबारा सेंक्शन दी गई है। क्या यह प्रजातन्त्र है ? इसकी जांच करनी चाहिए। इसी प्रकार १० हजार रुपयों के पेड़-पौधों को बाहर गुजरात से खरीदने के लिए बी. डी. ओ. ने मन्जूर करवाये। ये पेड़-पौधे किन २ काश्तकारों को कितने कितने दिये और कौन सी नर्सरी से खरीदे इस रकम के बारे में सरकार को तुरन्त जांच करनी चाहिए।

श्री सभापति : इन चीजों का बिल से क्या सम्बन्ध है ?

श्री विजयपाल कटारा : इसी प्रकार के कई घोटाले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बी. डी. ओ. को गलत अधिकार दिये हैं वे अधिकार उसको नहीं देने चाहिये, परन्तु चूंकि पंचायत समिति का कर्त्ता-धर्त्ता प्रधान है अतएव वे अधिकार प्रधान को देने चाहिए ताकि निर्माण के कार्य सुचारुरूप से करवा सकें। डूंगरपुर की सारी पंचायत समिति सीमलवाड़ा में मैं घूम कर आया हूं। वहां एक लाइन भी सड़क नहीं है, सारे निर्माण-कार्य अधूरे पड़े हैं। ४५ लाख रुपये दिये हैं उन अधूरे कामों को पूरा करावें, दूसरे

(श्री विजयपाल कटारा)

काम बाद में करावें। लेकिन एक भी काम पूरा नहीं कराया, उल्टे दो-तीन हजार कुओं के खड्डे और करवा दिये। हम नहीं चाहते कि जो अधूरे काम पड़े हैं वे वैसे ही पड़े रहें, उनको पहले पैसा देना चाहिए। पंचायत राज्य में जो व्यक्ति मनमाने ढंग से चाहे जैसे पैसे खर्च करवा दें उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिये। आज लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, ग्रामीण मर रहे हैं; इधर हजारों रुपयों का टैक्स लगाया जा रहा है और उधर हजारों रुपयों का गलत उपयोग हो रहा है। उन पैसों के लिए मैं कहता हूं कि ठीक ढंग से उपयोग में लीजिये। मेरा यही निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी से जो बिल आया है उसको तीन महीनों के लिए जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री डूंगाराम।

(अनुपस्थित)

श्री ललितमोहन।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-मु०) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित संशोधन विधेयक जो हमारे समक्ष पेश है उसको तीन महीनों के लिए जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

पंचायत एक्ट में जो संशोधन आया है वह पंचायत राज्य को गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें बहुत ही कमियां रह गई हैं और वे कमियां ग्राम के एक एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए उनको गहराई से सोचे बिना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें स्वराज्य कायम करना है, हम गांधीजी के स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए इस बिल में जो कमियां हैं उन पर मैं प्रकाश डालूंगा।

हमारे यहां जो पंचायत राज राजस्थान के अन्दर कायम किया गया और पंचायतें कायम हुई, उस समय इस पिछड़े हुए प्रान्त के लोगों की कई आशायें थीं कि इन पंचायतों के द्वारा हमारे राज्य का आर्थिक विकास होगा, और सामाजिक और राजनैतिक उत्थान होगा। इसके सम्बन्ध में एक बात मुझे खास तौर पर कहनी है कि हमारे प्रान्त राजस्थान के अन्दर जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, शिड्यूल्ड कॉस्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जहां अधिक रहते हैं उनको संविधान के द्वारा बैकवर्ड एरिया घोषित कर दिया गया है, उस एरिया की जनता आज भी पिछड़ी हुई है और अछूत है। वह किस तरह से है, वह मैं आपको बताऊं कि आज भी देश के अन्दर सरपंचों के स्थान पर आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं आने देना चाहते हैं। और जो सदैव पिछड़े हुए हैं उनको आगे न आने देकर जो व्यापारी हैं और दूसरे आदमी हैं वे डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट तरीके से इन सरपंचों के पद पर आकर बैठ गये हैं। मैं इसके लिए भीखाभाई को दोष देता हूं कि इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। वह तो इस पर ध्यान देता है, जैसा कि प्रवर समिति के सदस्यों ने असहमति पत्र दिया है, कि जॉइन्ट डवलपमेंट ऑफिसर्स को और ज्यादा पॉवर्स देते हैं। अगर मैं सरपंचों

(श्री ललितमोहन)

के स्थान आदिवासियों और शिड्यूल्ड कॉस्ट्स के लिए सुरक्षित करने की बात कहता हूं तो आप कहेंगे कि मैं सिर्फ आदिवासियों की बात कहता हूं। लेकिन पंचायत राज आ गया, वे वहीं के वहीं हैं। मैं कहूंगा कि आज सत्रह साल आजादी को मिले हुए हो गये, लेकिन आदिवासियों काई फायदा नहीं हुआ है, शिड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरपंचों के स्थान आदिवासियों शिड्यूल्ड कॉस्ट्स के लोगों के लिए सुरक्षित होने चाहिए. और प्रधान के स्थान भी आगे जाकर सुरक्षित होने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि सरकार की नीति दुधारी तलवार जैसी है। वह कहती है कि एम. एल. ए. के लिए तो सुरक्षित सीट होगी और सरपंच के लिए वह वोटरों के द्वारा चुना जाय। मैं समझता हूं कि अगर एम. एल. ए. के लिए तो सुरक्षित सीट हो और प्रधान कोई दूसरा आवे, यह अन्याय है। मैं पूछता हूं कि सरकार इस तरह का अन्याय कब तक करती रहेगी। मैं समझता हूं इस सरकार की तो लुटिया डूब गई है। जनता इससे ऊब गई है और उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं जिनकी तनख्वाह पन्द्रह सौ और दो हजार है उन लोगों के लिए तो प्रीवीपर्स जैसा दे देते हैं और एम. एल. एज. और एम. पी. के लिए इस प्रकार का प्रोवीज़न करते हैं, यह अन्याय है। ऐसा एम. एल. ए. ने क्या अन्याय किया है, एम. पी. ने क्या अन्याय किया है? वह अपने अनुभव से और जो नियम और पॉलिसी देश के लिए बनती है उनसे जिला परिषद को लाभ दे सकता है, क्षेत्रीय जनता को लाभान्वित कर सकता है। इसके अलावा जो कमियां हैं हमारी मौजूदा सरकार की और क्या गति-विधि है वह भी देखता है, उससे वह लाभ पहुंचा सकता है।

इसके अलावा आपने बालिग मताधिकार से चुनाव करने का नियम रखा है। मैं चाहता हूं कि बालिग मताधिकार प्रधान का भी चुनाव होना चाहिए। जब प्रमुख के लिए और सरपंच के लिए कर रहे हैं तो प्रधान के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पंचायत समिति नहीं बनी थी तो एम. एल. ए. ही सारे काम करता था, आज भी करता है। लेकिन प्रधान की जब पॉवर ज्यादा हो गई है, प्रधान के पास ज्यादा शक्ति आ गई है, वह जनता का ज्यादा हित कर सकता है, सफाई के बारे में, खेती के बारे में और चहुँमुखी विकास के बारे में। जब प्रधान का जनता से सीधा संबंध है तो क्यों नहीं इसका भी बालिग मताधिकार से चुनाव हो? मेरा सुझाव है कि प्रधान का डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिए। इनडाइरेक्ट चुनाव प्रधान का नहीं होना चाहिए। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि सरपंच और पंच मिल कर वोट देंगे। यह अधूरा काम रह गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्रह साल के बाद भी पंचायती राज लूला-लंगड़ा रहा है। आगे यह मजबूत हो जायेगा ऐसी बात सुनने में आई है। लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि भविष्य में मजबूत हो जायगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिए।

इसके बाद में मेरा निवेदन है कि जो ग्रामदान का बिल चल रहा है राजस्थान में, उससे लोगों को कोई फायदा नहीं है। लेकिन लोगों की भावनाओं को उभारा जाता है और

(श्री ललितमोहन)

उनको अपनी ओर करने के लिए, आकर्षित करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं है। जो ग्रामदान हुआ है उसमें कांग्रेस के ही सारे लोग हैं वे कांग्रेस का प्रचार करते हैं। जो ग्राम सेवक हैं वे बैठे रहते हैं और काम नहीं करते हैं। उसी एरिया में पंचायत समिति डेवलपमेंट के काम करती है, ग्राम काफी काम करती है। इस प्रकार यह वेस्ट ऑफ मनी है। मेरा निवेदन है कि जन-संख्या के आधार पर डवलपमेंट के काम करने चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय जवाब दें तो इसका स्पष्टीकरण जरूर करें।

श्री सभापति : केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक पर आज प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने विचारार्थ है। इसके सम्बन्ध में सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मुझसे पूर्व काफी कहा जा चुका है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना जरूरी समझूंगा कि जो इस विधेयक को लाया गया है, इसके अन्दर ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में बताया गया है; इसमें यह स्पष्ट इशारा है कि जो स्टडी टीम पंचायत राज्य की बनाई गई थी सादिकअली साहब के चेअरमैनशिप के अन्तर्गत, उसको सामने रख कर बिल को लाया गया है। उस कमेटी के ऊपर इतना पैसा व्यय हुआ, उन्होंने समय व्यतीत करके काफी मीटिंग करके, जगह-जगह घूम-घूम कर इतना अध्ययन किया तो अच्छा यह होता कि उस रिपोर्ट पर इस सदन के अन्दर विचार-विमर्श होता। और उससे कोई बात निकलती नई तो सरकार उस पर विचार करके एक नया संशोधन विधेयक रखती। लेकिन सरकार ने ऐसा न करके यह विधेयक जो सामने रखा है उस पर मैं अपने विचार प्रगट करना चाहूंगा।

सभापति जी, जहां तक इस पंचायत राज का होना आवश्यक है, मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति होगा जो इससे इन्कार कर सके। आज के युग की जो अवस्था है इसके प्रवर्तक थे गांधी जी।

मैं समझता हूं कि उन पंचायतों का विकास उस प्रकार से नहीं हुआ जिस उद्देश्य से हमने पंचायत राज्य को बनाया था। आज हमारे यहां पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं; ये तीन स्टेजेज़ हमारे यहां पर हैं, लेकिन इन तीनों स्टेजेज़ के बावजूद भी स्थिति यह हो गई है कि पंचायत राज्य का असली बेस है, वहां हम नहीं पहुंच पाये हैं। जो पंचायतें हैं और वहां पर पंच आदि हैं उनकी महत्ता नाम मात्र की रह गई है और इस बात को सादिकअली ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है और इस ओर इशारा किया है। जो लोग वहां पर पंच और सरपंच आदि चुन कर आते हैं वे अपने असली महत्व को नहीं समझते हैं कि पंचायती राज्य का क्या अर्थ है? मैं समझता हूं कि आप चाहे जैसा एक्ट क्यों न बनावें, मगर उसको इस प्रकार की कोई चीज नजर नहीं आती कि वे इस प्रकार का गर्व कर सकें कि हमारे यहां राजस्थान में पंचायत सिस्टम ठीक तरह से चल रहा है और कामयाब हुआ है। आज पंचायतों की हालत इस प्रकार की हो रही है कि पंच और सरपंच अपने अधिकारों के लिए दौड़-धूप करते हैं। आप पंचायत समितियों और जिला परिषदों को ही ले लें आप देखेंगे कि उनके चुनावों के लिए जो लोग भाग-दौड़ करते हैं और पंचायतों में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अथवा पंचायत समितियों आदि में आना चाहते हैं, वे व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हों, जो थोड़ा सा प्रतिभाशाली है या अपना प्रभाव रखता है, वह इस दृष्टि से पंचायतों में नहीं आना चाहता कि उसको लोगों की सेवा करनी है, वह इस दृष्टिकोण को लेकर वहां पर नहीं आता कि उसको उस क्षेत्र की सेवा करनी है, जो कि वास्तव में पंचायती राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, वह इसलिये आना चाहता है कि उसको वहां सीट मिले और वहां पर आकर वह अपने पॉवर का उपयोग करे और उसको अपने क्षेत्र के आदमियों पर हुकूमत करने का अवसर मिले। और इसी प्रावधान को लेकर कोई भी आदमी जिला परिषद या पंचायतों में आने के लिए दौड़ता है और इसलिए बार-बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किन-किन क्षेत्रों में कौन खड़ा हो सकता है, कौन-कौन वोटर्स हैं। ये सब बातें सत्ता पाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए हैं। आप कानून में चाहे कितने ही संशोधन क्यों न लावें, मगर इसमें अन्तर नहीं आने वाला है। पंचों के स्थान आपने बढ़ा दिये। आप कितने ही बढ़ा दीजिए मगर फिर भी कुछ नहीं होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद का जिस स्टेज पर निर्माण होना चाहिये उस सिद्धान्त को देखते और किस तरह से आज एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको आप देखते तो मैं समझता हूं कि आपने उनको कभी का समाप्त कर दिया होता। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान और राजस्थान में और दूसरी सभी जगह पंचायतों में, विधान सभाओं और पार्लियामेन्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वर्क करती हैं और उसमें भी तहसीलदार और कलेक्टर लेवल के हैं, मगर विधान सभा और उसमें पार्लियामेन्ट की मशीनरी पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मशीनरी से भिन्न है। इसलिए जब तक यह मशीनरी बनी रहेगी पंचायत समितियां और जिला परिषदें फंक्शन अच्छी तरह से कर सकें, यह उनके लिए असम्भव है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायत राज्य बनाने का और पंचायती राज्य का विकास करने का जो नकशा महात्मा गांधीजी के दिमाग में था वह यह था कि उस गांव के रहने वाले यह समझें कि उस देश के और प्रान्त के शासक खुद हैं और उस हैसियत से वे वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जब तक मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहेगी। जब तक आप एस. डी. ओ. और तहसीलदार के पॉवर्स जिला परिषद लेवल तक नहीं देंगे तब तक यह जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह सब एक ढकोसला मात्र है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इनको पॉवर्स देकर मजबूत करें। आप उनको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पॉवर्स दें ताकि पंचायतों में रहने वाले लोग यह महसूस करें कि पंचायतें उनकी हैं। आज पंचायतें किसकी हैं? जो एक बार पंच और सरपंच चुना जाता है वह यह देखता है कि जब तक नया चुनाव नहीं होता उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उनको पॉवर्स दें। इसके अलावा मैं यह मांग करूंगा कि आप ग्राम सभा के व्यक्तियों को अनुभव

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करादें कि वे ही लोग वहां के राज्य को चलाने वाले हैं । इसमें आपके पास से कोई पैसा जाने वाला नहीं है, न मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि रेवेन्यू से कुछ पैसा दीजिए । मैं यह कहूंगा कि आप ग्राम सभाओं को अधिकार दीजिए कि वे पंच और सरपंच को चुन सकते हैं, मगर साथ ही उनको यह भी अधिकार दीजिये कि यदि किसी पंच या सरपंच या उनके द्वारा चुने हुए किसी भी व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अगर वह भ्रष्टाचारी हो तो उस ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वह उस चुने हुए पंच या सरपंच को वापिस बुला ले । अगर आपने उनको यह अधिकार दे दिया तो मैं समझता हूं कि पंचायतों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ग्राम्य जीवन में एक नया मोड़ आएगा ।

अब रहा अवधि बढ़ाने का प्रश्न । विधान सभा में आप ५ साल की बात रखते हैं लेकिन जब पंचायत समिति और जिला परिषद की बात होती है तो कहते हैं कि उनको पांच साल तक का अधिकार नहीं दिया जावे ; अगर उनको पांच साल तक बने रहने के अधिकार दे दिये जायेंगे तो वे डिक्टेटर बन जावेंगे । मैं यह कहना चाहूंगा कि आखिर वे वही व्यक्ति है जिन्होंने हमको चुन कर यहां भेजा है, जिनके द्वारा हम चुन कर आये हैं । मैं यह कहूंगा कि अगर आपने उनको वापिस बुलाने के अधिकार दिये तो यह सारी समस्या हल हो जावेगी ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, इस सदन में एक चीज नई लाई गई । वह यह कि पंचायतों में वार्ड बनाते समय यदि हमने शिड्युल्ड कॉस्ट के लोगों के लिये कोई सीट अलग रखी तो वहां पर जातिवाद पनपेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि वही सरकार जब पंचायत एक्ट बनाती है, वहां पर आपने इसका प्रावधान रखा और म्युनिसिपल एक्ट बनाया है, वहां पर आपने इसका प्रावधान रखा है तो मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों जगह अलग२ दृष्टिकोण सरकार क्यों रखती है? म्युनिसिपल एक्ट में आपने प्रावधान रखा है और नया अमेन्डमेंट किया है जिसमें भी शियूड्ल्ड कॉस्ट के लिये आपने जगह रखी है । आपने जनरल वार्ड बनाया । एक जनरल वार्ड और दूसरा रिज़र्व आ सकता है । लेकिन पंचायतों में आपने यह दृष्टिकोण क्यों बदल दिया ? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर मैं सादिकअली की रिपोर्ट से मतभेद रखता हूं कि रिज़र्व सीट से जातिवाद पनपेगा । इस मामले में मेरा दृष्टिकोण भिन्न है । आप एक जनरल सीट रखते हैं, अगर उससे मीना खड़ा होगा तो मीना-वाद पनपेगा, जाट खड़ा होगा तो जाट-वाद पनपेगा और आपने अपने बहुमत के आधार पर उनको वोट मिलेंगे और वे आवेंगे और अगर आपने किसी प्रकार से रिज़र्व सीट कर दी तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं; चाहे कोली हों, चाहे अन्य जाति के हों प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने व्यक्ति अमुक सीट के लिये खड़े करने होंगे । मान लीजिये एक सीट है, उसके लिये चार उम्मीदवार खड़े हुए और जब चार उम्मीदवार खड़े होंगे तो निश्चित है कि वहां पर भी जातिवाद चलेगा । आपने यह भी इसमें कहा है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट नहीं आया तो एक एक व्यक्ति को कोऑप्ट

Page No. 66

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करने का अधिकार दिया है। मान लें एक पंचायत समिति में ३० पंचायतें हैं तो ३० व्यक्ति तो शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के हो गये और पंचायत लेवल पर पहुंच जावेंगे; ये लोग तो पंचायत के पंच माने जावेंगे। आप अनुमान लगाइये कि एक पंचायत समिति जिसमें ३०० वोटर्स हैं उनमें ३० व्यक्ति एक ही जाति के हों तो क्या आप कह सकते हैं कि वहां पर जातिवाद नहीं पनपेगा?

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस): आप यह चाहते हैं कि वे वहां पर नहीं आवें?

श्री कृष्णकुमार गोयल: आप स्पष्ट कहें तो मैं इसका जवाब दूंगा।

(३.०० म.प.)

मेरा कहना स्पष्ट है कि वार्डों में विभाजन किया जाय, शेड्यूल्ड कॉस्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व की जाय, कोऑप्शन के माध्यम से मत लाइये।

और, सभापतिजी, इस शंका के अतिरिक्त मेरी एक शंका और है, वह अभी अभी इस विधेयक के द्वारा पैदा हुई है, पहले भी व्यवस्था थी, उसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई है और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति प्रधान या प्रमुख के लिये बाहर से नहीं आ जाय, उसी क्षेत्र का हो, उसी क्षेत्र का वोटर हो, इस व्यवस्था का होना वाजिब हो, लेकिन कोटा जिले में इस प्रकार की भयंकर परिस्थिति चल रही है, और और जिलों में है या नहीं मैं नहीं कह सकता, पर कोटा जिले का मुझे पूरा अनुभव है, वहां इस प्रकार की परिस्थिति है कि कुछ लोग घूम-फिर कर पंचायतों में, पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में बाहर से आना चाहते हैं, बैकडोर से आना चाहते हैं। उन्होंने गांवों में वोटर लिस्टों में अपने नाम दर्ज करा लिये हैं। वे रहते कोटा में हैं, वहां बड़ी-बड़ी सोसाइटीज के, संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, रहते कोटा में हैं, मकान कोटा में बने हुये हैं, पर गांवों में वोटर्स लिस्टों में नाम दर्ज करा दिया है। इसका कारण यह है कि यद्यपि एक्ट में प्रावधान है, एक्ट में 'रिजाइड' शब्द की व्याख्या करने की कोशिश की है पर कोई भी उस व्याख्या के अनुसार वहां बैकडोर से घुस सकता है। एक साल भर में १८० दिन उस जगह वह रहता है तो वह वहां का वाशिन्दा मान लिया जायगा, यह 'रिजाइड' शब्द की व्याख्या की है। कोई भी उस गांव में रहता है इसका साबित करना कितना मुश्किल होगा इस व्याख्या के कारण। उस गांव का रहने वाला असली व्यक्ति जो चुनावों में आना चाहता है पर बैकडोर से उसके स्थान पर दूसरा शहर का रहने वाला व्यक्ति पहुंच जाना चाहता है। वह शहर का रहने वाला अधिक होशियार है, वह कितनी आसानी से आ जायगा? १८० दिन साल भर में यह वहां उस ग्राम में रहा है वह आसानी से साबित कर देगा और एक सीधा-सादा ग्रामीण उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा और साबित नहीं कर सकेगा कि वह शहर का रहने वाला है, गांव का रहने वाला नहीं है। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि उस क्षेत्र का रहने वाला आदमी ही प्रधान और प्रमुख बने तो इस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

व्याख्या को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा ताकि इसका कोई और दूसरा इन्टरप्रिटेशन नहीं किया जा सके और ग्रामों में वहां के रहने वाले ग्रामीण ही आ सकें।

प्रधान अथवा प्रमुख के लिये यहां यह कहा गया था कि एम. पी. और एम. एल. एज. को इन इलेक्शन्स से डिबार नहीं किया जाना चाहिये; मैं उस सुझाव का घोर विरोध करता हूं। आज गांवों में नेतृत्व पनपे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। गांवों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, उसका कारण यह है कि १७ साल की आजादी के बाद भी हम आज तक गांवों में नेतृत्व पैदा नहीं कर पाये हैं, शहरों के लोगों ने ही अपना नेतृत्व गांवों पर थोप रखा है। इसलिये इन पदों के लिये एम. एल. एज. और एम. पीज. को डिबार ही रखना चाहिये, चाहे वे ग्रामीण ही क्यों न हों क्योंकि एम. एल. एज. और एम. पीज. को जो उस ग्राम के रहने वाले हैं उनको एक नेतृत्व मिल चुका है, उनको एक क्षेत्र मिल चुका है वे उस क्षेत्र में काम करें। वे अपने विचार जिला परिषदों में दें, पंचायत समितियों में दें; पर यह नहीं कि वे लोग वहां प्रधान और प्रमुख बन कर बैठजायं। इसलिये एम. एल. एज. और एम. पीज. को जो डिबार किया गया है बिल्कुल ठीक है। मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से पूर्णतया सहमत हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसके दल के सदस्यों की तरफ से इस प्रकार का सुझाव आये कि इनको डिबार नहीं किया जाय तो इस प्रकार के सुझाव को सरकार किसी सूरत में स्वीकार नहीं करे।

सभापतिजी, कहते तो सब हैं कि पंचायतों को राजनीति से अलग रखा जाय; कांग्रेस, जनसंघ, स्वतन्त्रपार्टी, एस. एस. पार्टी, सभी पार्टियां कहती हैं कि पंचायतों में राजनीति नहीं आनी चाहिये---पर क्या यह सत्य नहीं है कि आज इनमें राजनीति आती है। आज यहां इस विधान सभा के सत्र के लिए कहा जा रहा है कि दीवाली से आगे इसका सत्र नहीं बढ़ाया जाय, क्योंकि पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्यों को पंचायतों के इलेक्शन से क्या संबंध ? राजनैतिक दलों का इन चुनावों से क्या सम्बन्ध ? इससे यह स्पष्ट है कि कहने को भले ही कहा जाय पर राजनीति को पंचायतों में घुसेड़े रखना चाहते हैं। यही नहीं स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं; मैं आज अपने साथ यहां लाना भूल गया; कांग्रेस पार्टी के लिए सक्यूलर जारी किया गया है कि पंचायतों के चुनावों के लिए सावधान रहें, जो संशोधन आने वाले हैं वे पन्चायत लेवल तक बांट दिये गये हैं। आपकी होड़ को देख कर फिर हम भी होड़ लगाते हैं और पार्टियां भी होड़ लगाती हैं। कहने को कह देते हैं, पर आज यह दौड़ लगाई जा रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साचौर) : दौड़ आप कर रहे हैं; कांग्रेस नहीं कर रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अगर एक घंटे के लिए मुझे गवर्नमेंट होस्टल जाने की सदन की इजाजत हो तो मैं कोटा जिला कांग्रेस कमेटी का सक्यूलर लाकर यहां दे सकता हूं; अगर नहीं दे दूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दें।

श्री दलपतसिंह (आबू) : यह तो जाग्रति की बात है, इसमें इस्तीफा देने की क्यां बात है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज कांग्रेस गांव–गांव में पंचायत लेवल तक घुसी हुई है। सत्य तो यह है कि हम पंचायतों में राजनीति को बनाये रखना चाहते हैं ताकि विधान सभा और संसद के लिए हमारे क्षेत्र सुरक्षित हो जायं। यहां विधान सभा में, संसद में या किसी मंच पर बोल सकते हैं कि पंचायतों में राजनीति को नहीं ले आना चाहिए, पर वस्तुस्थिति यह है कि पंचायत लेवल पर राजनैतिक दलों की छाया फैली हुई है। केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। मेरा स्पष्ट संशोधन है कि अगर सरकार दिल से पाक है, पवित्र है और दिल से यह चाहती है कि राजनीति पंचायत लेवल पर नहीं जाय तो संशोधन लाइये, इस प्रकार का नया क्लॉज़ लाइये कि अगर कहीं पर यह पाया गया कि किसी राजनैतिक दल ने या उस दल के किसी नेता ने पंचायतों के किसी भी चुनाव में किसी प्रकार से भाग लिया घोषित कर दिया है, कार्य लिया है तो उस चुनाव को अवैध जायगा। जिला परिषद एक्ट में और पंचायत समिति एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान लाइये तब तो इसका कुछ असर होगा अन्यथा आपका यह नारा कि पंचायत लेवल पर पोलिटिक्स को नहीं घुसने देंगे, यह नारा बिल्कुल व्यर्थ रहेगा।

इसके अलावा कुछ प्रावधान रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट से इसमें लिये गये हैं, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, पूरी तरह स्टडी नहीं किया है, पर ऐसा मालूम हुआ है। उनका क्या इन्टरप्रेटेशन होगा ? ग्रामीण जनता उनको समझ पायेगी अथवा नहीं, इस पर भी आप विचार कर लें। मैंने तो अच्छी तरह से देखा नहीं है। फिर कहीं ऐसा न हो कि पन्च सरपन्च बनने वाले हैं, वे ऐसे नहीं हैं कि अंग्रेजी के कानूनों को पढ़ सकें, उनको इसमें घुसा दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत एक्ट और जिला परिषद एक्ट इतने कॉम्प्लीकेटेड बन चुके हैं, इनमें इतनी गुत्थियां उलझ चुकी हैं कि पंच या सरपन्च उनका इन्टरप्रेटेशन लगा सकें यह संभव नहीं है। आज इस चुनाव व्यवस्था को समझने के लिए पन्च और सरपन्च के लिये जो व्यक्ति उम्मीदवार हैं उनको इस किताब को ले कर चुनाव व्यवस्था को समझने के लिए या तो किसी वकील के पास जाना पड़ेगा या किसी राजनैतिक नेता के पास जाना पड़ेगा और उनसे सारी व्यवस्था को समझ कर वह फॉर्म भरेगा। आप इसको इतना सरल बनाइये कि छोटे से छोटा व्यक्ति जो गांव का रहने वाला है चुनाव का फार्म भरने से पहले समझ जाय कि चुनाव की व्यवस्था यह है। अगर यह नहीं करते हैं, एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं तो इन लोगों को आप बड़ी उलझन में डालेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ३० व्यक्ति मिलकर प्रधान बनायें या ३०० व्यक्ति मिल कर प्रधान बनायें। पहले १६ आदमियों को पटाते थे अब पचास, सौ या डेढ़ सौ को पटायेंगे। पहले ५०० रुपयों में पटा लेते थे और अब ५००० रुपयों में या १० हजार रुपयों में पटा सकेंगे। अगर गांधीजी के असली पन्चायती राज को जमीन पर उतारना चाहते हैं तो ग्रामीण पन्चायतों को अधिक से अधिक पनपाइये, अधिक से अधिक अधि-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कार दीजिये । इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद ही पंचायत समिति और जिला परिषदों को एस्टेब्लिश कीजिये । पन्चायत समितियों, जिला परिषदों और कलेक्टोरेट ऑफिसेज़ को तोड़ना पड़ेगा, फिर नक्शा मिलेगा आपको पन्चायती राज का । बिना इनके दखल के, हर प्रकार से पन्चायतें काम करेंगी तभी हम समझ सकेंगे कि गांवों के रहने वाले किसान और मजदूर शासन करते हैं । इसलिए इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल "लाबादलक"!

(अनुपस्थित)

श्री चौसरसिंह बाबेल ?

श्री **चौसरसिंह बाबेल** (बेगूं) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन बिल में मैंने भी अपना एक सुझाव दिया है, उसमें मेरा निवेदन है कि जब तक गांवई जंगल और चरगोटा को पंचायतों के अधिकार में नहीं हो तब कहां का पंचायती राज ? किसान घास, लकड़ी आदि के लिये मारे-मारे फिरते हैं और उनको बड़ी तकलीफ होती है । बहुत सारी जगह चरगोट कायम नहीं हुए हैं । बड़ी-बड़ी पंचायतें है वहां हजारों मवेशी हैं, पर वहां चरगोट कायम नहीं हैं, जैसे बेगूं कस्बे में नहीं है जहां जमीनें अलॉट की जा रही हैं वहां पंचायतों को भंग गया किया, सरपंचों को मोअत्तिल किया गया, जिसके कारण उनको हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ीं । यह पंचायती राज नहीं पोलिटिक्स का राज हो रहा है । जहां पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, हजारों रुपया लगाकर गांवों के पैसे से लोगों से टेक्स वसूल कर के जहां सरकार की कोई मदद नहीं, जहां अपने पैसों से मकान, पब्लिक पार्क आदि बनाये हैं, उनके साथ इस प्रकार का सरकार के द्वारा अन्याय किया गया है । इस प्रकार की मेवासर पंचायत में मैं सरपंच था तो मुझे मोअत्तिल किया और मेरा लड़का सरपंच बना तो उसको मोअत्तिल किया गया । जहां अच्छा काम होता है वहां सरकार को अच्छी निगाह से देखना चाहिए और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान के लिए जिस प्रकार का अपील का प्रावधान रखा गया है वह नहीं होना चाहिये, जिस तरह का सरपंच को हटाने का प्रावधान है उसी तरह का प्रधान के लिये भी रहना चाहिए ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फ़ार्म देते वक्त नोमिनेशन फॉर्म दाखिल करते हैं तो निर्वाचन अधिकारी जिसको चाहे रिजेक्ट कर देते हैं । बिना किसी कारण के उनके फार्म को रिजेक्ट कर देते हैं । अनपढ़ आदमी को पढ़ा-लिखा बता देते हैं और लिखे-पढे आदमी को बिना लिखा-पढ़ा बता देते हैं रिजेक्ट करने का कोई नाप

(चौसरसिंह बाबेल)

तौल नहीं है , पढ़े-लिखे का कोई नापतौल नहीं है , जिस पर मर्जी होती है दस्तखत करने वाला भी सरपंच बन जाता है और जिस पर मर्जी नहीं होती अच्छे पढ़े-लिखे आदमी का नोमिनेशन भी रिजेक्ट कर देते हैं । कनीराम को जो कम पढ़ा-लिखा था उसका फार्म स्वीकार कर लिया गया और लक्ष्मीचन्द ढांबरिया हैं उनका फार्म रोक दिया गया , जो कि हिसाब-किताब सब कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जावे ।

इसी तरह मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घड़ी का टाइम उन लोगों द्वारा अपनी इच्छानुसार घटा दिया जाता है कभी बढ़ा दिया जाता है, इस पर निगाह रखी जावे । मोतीपुरा का सरपंच था वह दो घन्टे पहले से बैठा हुआ था पर घडी का टाइम पलट कर कह दिया कि तुम टाइम पर नहीं आये । इस पर भी सरकार विचार करे ।

इसके अलावा और भी अनेक तरह की गड बड़ियां कीजाती हैं उन पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चहिए । पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच में संघर्ष; मन-मुटाव चलते रहते है और पंचायत समिति यदि किसी एक पक्ष की है तो अपने से विरोधी पक्ष की पंचायतों के कामों में वह रुकावट डालती रहती हैं, रोज उसके हुक्म बदलते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि कलेक्टर का या अन्य इस प्रकार के किसी अधिकारी का हस्तक्षेप ऐसी दशा जहां हो रखा जाय । इस प्रकार के हस्तक्षेप के अभाव में अपने से विरोधी पक्ष की पंचायतों को ये पंचायत समितियां काम ही नहीं करने देती । इससे वहां की जनता को नुकसान होता है । विरोधी पक्ष के लोग भी यही चाहते हैं कि जनता के कल्याण के कार्य ईमानदारी के साथ अधिक तेजी से किये जायं, वे सरकार को इस प्रकार के कार्यों में हमेशा सहयोग देने को तैयार हैं और वे यह चाहते है कि हमारा राजस्थान राज्य आगे बढ़े, हमारा राजस्थान उन्नत और समृद्ध हो ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि लोगों को हाईकोर्ट में जाने का मौका न दें और न्याय के साथ सबको अधिकार दें

श्री सभापति : श्री हरिराम चौहान !

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभापति महोदय, सादिक अली रिपोर्ट के बारे में हमारे यहां जिस तरह की चर्चाएं थीं और जो सादिक अली रिपोर्ट से आशाएं, उम्मीदें लगाते थे कि सरकार की तरफ से पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों को अधिकार दिये जायेंगे और जो सरकार की कुछ नीतियां हैं उनमें कुछ बुनियादी परिवर्तन किये जायेंगे । लेकिन अब जिस तरह से यह बिल हमारे सामने आया है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि सादकअली रिपोर्ट की सिफारिशों को किसी तरह से पूरा नहीं किया गया, उसके सुझावों आदि को ठीक तरह से नहीं लिया गया और सादिकअली रिपोर्ट भी जो है उसमें स्वयं में आम लोगों का जो जन जीवन है उसके सम्बन्ध में कम विचार किया

(श्री हरिराम चौहान)

गया है, आम लोगों के जनजीवन की तरफ उसकी नजर कम गई है। आज चाहे हम पंचायती राज के बारे में, पंचायतों, पंचायत समितियों के बारे में कितने ही अपने विचार रखें, कितनी ही अपनी राय रखें कितना ही इनका स्वागत करें लेकिन हकीकत यह है कि इन पंचायतों से, इन समितियों और जिला परिषदों से जो भी कुछ फायदा हुआ है वह निश्चित रूप से धनी किसानों को, धनी वर्ग को देहातों में फायदा हुआ है जो आम हरिजन हैं, जो थोड़ी जमीन के मालिक किसान हैं, जो लोग मजदूरी से गुजर करते हैं, खेतों के ऊपर मजदूरी करते हैं, उनको इतना अर्सा गुजर जाने के बाद भी इन पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से आज तक कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। अब भी जिस तरह के कानून और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनमें जिस तरह के बुनियादी परिवर्तन होने नितान्त आवश्यक हैं, जो बुनियादी परिवर्तन उनमें होने चाहिये वह परीवर्तन आज हमारी सरकार करने को तैयार नहीं है। यह ठीक है कि पहले जिस तरह चुनाव होते थे, कुछ सरपंचों को कोई बड़ा नेता या मिनिस्टर, अपनी एक ही गाड़ी में २५,३० आदमियों को उठा कर ले जाता और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक पंचयात समिति का प्रधान चुनते लेकिन अब उसकी जगह सरपंचों को अधिकार दिया है, पंचों को अधिकार दिया है। वे पंचायत समिति का प्रधान चुनेंगे। उससे कुछ क्षेत्र व्यापक होगा। उसे कुछ पच्चीस-तीस वोटरों के बजाय और ज्यादा वोटरों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उसके अन्दर जो एक बड़ी जबरदस्त बेकारी पैदा की है, मैंने पहले भी जब पंचायत के सम्बन्ध में एक संशोधन बिल रखा था उस पर जब बहस हुई थी, मैंने उसमें यह रखा था कि हर प्रकार के कोऑप्शन को बन्द कर दिया जाय। डिप्टी मिनिस्टर लड्ढा साहब की तरफ से जवाब दिया गया था कि आप हरिजनों का कोऑप्शन बन्द करना चाहते हैं जब कि खुद उस सीट से आये हो। आज भी उसी तरह का जवाब दिया जावेगा क्योंकि पंचायत के अन्दर आज भी कोऑप्शन बरकरार हैं और हरिजनों के नाम का उपयोग करके जिन्दा रहना चाहते हैं क्योंकि हरिजनों के नाम का उपयोग किये बगैर जिन्दा नहीं रह सकते या सरकार के जितने मंत्री हैं उनका पद सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए चाहे गलत हो, फिर भी उसका उपयोग करते हैं।

आज भी महिलाओं और हरिजनों के लिए कोऑप्शन रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनको प्रेम है वास्तव में उनसे, वे यह कहना चाहते हैं कि गांव के हरिजनों की हालत सुधरे; गांव के हरिजन पॉवर में आवें तो उनको पूरी तरह से चाहे वह पंचायत हो, पंचायत समितियां हो, चाहे जिला परिषद् हो उनमें उनका रिज़र्वेशन कर देना चाहिये और उसके आधार पर ही चुनाव होने चाहिये। जिस प्रकार असेम्बली की सीट के लिए चुनाव होते हैं पंचायत से लेकर पंचायत समिति तक इलेक्शन हों। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे पंचायत समिति हो, प्रधान हो उसका, चाहे जिला परिषद् हो, वहां पर वे के वे ही बड़े बड़े आदमी हैं साधन-सम्पन्न लोग बने हुए है। इसलिए आज तक १२ साल के बाद भी जो सरकार हरिजनों के प्रति प्रेम उमड़ाती है अपना, जो बार-बार हरिजनों की दुहा

(श्री हरिराम चौहन)

देती है, क्या वह बता सकती है कि गत १२ साल में कोई पंचायत समिति का प्रधान हरिजन को पैदा किया, जिला परिषद् का प्रमुख हरिजन को किया। मिनिस्टर बन सकता है और बना सकते हैं लेकिन पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद् के प्रमुख के पद पर आज तक किसी हरिजन को नहीं लाया गया आपका यह कानून है, आपकी यह सारी व्यवस्था है इसके अनुसार पंचायत किसी भी हरिजन को इन जगहों पर आज तक नहीं लाया गया है।

श्री भीखाभाई (श्रम एवं पंचायत मंत्री): प्रधान और प्रमुख के बजाय एम. एल. ए. पैदा किये हैं।

श्री हरिराम चौहान : एम० एल० ए० से भी ये ज्यादा जिम्मेदारी की पोस्टें हैं। तमाम तकाबियां, सीमेन्ट चीनी बांटते हैं। जितने काम होते हैं उनका सारे का सारा एक वर्ग को फायदा होता है। इसका नतीजा लाजमी तौर पर यह होता है कि पंचायत समिति में जितने गरीब लोग होते हैं, साधन हीन लोग होते हैं और पिछड़े हुए आदमी होते हैं वे पंचायत समिति के दरवाजे पर जाते हैं तो सीमेंट के लिए तड़पते हैं, चीनी के लिए तड़पते हैं, तकाबियों के लिए तड़पते रहे हैं, वक्त पर तकावी नहीं मिलती है और जो साधन-सम्पन्न लोग हैं तमाम तकाबियों आदि का फायदा उठाते हैं। इस तरह से जो भी चाहे इन्डस्ट्रीज़ के नाम पर कोई कर्जा मिले वह भी ज्यादातर इन बड़े लोगों को मिलता है और हकीकत यह है कि ऐसे लोगों को मिलता है। कागजों में तो साबुन की फेक्ट्री है, गोशाला या डेरी फार्म के नाम पर या किसी और नाम पर वे तमाम चीजें कागजों में तो हैं लेकिन हकीकत में देखा जाय तो न कोई फेक्ट्री मिलेगी, न कोई डेरी फार्म मिलेगा और इस तरह का कोई भी कार्य जो कागजों में लिखा हुआ, वास्तविक रूप में उस जगह पर जाकर देखें तो नहीं मिलेगा और यह सरकार उनसे पैसा वापिस नहीं ले सकती। क्योंकि वे सरकार के बहुत ही नजदीकी लोग होते हैं और नेताओं की रहम पर जिन्दा रहते हैं और कांग्रेसी नेताओं को इन लोगों की जरूरत रहती है इन पंचायत के लोगों की अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिये। अपने पॉवर को गलत इस्तेमाल करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। भले ही यह कहें कि पंचायतों की राजनीति में कांग्रेस पार्टी दखल नहीं देगी और चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं लड़ेगी। चाहे ये किसी को टिकिट न दें लेकिन अन्दर से तो ये इसमें जी जान से लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा मंत्री बाकी नहीं रहेगा जो पंचायतों के इलेक्शन में नहीं जावेगा कोई भी कांग्रेसी नेता इस प्रकार का नहीं रहेगा जो नहीं जावेगा और अपने आदमियों को नहीं खड़ा करेगा। तमाम अपने मोहरे खड़ा करते हैं। यही नहीं विरोधी पार्टीयों से लड़ाते है। वह राजनिति तो और भी चली जाती है, वे तो आपसी गुटबन्दी के आधार पर पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव लड़ेंगे। गुटबन्दी के आधार पर ही उनका सारा कारोबार चलता है उसका लाजमी तौर पर यह नतीजा होता है कि शासक पार्टी जब यह काम करती है दूसरे लोगों पर भी

(श्री हरिराम चौहान)

इसकी प्रतिक्रिया होती है और प्रभाव पड़ता है ।

आज हम देखते हैं कि गांवों के अन्दर पंचायत राज में झगड़े बढ़े हैं, अदालतों में लोग ज्यादा जाते हैं और तरह तरह की फूट गांवों में पैदा हुई है और देहातों और शहरों के बीच में फर्क पैदा किया गया है। एक म्युनिसिपैलिटी है, उसको अधिकार है, उसके अधिकार में और एक पंचायत है उसके अधिकार में फर्क है। म्युनिसिपैलिटी के अन्दर किसी भी गली में सड़क बनानी हो, कोई भी श्रमदान करना हो तो श्रमदान महसूस करते हैं । लेकिन यदि पंचायत में एक मील की सड़क बनानी है, पंचायत भवन बनाना है तो उसके अन्दर श्रमदान की बात की जावेगी , बगैर श्रमदान किये उनको पैसा नहीं मिलता, कोई काम नहीं होता और उसका लाजमी तौर पर यह नतीजा होता है कि वे तमाम के तामम सरपंच हैं वे बी. डी ओ साहब. से कहते हैं श्रमदान लोग करते नहीं हैं इसलिए झूटा बिल बनाने की इजाजत दी जाय और बी. डी ओ. साहब खुद कहते हैं कि श्रमदान का बिल झूठा बनाकर लाइये । वे इस तरह से लोगों को करप्ट करते हैं । एक ही बार झूठा बिल बनाने की आदत पड़ जाय , सार्वजनिक काम के लिए झूंठा बिल बनायेगा तो अपने काम के लिए भी बनायेगा। इस तरह से पंचायतों से जो फायदा होना चाहिये बजाय फायदे के एक गलत वर्ग उनमें पैदा किया जा रहा है और इस प्रकार से पंचायतों में गलत तरीके से नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता जावेगा। बी. डी. ओ. सेवा करने के लिए मौजूद नहीं। जिस प्रकार से उसकी ड्यूटीज़ हैं उनके अनुसार उस तरह से कतई काम नहीं करता है। सरपंचों पर अफसर बना हुआ है। गांव के जितने लोग है उन पर एक अफसर बना हुआ है । सरकारी जीप का दुरुपयोग करता है। अच्छी तनख्वाह मिलती है। अच्छा यह हो कि इस कानून के अन्दर इस तरह का संशोधन कोई आये कि बी. डी. ओ. जैसी पोस्ट पंचायत में नहीं रहेगी, बी. डी. ओ. की जरूरत नहीं है, गांव के अन्दर अफसर नाम का कोई आदमी नहीं जाना चाहिये ।

एक तरफ पंचायत राज की बात करते हो और दूसरी तरफ अफसर बिटाने की बात करते हो। बी. डी. ओ. एक बड़ा अफसर है, दूसरा एस. डी. ओ जाकर बैठेगा। कुछ तो आखिर नौकरशाही बी. डी ओ. की चलती है और फिर एक एक मिलकर ११ हो जावेगें । वे और नौकरशाही चलावेगें। सरपंच से बी. डी. ओ. धर का काम करावेगा अपना थैला उठवाता है। फिर एस. डी. ओ. अगर आने लगा तो और नौकरशाही बढ़ जावेगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सोचोर) : कहा पर है ऐसा ?

श्री हरिरामचौहान : यह तो हकीकत है। है हकीकत बयान करता हूं। शौक से उठाते हैं मिनिस्टर लोगों के उठाते हो। इस सरकार के सारे काम परदे के पीछे

(श्री हरिराम चौहान)

हैं । आपको हुक्म मिलता है । आप उनका पानी भरते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : आप तो चीन का भरते हैं ।

श्री हरिराम चौहान : इससे नौकरशाही को बल मिलता है और चुने हुओं की हैसियत कम होती है । एस. डी. ओ. के पास मुकद्दमें भी होते हैं तो वह भी वहां बैठेगा तो उन तमाम सरपंचों का मनमाने तौर पर उपयोग कर सकता है । जो पोलिटिकल समझ उनकी है उसके मुकाबले में एस. डी. ओ. की समझ ज्यादा है । जिस वर्ग से वे लोग आते हैं वह उनसे भिन्न है । इसलिये मैं समझा हूं कि यह नौकरशाही जो पंचायतों के अन्दर बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाना जरुरी है और जो अभी दबा हुआ पिछड़ा तबका है उसको ऊंचा उठाना जरूरी है ।

जहां तक कोऑप्शन का सवाल है किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये । वर्ना तो यह कांग्रेस के ही फायदे में पड़ेगा और इसीलिये वे इसे हटाना नहीं चाहते ।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों का कोऑप्शन और महिलाओं का कोऑप्शन भी ?

श्री हरिराम चौहान : अगर १५ सीटें हैं तो रिज़र्वेशन इनका पर्सेन्टेज १२॥ पर्सेन्ट के हिसाब से की जानी चहिये इनकी सीटें । हरिजन और महिलाओं का रिज़र्वेशन होना चाहिये । उनकी सीटें रिजर्व कर दी जावें । इस आधार पर हरिजन ज्यादा भी आ जावेंगे और वे आम लोगों के प्रति वफादार रहेंगे, आम लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां होंगी । इस तरह से कोऑप्शन से तो मुफ्त के वोट कांग्रेस समझती है । उनकी स्कीम के अनुसार ३०-४० के करीब वोट आते हैं और उनको वे अपने पक्के वोट समझते हैं । पर मैं कहता हूं हरिजन इस मुगालते में न रहें कि उनका यह कोऑप्शन चलेगा । वे तब तक चलाना चाहेंगे जब तक उनके वोट कांग्रेस को मिलते रहेंगे । जिस दिन यह गारन्टी टूट जावेगी उसी दिन रिज़र्वेशन और कोऑप्शन भी चला जावेगा । उस रोज फिर और सिस्टम आवेगा, और ही बात होगी, यह आप तजुर्बे से सीखेंगे । तो मेरा यह सुझाव है कि कोऑप्शन जैसी बीमारी को कतई तौर पर हटा देना चहिये और रिज़र्वेशन रख दें ।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि एम. एल. ए. और एम. पी. क्योंकि उनके पास किसी भी तरह के हों; पद हैं, तो उनकी जगह दूसरे लोग नहीं आने चाहिये । जिला प्रमुख भी एम. पी. नहीं बनना चाहिये, पंचायत समिति का प्रधान एम. एल. ए. नहीं बनना चाहिए । इसका मैं स्वागत करता हूं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्यों नहीं बने, यह बता दो ?

श्री हरिराम चौहान : दबाव और घुसपुस हो और वापिस हो जावे, यह ठीक नहीं है और यह जो भी कुछ संशोधन पहले के मुकाबले में आया है उसका भी मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम परपंचों से पंचों तक

(श्री हरिराम चौहान)

तो पहुँचे। अच्छा यह होता कि आम लोगों के वोट लेते। तकलीफ होती है, कठिनाई महसूस होती है तो आप और तजुर्बे से रोकेंगे। आगे चलकर आप और कुछ करेंगे।

श्री सभापति : पहले जिन्होंने संशोधन दिये हैं वे पेश कर दें। जो फिर बाकी रह जावेंगे, उनको मैं फिर मौका दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : नोट ऑफ डिसेन्ट देने वाले कब बोलेंगे? जनमत के लिए प्रसारित करने वालों को तो मौका दे दिया। स्टेन्डिग कमेटी (सिलेक्ट कमेटी) में फिर भेजने वालों को तो बाद में आना चाहिये।

श्री सभापति : सदन की जैसी मन्शा हो वैसा कर सकता है। जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं वे पहले बोल लें। इसके बाद आप बोल लें।

श्री दलपतसिंह (आबू) : Point of Order, Sir, मैं निवेदन करना चाहूंगा कई मेम्बर बाद में बोलना चाहते हैं, तो यह राइट तो है। हाउस का प्रिविलेज है।

श्री सभापति : समय होगा तो अवश्य मिलेगा।

श्री गंगासिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह !

श्री मानसिंह महार (आमेर): आदरणीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष बहुत महत्व-पूर्ण मसला प्रस्तुत हुआ है। मैं तो यह कहूंगा कि इस विधान सभा के कार्य-काल में इससे कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने नहीं है।

जब सरकार ने सादिकअली कमेटी मुकर्रर की तो हम समझते थे कि हमारे देहाती इलाके का कायाकल्प होगा। हम इस कमेटी के सम्बन्ध में आशावान थे। जब सिफारिश आई तब भी उम्मीद बंधी थी कि कुछ सुधार तो अवश्य होगा। पर, सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य का विषय है कि न तो उस रिपोर्ट पर ही किसी प्रकार की बहस इस सदन में आज-तक हुई और न वह रिपोर्ट ही हमें दी गई। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जिस रिपोर्ट को तैयार करने में इतना समय और इतना पैसा खर्च किया गया वह रिपोर्ट इस सदन में बहस के लिए नहीं आई। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। दुर्भाग्य ही नहीं, अयोग्यता का सरकार का नमूना भी है। मैं तो यह कहता हूं। इतना इम्पोर्टेन्ट मसला है और इसको सरकार सदन में नहीं लाई। इसमें मुझे तो कोई राज मालूम पड़ता है।

सभापति महोदय, जब इसको सदन में नहीं लाया गया तो हमसे कहा गया कि पंचायतों का चुनाव बहुत जल्दी आ रहा है। अब तो आप एक हिस्से में एमेन्डमेन्ट ला कर हमें कुछ कर लेने दीजिए। फिर आइन्दा चीज बाद में कर ली जावेगी। हम भोले-भाले एम. एल. ए. लोग इस सरकार की धूर्तताभरी बातों में आ कर चुनाव जल्दी करा रहे हैं तो इस रिपोर्ट को खत्ते में पड़ जाने दो। पर चुनाव हो जाने दो। पर दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए नहीं, राजस्थान प्रदेश के लिए कि इस सरकार की नीयत में फितूर है। मैं यह आज सदन में कहना चाहता हूं। इस सरकार ने जो नवम्बर के आखरी सप्ताह में पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला किया था उस पर कायम नहीं रह

(श्री मानसिंह महार)

रही है, मुकर रही है। अब यह ढोंग रच रही है कि हम चुनाव जनवरी में करावेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): यह तो आपके लिए ठीक है।

श्री मानसिंह महार: आप सुनिये, काश्तकार आप भी हैं, मैं भी हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपके नेता ने तो मार्च का समय मांगा है।

श्री मानसिंह महार: तो मैं उसी पर आ रहा हूं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): तो पहले सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आ जाती तो उस पर बहस कर लेते और उसके बाद बिल आ जाता तो अच्छा होता।

श्री मानसिंह महार: आप सुनिये जब पोल आती है तो डरना नहीं चाहिए। सत्य तो सत्य ही होकर रहता है वह छुपाये नहीं छुपती। मुझे मालूम है आप सोमवार तक ऐलान करने वाले हैं कि पंचायतों के चुनाव जनवरी के प्रथम सप्ताह में कराये जायेंगे। यह मुझे निश्चित रूप से मालूम है लेकिन वह भी एक आपकी चाल है और फरेब की टट्टी है। आप यह भी नहीं चाहते, आप तो पंचायतों के चुनावों को और भी खिसकाना चाहते हैं। आप मार्च या अप्रेल में करायेंगे और उसका भी मुझे विश्वास नहीं है कि आप तब भी करा देंगे क्योंकि आप घबराये हुए हैं, बौखलाये हुए हैं। आप इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि आप चुनाव करा सकें। इसलिए मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि आप तो सादिकअली कमेटी के सदस्य भी थे इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बिल के ऊपर चर्चा हो जाये, डिस्कशन हो जाये और जब क्लॉज़-बाई-क्लॉज़ डिस्कशन की नौबत आये तो इसको स्थगित कर दिया जाये और यह कहा जाये कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट एनब्लाक यहां पर लाई जाये, उस पर बहस हो तब इस प्रकार के एमेन्डमेन्ट आयें तो कोई तरीका है। यह तो वही बात हो गई "You are putting the cart before the horse." वह चीज कर रहे हैं। आप गाड़ी को घोड़े के आगे रख रहे हैं। यह उल्टा काम मत करिये। मैं जानता हूं कि पहले भी पंचायतों का दुर्भाग्य था कि पिछले चुनावों में तो हमारे दा साहब मंत्री थे और अब हमारा और भी दुर्भाग्य है कि हमारे श्री, श्री १०८ भीखाभाईजी मंत्री हैं। वे जरा कमजोर हैं। कोई उन्हें कुछ कहें तो वे कहते हैं, कि अच्छा भई खिसका दो। वे दब्बू आदमी हैं मैं उनकी नीयत को बुरा नहीं मानता, लेकिन वे दब्बू बहुत हैं। क्या करें बेचारों के बारे में मुझे भी तरस आती है उनकी हालत पर। तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि या तो मंत्रीजी हिम्मत के साथ कह दें और सदन के अन्दर वायदा करें कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में पंचायत चुनाव हो जायेंगे अगर आप में गट्स हैं तो........

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री): वह तो इलेक्शन मिनिस्टर ने कहा था इसलिए वही कहेंगे।

श्री मानसिंह महार: यह मैं जानता हूं कि ज्वोइन्ट रेस्पोन्सीबिलिटी है आप यह कह कर मत टालिये कि चुनाव मन्त्री जी करेंगे या मुख्य मन्त्री करेंगे।

श्री भीखा भाई: Now panchayat elections will be conducted by the Elections department and not by the

(श्री भीखाभाई)

panchayat Department. I do agree that there is joint responsibility but this House is supreme which will decide it. The leader of the opposition some time suggested that elections should be postponed.

श्री मानसिंह महार : बड़े दुःख की बात है । जो मैं कह रहा था वह सत्य हो गया । आप घबराइये मत, मैं जानता हूं आप चुनाव नहीं करा सकते । मगर आप दुनिया को 'मुगालते में क्यों रखते हैं ? आप ईमान दारी से कह दीजिए लोग बेचारे फिर क्यों फिजूल में भाग दौड़ करें । हमारे उप-शिक्षा मन्त्री जी २६ तारीख को बड़गांव पधारे थे

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा): मैं तो आगरा का किला देखने जा रहा हूं ।

श्री मानसिंह महार : आगरा से अधिक उपयुक्त जगह और हो ही नहीं सकती आपके लिए, यह मैं जानता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां की तस्वीरें देखने जा रहा हूं ।

श्री मानसिंह महार : हम भी आपको आगरा ही पहुँचाना चाहते थे । आप बिना कहे ही चले, चलो यह अच्छा हुआ । आप वहां अपनी दुरुस्ती कर लेना ।

श्री सभापति : Come to the bill now. To the bill please.

श्री मानसिंह महार : चैयरमैन महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप कुछ एमेन्डमेन्ट्स लाते हैं तो वह गलत है । मैं निवेदन करूं कि यह कैसे गलत है । हमारी पंचायतों, के पंचायत समितियों के और जिला परिषदों के फाइनेन्शियल पॉवर्स कम हो गए, दीगर पॉवर्स कम हो गए, इनका तो मालूम ही नहीं । आपने सुझाव दिया है कि सरकार उसके ऊपर इम्पलीमेन्ट भी करेगी या नहीं इसका भी मालूम नहीं और एम. एल. ए. को इससे डिबार कर दें यह तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । हम बिल्कुल असमंजस में हैं और इसके बारे में हम कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट इन डिटेल नहीं आती है । तब तक हम क्यों कहें ? सिर्फ चुनाव ही करा लो, यह तो ठीक है और आगे की बात देखी जायेगी । देखी क्या जायेगी वह भी तो स्पष्ट हो कि विरोधी पक्ष के लोग ज्यादा जीत कर आ जायें तो पॉवर्स नहीं दी जायेगी । इनकी नीयत साफ नहीं है । और कांग्रेस ही कांग्रेस के जीत कर आजाएंगे तो पॉवर्स दे दी जयेंगी, इस मामले में इनकी नीयत बहुत क्लियर है, इसमें दो राय नहीं है । इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप ईमान-दारी से हमारी राय लेना चाहते हैं तो आप सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को सदन के समक्ष पेश कीजिये और उस पर फिर डिस्कशन करायें और उसके बाद में हम हमारा मन्तव्य देगें कि किस प्रकार से पंचायत एक्ट में एमेन्डमेन्ट्स लाये जाये । पर यह नहीं होगा, मैं जानता हूं चेयरमैन महोदय, यह हो नहीं सकता । यह इस पोज़ीशन में है हा नहीं । इसलिये मैं एक बहुत कन्सट्रक्टिव सुझाव देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे मन्त्री जी इस पर इकरार करेंगे या तो वह सदन में घोषणा करदें, चाहे वह इलेक्शन मन्त्री हों, चाहे श्री श्री १०८ मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़ियाजी

(श्री मानसिंह महार)

हों या हमारे छोटे से प्रिय भीखा भाई हों। मैं किसी के लिये नहीं कहता लेकिन कोई एलान तो करें। यदि हमारे उप-शिक्षा मन्त्री हों। आज कल तो ऊंचे हो रहे है, वे ही कोई घोषणा कर दें। हम तो घोषणा की उन कुर्सियों से उम्मीदवार हैं। लेकिन घोषणा नहीं होगी, वह सब जानते हैं और मुस्कराते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे मेयो कॉलेज की बात याद आ गई।

श्री मानसिंह महार : अच्छा आप वहां गये होंगे। उप-शिक्षा मन्त्रीजी होने के बाद मैं तो मेयो कॉलेज में गया ही नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलती हो गई।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, यहां राज़ और नियाज़ की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री मानसिंह महार : मेयो कालेज भी क्या है। उसका आपने मजा ले लिया है। आप गये थे ? मैं तो वहां कभी पढ़ा भी नहीं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : कल नाम ले आऊंगा।

श्री मानसिंह महार : मुझसे क्यों फंसता हो। वहीं के वहीं रहो। अब तो आगरा जा रहे हो। वहीं से दिमाग दुरुस्त करवा लाना।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो तस्वीर ला रहा हूं। पुरानी बातें लाना चाहता हूं।

श्री मानसिंह महार : वह तो मैं बहुत जानता हूं कि क्या-क्या आपके साथ हुआ है वे नजारे मुझे सब मालूम है।

श्री सभापति : That will do please.

श्री निरंजननाथ आचार्य : १० लड़कों की तस्वीरें ला रहा हूं।

श्री मानसिंह महार : आप पहले हारे थे, वह भी वीर मेयो कॉलेज का था।

श्री अब्दुल जब्बार : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सदन में इश्यू कुछ है और वाद-विवाद दूसरी ओर हो रहा है। यह मुनासिब नहीं है।

श्री सभापति : I have stopped that. Thank you very much.

श्री मानसिंह महार : तो, चेयरमैन महोदय, मुझे यह इधर-उधर ले जाते हैं इसलिए मुझे जवाब देना पड़ता है। बाकी....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप जाते ही क्यों हैं इधर उधर ?

श्री मानसिंह महार : तो निवेदन कर रहा था कि मुझे जाना यों पड़ा। इधर-उधर से बेकार में आजाते हैं तो उठने लगता है तो उनको थोड़ा देने को जाना पड़ता है।

श्री सभापति : बिल पर रहें।

श्री मानसिंह महार : तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस राजस्थान पंचायत लॉज़ एमेंडमेंट बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर अभी बहस हो रही थी तो अभी इधर बैठने वाले एक महोदय ने बात कही तो उसका मुझे बड़ा दुःख हुआ है। उन्होंने कहा कि एम० एल०एज़० को सब चीजों से वंचित कर देना चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं कि क्यों नहीं हुआ ? वे एक शहर से आने वाले आदमी हैं। वे गाव के दुःख-दर्द और

(श्री मानसिंह महार)

दिक्कतों को क्या समझें ? मैं आपसे निवेदन करूं कि एम० एल० एज़० अपने क्षेत्र में प्रधान, प्रमुख या सरपंच होते हैं तो क्या हर्ज है ? उस पर यह पाबन्दी लगा दें कि अगर कोई एम० एल० ए० प्रधान हो जाय तो उसको एक जगह को छोड़ना चाहिए। अभी एक नमूना मौजूद है। ५ दिन पहले चौधरी कुम्भाराम पार्लियामेंट के मेम्बर थे और मोहनलालजी सुखाड़िया ने देखा कि इनको पार्लियामेंट में रखते हैं तो राजस्थान के लिए नीचा देखना होता है। उनको राजस्थान विधान सभा में लाया गया है सुखाड़ियाजी द्वारा। उस दिन यह नहीं कहा गया कि आप एम० पी० हैं, आप नहीं लड़ें। तो इसलिए मैं निवेदन करूं आपसे कि वही चीज यहां पर है। अगर आप समझते हैं कि एम० एल० ए०, प्रधान, या प्रमुख नहीं रहे तो आप यह बात लगा दें कि प्रधान या प्रमुख का चुनाव लड़ने के बाद १० दिन में फैसला कर लें कि किधर रहे। यह एक ऊंची बात नहीं, अध्यक्ष महोदय, बहाव में बह जाना और एम० एल० ए० से कह देना कि यह नहीं, वह नहीं; यह बहुत गलत चीज है कि एम०एल०ए० को सरपंच भी नहीं बनाया जाय, यहां तक कह देना। उसमें बहुत फर्क है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि रिज़र्वेशन की पद्धति चलाई है। मैं एम० एल० ए० हूं और अपने गांव के अन्दर सरपंच भी हूं। मैं स्वयं एम. एल. ए. की हैसियत से जिन पंचायत समितियों में जाता हूं वे पंचायत समितियां वे नहीं हैं जहां कि मैं सरपंच हूं, जहां कि मेरा गांव है। मैं आपसे अर्ज करूं क्योंकि वह रिज़र्व्ड एरिया है, रिज़र्व्ड सीट है वहां पर पंचायत समिति में अगर मैं जाता हूं। तो वह सरपन्च की हैसियत से जाता हूं। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, उस क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करता हूं। आज अगर सरपन्च होने पर एम. एल. ए. पर बान लगा देते हैं तो मेरे साथ अन्याय हो जाता है। जब तक रिज़र्वेशन की प्रणाली है तब तक अगर मैं अपने इलाके को रिप्रेज़ेन्ट नहीं करता हूं तो उस इलाके के साथ मैं अन्याय करता हूं। वहां पर मैं प्योरली एज ए सरपन्च जाता हूं और एम. एल. ए. वगैरह बनकर नहीं जाता हूं। इसलिये यह पाबन्दी की बात है यह कतई नहीं होनी चाहिये।

उन्होंने, मेरे मित्र ने कहा कि नई लीडरशिप क्रियेट करें। हम भी चाहते हैं कि नई लीडरशिप क्रियेट की जाय। नई लीडरशिप का कोई मैं विरोधी नहीं हूं, चेयरमैन महोदय। हम सब चाहते हैं कि नई लीडरशित क्रियेट की जाय लेकिन नई लीडरशिप क्रियेट करने के साथ साथ हमको यह भी देखना है कि पुराने योग्य अनुभवी आदमी गांवों में जाकर पन्चायतों का काम करें तो वहां पर काम होता है। यह गलत चीज है कि नई लीडरशिप क्रियेट करें तो यह कर दें कि कोई बन्दिश नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं समझा कि कोई एम. एल. ए. सरपन्च हो तो क्या एतराज है ? गांव की जनता चाहती है तो उसको कैसे रोक सकते हैं। इस कानून के अन्दर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर आपने एक कानूनी उलझन कर दी है। एक तरफ आपने लिख दिया है कि एम. एल. ए. जो है वह प्रधान नहीं हो सकता है और एक तरफ आप लिखते है कि 'any voter of the Panchayat Samiti can become a

(श्री मानसिंह महार)

Pradhan'. यह क्या है ? मैं कहता हूं कि क्या लॉ-डिपार्टमेंट मर गया राजस्थान का ? क्या राजस्थान का पन्चायत विभाग जिसमें हमारे ज्वॉइन्ट कमिश्नर भी बैठे हैं और ऐसे ऐसे बड़े मोटे महानुभाव बैठे हैं वह फिर भी एनोमेलस पोज़ीशन हमारे सामने आ जाती है और वे बोलते नहीं हैं, सरकार को राय नहीं देते हैं, यह क्या तमाशा है ? हम खुद असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह क्या है ? एक तरफ तो अधिकार दिया जाता है वोटर को कि आप खड़े हो सकते हैं और दूसरी तरफ उस अधिकार को छीन लिया जाता है। यह क्या तरीका है कानून का आपका ? इसका नतीजा क्या होगा, चेयरमैन महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जहां कोई कांग्रेस का आदमी खड़ा हो गया तो फौरन रिटर्निंग ऑफिसर पर प्रेशर और टेलीफोन जायेगा कि इसको रिजेक्ट मत करो और वह रह जायगा, लेकिन जहां मुझ जैसा जो कि इन लोगों को रात की नींद में भूत दिखाई देता है उसके लिए ऐसा होगा....

श्री चन्दनमल बैद (उप-मन्त्री, उद्योग): दिखते ही हो। भूत जैसे ही हो रात को नहीं दिन में भी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको खामोखयाली रहती है अपनी ताकत के बारे में।

श्री मानसिंह महार : आपसे तो बोलूंगा नहीं जब तक कि आप आगरे से लौटकर नहीं आयेंगे।

श्री सभापति : No digressions. Again to the Bill please.

श्री मानसिंह महार : तो, चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून के अन्दर यह जो चीज रखी गई है यह बहुत गलत है। इस बिल को पास करने के पहले इस एनोमोली को दूर किया जाय। यह बड़ी गलत चीज है। इससे गावों के अन्दर बड़ा गलत असर पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सरकार ने कोई ऐसी नीति को रखा है कि किसको कैसे हटा देंगे ? तो मैं नहीं कहता हूं कि हटायेंगे नहीं और अपनी जिद पर कायम रहेंगे तो कुछ कहना पड़ेगा। चेयरमैन महोदय, क्या करें अगर गलत बात की जाती है तो उसके लिए कहा जाता है, यह दूसरा पॉइन्ट है।

अब तीसरा पोइन्ट है कि जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे सामने लाया गया है वह जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों के तरीके में है। मैं आपसे निवेदन करूं, चेयरमैन महोदय, कि कोई प्रिन्सीपल हो, कोई बेस हो उसको लेकर हमारी सरकार चले तो हम फिर उसकी आलोचना करने को भी घबराते हैं, लेकिन नहीं करें और भानुमति का कुनबा जोड़ा जाता है तो कहना ही पड़ता है। प्रधान के लिए आप कह देते हैं कि उस पंचायत समिति का वोटर होना चाहिए यानी उस पंचायत समिति का जो म्युनिसिपल एरिया है उसका आदमी नहीं होना चाहिए वह प्रधान के लिए खड़ा हो और प्रमुख के लिए कह देते हैं कि 'any voter of the district.'

रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह नहीं है।

श्री मानसिंह 'महार : बिल्कुल है आप देख लें।

श्री सभापति : इसको मिसप्रिन्ट माना है।

श्री मानसिंह 'महार : I am sorry, Sir, यह मिसप्रिन्ट अगर सरकार का है तो वह मैं कह दूं आपको, चेयरमैन महोदय, कि सरकार की नीयत उस मिसप्रिन्ट को हटाने की है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हटा दिया।

श्री मानसिंह महार : यह तो क्या है कि यह तो कोरिजेन्डम आया है; कल यह एमेन्डमेन्ट आ जायगा कि 'एनी वोटर' होना चाहिए।

श्री भीखाभाई : जिसको कि आप चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं नहीं चाहता हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं; dont worry.

तीन वर्ष के अन्दर पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनावों के तौर और तरीके एक आलोचना का विषय हम गांवड़ेलू लोगों का रहा है वह यह रहा है कि यह पंचायत समिति में दो आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट के रूप में लिए जाते थे वह बाहर के लोग आकर अपनी प्रभुता पंचायत समिति पर जमाते थे। यह हमारा एतराज रहा है गत तीन वर्षों से। तो, चेयरमैन महोदय, सरकार के पास बहुमत है। हम तो कहने के अधिकारी हैं, वह तो करेंगे ही। करेंगे तो वे वही जो उनकी सहूलियत का होगा, जिसमें उनको फायदा दिखाई देगा। लेकिन गांवों के लोगों का यह कहना है कि सब जिला परिषदों और पंचायत समितियों में गांव के आदमी ही अगर प्रमुख या प्रधान बनें तो....

(४.०० म० प०)

वे गांव की तरफ अधिक देखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह चीज नहीं रखी गई। वे जो दो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के लोग रखे जाते थे उनको तो हटा दिया लेकिन इस चीज को हटाकर कल अमेन्डमेन्ट आयेगा आपको बता दूंगा जिला परिषद् में कोई भी उस ज़िले का आदमी वोटर है वह ···

एक माननीय सदस्य : वह तो आ गया, आपके ध्यान में नहीं है।

श्री मानसिंह महार : यदि म्युनिसिपेलिटि के हैं, जयपुर जिला परिषद् में जयपुर शहर के महानुभाव हों जिनकी दिलचस्पी किसी काम–काज में नहीं है वे भी इसमें हो सकते हैं, जैसे पाली जिला परिषद् में हरिश्चन्द्रजी माथुर एम. पी. जिला प्रमुख होकर विराजमान हो गये थे लेकिन वे वहां से एम. पी. भी थे लेकिन आज तो एम. पी. भी नहीं हो सकते, एम. एल. ए. भी नहीं हो सकते उन पर पाबन्दी है उसका भी कारण है। यदि ५-६ एम. एल. एज़. प्रधान होंगे तो उनमें से अधिकांश इधर की तरफ बैठने

Page No. 82

(श्री मानसिंह महार)

वाले होंगे, मुश्किल से एक-दो उस तरफ के बैठने वाले होंगे इसलिये यह पाबन्दी लगाते हैं। लेकिन हमारे शहर के आदमी जिनकी पंचायत समिति और जिला परिषद में दिल–चस्पी नहीं है उनको वहां बैठने का अधिकार दिया जाय, क्यों नहीं दिया जाय? बड़े–बड़े आदमी उम्मीदवार हैं, बड़े–बड़े कांग्रेसी नेता जयपुर में मुंह धोये बैठे हैं कि हम जिला प्रमुख बन जायं। वे एम. एल. ए. के लिए तो हार गये। हम उनका स्वागत करते यदि वे गांवों में वोटर होते, सरपंच चुन कर आते। तब आ जायं तो हर्ज नहीं लेकिन शहर में बैठे रहें और यह कहें कि हम भी जिला प्रमुख बन जायं तो कानों को अनुचित लगता है, मन्त्रीजी के दिमाग में भी अनुचित बैठता होगा लेकिन कुछ लोगों का प्रेशर है लेकिन उनका प्रेशर वे नहीं मानें।

मैं एक और बात कहूँगा जिसकी सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में भी चर्चा है। प्रधान और प्रमुख के लिये इलेक्टोरल कॉलेज को वाइडन करना है। हम यदि इस प्रकार की बात कह देते तो कुछ हद तक उचित था लेकिन समाजवाद लाने वाली सरकार इस प्रकार की बात कहे कि दो हजार रुपयों की हैसियत के आदमी को प्रधान रखते हैं उसको न बनने दिया जाय और २० हजार की हैसियत रखने वाले आदमी को प्रधान बनाया जाय। मर्जी है आपकी आपके विचार हैं वे तो उत्तम होंगे ही, हम चैलेन्ज कैसे दें? लेकिन यह सोचिये कि मिडल क्लास का आदमी प्रधान बन सकता था लेकिन अब मिडल क्लास आदमी नहीं बन सकेगा। बहुत बड़े आदमी पूंजीपति बनेंगे जो ३०-४० हजार रुपये जेब में रखेगा और २०० पंचों को उठा कर ले जायगा। यह नहीं रखा कि अब पंचों को लोग नहीं उठायेंगे अब तो पंचों की गंगास्नान उसी प्रकार होगी जैसी सरपंचों कि होगी, रोक नहीं सकते। यदि आप ईमानदारी से चुनाव कराना चाहते हैं तो यह प्रोविज़न करिये कानून में कि पंच, सरपंच को कोई उठा कर नहीं ले जा सके। अगर इस प्रकार का प्रावधान रखा तो हम समझेंगे कि नीयत साफ रहेगी। लेकिन इस प्रकार आप नहीं ला सकते क्योंकि ७५ परसेंन्ट गैर कानूनी काम आप करेंगे और हो सकता है कि २५ परसेन्ट इधर बैठने वाले भी कर सकते है क्योंकि हमको भी आपकी दौड़ के पीछे जाना पड़ता है क्योंकि भारत की जनता इतनी शिक्षित नहीं है जो समझ सके कि कौन हमारा भला करेगा, कौन नहीं। वह तो बहाव में बह जाती है गंगानगर में मोटर नेशनलाइजेशन को रोक दिया जाता है तो हनुमानगढ़ में सारे मोटर ऑपरेटर्स आ जाते हैं यह नहीं सोचते कि महीने दो महीने का काम है। इस प्रकार आप देख लीजिये। मुझे तो चेयरमैन महोदय, डर यह लग रहा है, मैंने जाकर महुवा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ के तीनों उप चुनाव देखे। उसमें मैंने देखा कि हमारे पं. जवाहरलालजी नेहरु के निधन के बाद कांग्रेस डिक्टेटर हो रही है। मुझे डर है कहीं ये लोग अपनी हार देखते हुए डिक्टेटरशिप कायम करने को तैयार नहीं हो जायं, मुझे यहां तक डर है। अब तो इनके हथकंडे इतने नीचे पहुंचने लगे कि न्याय अन्याय बलाये ताक रख दिया जाता है। हमारे इलेक्शन मन्त्रीजी ने कहा था कि वहां चुनाव में तो हम जाते हैं तो

(श्री मानसिंह महार)

बिल्कुल मदहोश होकर जाते हैं, चुनाव की बात मत करें। चुनाव खत्म हो जाते हैं तब हम सेन हो जाते हैं। लेकिन जब तक चुनाव चलता है तब तक तो मदहोशी में पागल हो जाते हैं। ठीक है होना चाहिये। लेकिन पागलपन और मतवालापन सीमाओं तक ही रहना चाहिये, वह सीमाओं के बाहर चला जाय तो हमको डर लगता है। हे भारतवासियों! डेमोक्रेसी खतरे में है तुम्हारे लिये, हमको यह महसूस होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि पंचायतों के चुनाव में हम यह उम्मीद नहीं करते कि आप सही तौर से चुनाव करायेंगे। मैं सही कहता हूं कि प्रशासनिक तरीके से लोगों पर दबाव डलायेंगे, आप बैलट पेपर्स गलत आदमियों से गलत मोहरें लगायेंगे क्योंकि अब आपका स्तर गिरता जा रहा है। अब आप वे नहीं रहे जो ५७ में थे। सन् ५७ में जब चुनाव हारा था उसके बाद मैंने कहा था कि आप निष्पक्ष हैं लेकिन आज मेरी धारणा बदलती जा रही है और यू. पी. में रामरतन गुप्ता के चुनाव के बारे में चुनाव अदालत ने फैसला दिया, वह तो आई ओपनर है कि यह सरकार किधर जा रही है। अभी महुवा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ भी इसी रास्ते पर जाने की चीज है। इसलिये मैं मन्त्रीजी से कहूंगा कि कृपया पंचायतों के चुनाव तो निष्पक्षता से करावें और उनमें नाजायज दबाव न डालें।

आप बड़े प्रेम से कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं लड़ेंगे। यह भी मैं मानता हूं कि पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं लड़ते हुए भी आपके इधर उधर के गुर्गे जरूर चुनाव लड़ेंगे, इसकी अभी से तैयारी हो रही है। नाजायज दबाव मत डालिये, जनता यदि चाहती है····

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा में साबित हो गया।

श्री मानसिंह महार : हम चाहते हैं कि आप कुंभारामजी जैसों को लाये हैं तो राजस्थान सरकार को मजबूत करें। नंदाजी की बात को भी साकार करें; क्रय विक्रय संघ में गुड़ हड़पनेवाले और मेवा जीमने वाले को हनुमान बनाकर मन्त्री बनाकर बैठाया जाय, हमको खुशी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : आदत से बाज नहीं आते हैं।

श्री मानसिंह महार : आदत कुछ नहीं। सही बात सही कही जायगी चाहे किसी के कानों को बुरी लगे। यह तो होता ही है। सत्य बात कही जाय तो अप्रिय लगती है मित्रों को।

श्री सभापति : संक्षेप में कन्क्लूड करिये।

श्री मानसिंह महार : चेअरमैन महोदय, समझिये, राजस्थान की मौजूदा विधान सभा का तो महत्वपूर्ण विषय है, इस पर तो मुझे कुछ समय बोलने दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पौन घंटा तो दे दिया।

श्री मानसिंह महार : और आज के बोलने वालों में मैं लास्ट स्पीकर हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लास्ट मत समझिये, और हैं।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री मानसिंह महार : कन्क्लूड कर रहा हूं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कल दिन भर बोल लेना, आपको छुट्टी है।

श्री चन्दनलाल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग) : कल दिन भर बोल लेना आपको छुट्टी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कल दिन भर बोल लेना, आपको छुट्टी है।

श्री मानसिंह महार : धन्यवाद। कांग्रेसी मित्रों ने मुझे अपना समय दे दिया है....

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो प्रधान और प्रमुख के चुनाव की प्रणाली है, यह भी मैं सही कहूंगा कि जो पुराना तरीका था वह सही था। अब जो इलेक्टोरल को बड़ा करते हैं तो इसमें करप्शन के और अधिक चान्सेज़ होते हैं। आप समाजवाद, समाजवाद चिल्लाते हैं। लेकिन इससे गरीब आदमी प्रधान और प्रमुख अब नहीं बन सकता है। पहले तो गरीब बोहरे से हजार, दो हजार लेकर बन सकते थे लेकिन अब तो बीस, पच्चीस हजार जिसकी जेब में होंगे वही प्रमुख और प्रधान बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने बात कही है वह अनुचित है। आपने को तो पुरानी बात माननी चाहिए इसके बारे में मेरी राय यह है।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं और वह यह है कोआप्शन के बारे में मेरी राय है। इसके बारे में मैंने आज जितनी विचार-धारायें और चर्चायें हमारे मित्रों की सुनीं, उनको सुनने के बाद मैं चक्कर में पड़ गया कि किस बात को उचित माना जाय और किस बात को अनुचित। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि जो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे, अगर उन्होंने की यह चीज तो उनको, और यदि सादिक अली कमेटी के जो सदस्य थे, उन्होंने की है तो उनको मैं एक बात के लिए तो मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो कोआपरेटिव के मेम्बरान पंचायतों के अन्दर मेम्बर होंगे, पंचायत समिति में मेम्बर होंगे और जिला परिषद में मेम्बर होंगे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों में एज आब्ज़र्वर जाकर बैठते हैं तो इससे उनका समय का वेस्टेज होगा और पंचायत के समय का भी वेस्टेज होगा क्योंकि यह कुछ कर तो नहीं सकते हैं। अगर ये नहीं रखे जायं वहां तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि राजस्थान में कोआपरेटिव जिस ढंग से बनी हुई है, जिस प्रकार से इनमें करप्शन प्रिवेल करता है....

श्री सभापति : आप जिस बात से सहमत हैं उसे छोड़िये। दूसरी बात कहिये।

श्री मानसिंह महार : मैं यह कहता हूं कि उनको यहां बैठने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए । मैं इससे तो सहमत हूं कि वोट देने का राइट नहीं दिया जाय लेकिन इनको समिति में रखा जाय....

श्री बृजसुन्दरशर्मा : इनकी राय में कोऑपरेटिव सोसाईटीज़ खत्म कर देनी चाहिए ।

श्री भीखाभाई : आप यह बताइये कि अगर यह हो जाय तो क्या होना चाहिए ?

श्री मानसिंह महार : इनको वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी जरूरत क्या है । मैं निवेदन करूं, आप बतायें उनकी जरूरत क्या है....

श्री दलपतसिंह (आबू) : प्रोडक्शन की पॉलिसी को बनाने में इनकी जरूरत होती है ।

श्री मानसिंहमहार : जब इनकी जरूरत होती है तब इनको पत्र लिख कर भेज देते हैं और इनको बुला लेते हैं ।

श्री चन्दनमल वैद: आप तो सहकारिता के विरोध में है ।

श्री भीखाभाई : वह तो है ही ।

श्री मानसिंह महार : उसके विरोध में तो मैं हूं ही, इसमें क्या बात है । पंचायत समिति में बीस आदमियों की समिति बैठती है, उसको बैठक के लिए तीन घंटे का समय रहता है । हम सरपंच अपनी बात कहते हैं तो हमारी बात ही पूरी नहीं हो पाती है और उसके पहले ही पंचायत समिति की बैठक का समय पूरा हो जाता है । मैं आपको सही बता रहा हूं, उसमें यदि दो, तीन, चार आदमी कोऑपरेटिव के बैठा दिये जायं तो कोई हर्ज नहीं लेकिन वे करेंगे क्या ? बेकार में उनका समय बरबाद होगा और पंचायत समिति के मेम्बरान, हम लोगों का भी । कोऑपरेटिव के लोग आदर्श नागरिक हैं । मैं उनको बुरा नहीं कहता । मैं उनको आदर्श नागरिक मानता हूं । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार करें कि वहां पर मैले को अधिक न बढ़ायें तो बेटर है । मैं आपको इसलिए कहता हूं, क्योंकि आप देखिये, आपने पहले उनको वोटिंग राइट देकर भी देखा है । अब कोऑपरेटिव वालों को वहां रखते हैं तो उससे होना जाना तो कुछ नहीं है । केवल नाम के बहाव में बह कर आपने इन कोऑपरेटिव वालों को वहां रख दिया है । एक दिन की बात मैं आपको सही बताता हूं कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में एक क्रय-विक्रय-संघ के नुमाइन्दे पहुंच गये । उस दिन कोरम के अभाव में मीटिंग हुई नहीं थी । वैसे मैं भी पहुंच गया था । हमारे विकास अधिकारी बोथे उनको बोले 'मैं भी क्रय-विक्रय संघ का नुमाइन्दा होकर आया हूं पंचायत समिति में ।'' हमने कहा ''अभी तक तो हमारे यहां प्रोवीज़न नहीं है फिर टी. ए. और डी. ए. आपको कहां से देंगे । फिर क्या होगा, यह बताइये ।'' उन्होंने कहा,''मैं ऊपर से लिखवा लाऊंगा, साहब ।'' मैंने कहा ''जरूर लिखवा लाइये । लिखा हुआ आ जायगा तो आपको बैठा लेंगे । अभी तो आप पधारिये, यही बेहतर है ।'' वे उस रोज चले गये और आज

Page No. 86

(श्री मानसिंह महार)

तक आते हैं। इस तरह हर आदमी कहेगा-मैं कोआॅपरेटिव का नुमाइन्दा हूं और बुरी तरह सवार हो जायगा। फिर निकाल दिया तो भी सवार हो जायगा। इससे एक हेवक पैदा होगा। मेरा सुझाव है कि कोआॅपरेटिव वालों को इसमें मत लीजिये।

दूसरा मेरा कौन्क्रीट सुझाव यह है कि आप जो महिला और दूसरे कोआॅप्टेड मेम्बर रखते हैं, पंचायत समिति के अन्दर रखते हैं आप इन कोआॅप्टेड सदस्यों को प्रधान और दूसरे चुनाव में वोट देने का अधिकार मत दीजिये। मेरा यह निश्चित मत है। मैं कहता हूं कि अगर आप वोटिंग राइट नहीं देंगे तो आपके जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी आयेंगे वह सही और अच्छे आदमी आयेंगे और इससे फिर पार्टीबाजी का प्रश्न पैदा नहीं होगा। अगर वोटिंग राइट दे देते हैं तो सब सोचेंगे — मेरा बहुमत है। मेरे विरोधी चाहे योग्य आदमी होंगे, लेकिन मैं देखूंगा कि वोट तो यह उनको देगा। इसलिये इसको मत लो और उनको मैं कभी नहीं लूंगा। अगर वोटिंग राइट नहीं है तो सैकन्डरी कन्सीडरेशन यह होगा कि चलो, बोलने वाला आदमी है, योग्य आदमी है। यह शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब का आदमी या महिला पंचायत समिति के कार्यक्रम में सही ढंग से अपनी नुमाइन्दगी कर सकता है। इसलिए यह सोच कर कि अच्छा आदमी है उसको ले लिया जायगा। मैं आपसे कहता हूं कि क्या तो जिला परिषद और क्या पंचायत समिति-इनमें आप इनको वोटिंग राइट मत दीजिये। इससे आप इनको पार्टीबाजी के दल-दल से ऊंचा उठायेंगे। और आपके बेकवर्ड क्लासिज़ के आदमी, जिसको आप समाज में बेकवर्ड मानते हैं, जो सही नुमाइन्दे के तौर पर आ सकते हैं वे आयेंगे और वहां आकर अपनी जातियों और क्लासिज़ का सही रिप्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं। मेरा एक कॉन्क्रीट सुझाव और है।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप समाप्त करें।

श्री रघुनाथ बिश्नाई : एक घंटा हो गया आपको।

श्री मानसिंह महार : इसके अलावा एक और....

श्रीसभापति :You have taken more than five minutes.

श्री मानसिंह महार: I will take an other 5 to 10 minutes.

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूं मुझे कहना तो इसके विषय में बहुत कुछ था लेकिन अब कुछ उधर बैठने वाले मित्र अधीर हो रहे हैं इसलिए मैं सदन का इस मामले में बहुत अधिक समय न लेकर यही कहूंगा कि आप पंचायत के अन्दर जो इन्कम के सीर्स है उनको बढ़ाने की ओर ध्यान....

श्री सभापति : आप इस पोइन्ट को छोड़ दीजिये, क्योंकि इसका इस बिल से ताल्लुक नहीं है।

श्री मानसिंह महार : बिल से ताल्लुक तो नहीं रखता, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं सरपंच हूं इसलिए मैं जानता हूं।

श्री सभापति : जब सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आये तब डिस्कस करें ।

श्री मानसिंह महार : उसको आप पहले रखवा दीजिये, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है । मैंने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे बहुत रिलेवेन्ट है । सरकार अपना विचार बताये इसके अलावा मेरी निश्चित धारणा है कि पंचायतों का सचिव ग्राम सेवक को होना चाहिए । यह मेरा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह मान लेंगे

श्री मानसिंह महार : आप मान लेंगे तो किस दिन मान लेंगे ? आज सरपंचों पर न-समझी के कारण मुकदमे चलते हैं । आप फर्मायेंगे तो किसी दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट में लाकर सदन को बताऊंगा । मेरी पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में किस किस प्रकार के आक्षेप हैं । मैं ताज्जुब करता हूं, मुझ जैसा आदमी पंचायत का हिसाब ठीक तरह नहीं रख सकता....

श्री सभापति : मैं मानता हूं कि बहुत बातें ऐसी हैं जो कहने लायक हैं । आज इस बिल के सम्बन्ध में ही आप कहें जिससे दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल जाय ।

श्री मानसिंह महार : मैं चैयरमैन महोदय के आदेश का पालन करता हूं और मैं समझता हूं कि ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अविश्वास के प्रस्ताव पर कह दें ।

श्री मानसिंह महार : यह चीज तो ठीक है, ढाबरिया साहब अविश्वास के प्रस्ताव पर कहूं । तो पंचायत के बारे में कह दिया, जिला परिषद के बारे में कह दिया, पंचायत समिति के लिये कह दिया, करप्शन के बारे में कह दिया मैंने पंचायतों के बारे में भी कह दिया, लेकिन एम.एल.ए....

श्री सभापति : Now please sum up.

श्री मानसिंह महार : मैं सम अप कर दूं । लेकिन मैं अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूं कि एम.एल.ए. पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिये । यह निश्चित बात है और मैं सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि इस बात पर विचार करेंगे कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना लाभदायक होगा या नहीं । मेरी तो निश्चित धारणा है कि एम.एल.ए. प्रधान या प्रमुख बनता है तो उस जिला परिषद का काम अच्छी तरह से होता है । मेरी यह निश्चित धारणा है कि अगर आप गांव वालों का भला चाहते हैं तो एम.एल.ए. को इससे डिबार मत करिये ।

आखिर में मैं एक प्रार्थना मंत्रीजी से जरूर करूंगा कि आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, को जरूर अन्याय करने से रोका जाए और आपको चाहिये कि आप उसको अन्याय करने से रोकें ।

श्री सभापति : आप समय के साथ अन्याय कर रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैं यह निवेदन करूंगा कि हरिपुरा सरपंच को आपने तीन

(श्री मानसिंह मद्दार)

साल के बाद सस्पेन्ड किया। अब वह सस्पेन्ड तो हो गया मगर उससे अभी तक चार्ज नहीं लिया गया है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में जो डाका पड़ रहा है उसको रोक कर उस सरपंच से जल्दी से जल्दी चार्ज लिया जावे। मैं आशा करता हूं कि इस सबंन्ध में माननीय मंत्रीजी जोइन्ट डाइरेक्टर डेवलपमेंट विभाग को हिदायत करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसमें कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और मैं भी कुछ बातें इस संबन्ध में कहना चाहूंगा। जो सादिकअली कमेटी बनी उसने पंचायत राज्य किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में सारे पहलुओं पर विचार किया और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है परन्तु इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह आग्रह किया कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र होने चाहिये और शीघ्र चुनाव होने के लिये सादिकअली रिपोर्ट पर बहस नहीं कर सके, क्योंकि इस पर बहस करने में काफी समय लगता। इसलिये चुनाव शीघ्र हो, इसके लिये जरूरी था कि सादिक अली समिति की रिपोर्ट का इलेक्शन पार्ट है उस पर ही अमेन्डमेंट लाया गया है और इसी लिये राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४, इस सदन में प्रस्तुत हुआ है। उसमें सादिकअली की रिपोर्ट के अवसर पर कई मुद्दों पर संशोधन की राय दी थी और माननीय सभापति महोदय, आप भी उनमें एक सदस्य रह चुके हैं और इसके लिये समितियों को क्वेश्चनरी जारी की थी। सरपंचों और विभिन्न संस्थाओं के वर्किंग के बारे में राय देने के लिये आपने विचार लिख कर भेजे। उनकी जितनी राय आई उसके बाद महत्वपूर्ण संशोधन करने की आवश्यकता थी जो पंचायत राज्य को सफल करने के लिये बहुत जरूरी था और कुछ कमियें थीं उनको दूर करने के लिये संशोधन करने की आवश्यकता थी उसी रूप में यह रिपोर्ट पेश हुई है। उसमें जो मेन इलेक्शन प्रोसीजर में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत करने की राय दी गई उसको लेकर यह बिल प्रस्तुत हुआ है। सभापति महोदय, इसमें पंचायतों समिति और जिला परिषद् एक्ट, १९५३ में जो उसमें पंचायतों के इलेक्शन के बारे में पंचायत समिति या जिला परिषद के बारे में जो प्रोसीजर था उसमें बहुत मुद्दों पर संशोधन हुआ है। पंचायत समितियों में कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को वोटिंग के राइट थे। इसमें यह है कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ का कोआॅप्शन नहीं होना चाहिये। इसको मान कर कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के सदस्य को सिर्फ एसोशियेटेड सदस्य रखा है। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मेरा आपके जरिये राज्य सरकार को यह निवेदन है कि अगर सर्विस कोआॅपरेटिव सोसाइटीज या मार्केटिंग सोसाइटीज को पंचायत समिति या जिला परिषद् में आ कर उनको बैठने की इजाजत दी जाती है मगर उनको वोट देने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सर्विस कोआॅपरेटिव सोसाइटीज या मार्केटिंग सोसाइटीज को आपने बैठने की इजाजत दी है और अगर उसका सम्बन्ध गांव की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

है तो ऐसी हालत में उसको वोटिंग राइट मिलना चाहिये। इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रोडक्टिविटी के लिये जो सदस्य लिये गये हो, तो उनको वोटिंग के राइट उत्पादन कार्यक्रम में होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, एम.एम.ए के वोटिंग राइट के बारे में पहिले जो अधिकार था स्टेन्डिंग कमेटी में बैठने का अधिकार था। अब इस संबन्ध में भी संशोधन प्रस्तुत हुआ है; उसमें यह है कि कोई भी प्रधान या उपप्रधान के लिये, चेयरमैन के लिये एम.एल.ए. खड़ा नहीं हो सकेगा। इस बारे में मेरी मान्यता है कि अगर कानून में फुल फ्लेज्ड सदस्य बनाया जाता है और उनको वोटिंग के राइट आप नहीं दें तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई कानूनी डिफिकल्टी हो सकती है। यह मेटर हाई कोर्ट में जावेगा तो मुझे शक है कि शायद यह अल्ट्रावायर्स न हो जावे। इसलिये मैं आपकी मार्फत बताना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में लॉ डिपार्टमेंट से इस मामले को अच्छी तरह से एग्ज़ामिन करा ले कि उनको एसोसियेटेड का सदस्य रखें या वोटिंग के राइट दो। अगर फुल फ्लेज्ड सदस्य रखे जाते हैं तो किस हद तक उनको राइट ऑफ वोट नहीं देंगे इसके लिये इस मामले को लॉ डिपार्टमेंट द्वारा एग्ज़ामिन करा लिया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आपने एम.एल.ए पर जिला परिषद् में प्रमुख के पद के लिये खड़े होने पर प्रतिबन्ध लगाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एल.ए. और एम.पी. को प्रमुख तक रखने की बात है उसको आप फिर एग्ज़ामिन करावेंगे। क्योंकि जहां जिला परिषद् का मामला हो उसमें सेक्रेट्री और कलेक्टर बैठते हैं और उसमें प्रमुख की हैसियत बहुत सुपीरियर होती है। इसलिये कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिये। अब तक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलने वाले है। इसलिये इस बात को देखते हुए अगर प्रमुख के पद को एम.एल.ए. या एम.पी. होल्ड करें तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति सरकार को नहीं होनी चाहिये और मेरी समझ में नहीं आता कि उनको रोकने से सरकार की क्या मंशा है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने उनके ऑफिस होल्ड करने के बारे में यह जो पाबन्दी लगाई है उसको हटा दी जानी चाहिये। जिले में अच्छे वर्किंग के लिये उन पर जो यह पाबन्दी लगाई है उसको हटाना बहुत जरुरी होगा क्योंकि कुछ बैंक वर्ड डिस्ट्रिक्ट है और इस वजह से यहां पर अच्छे प्रमुख मिलना मुश्किल है और अगर अच्छे प्रमुख नहीं मिलेंगे तो वर्किंग में डिफिकल्टी आवेगी। इसलिये इस मंशा को पूरी करने के लिये एम.एल.ए. व ऐम.पी. को जिला प्रमुख के लिये खड़े होने के लिये जो प्रतिबन्ध है उसको हटा दिया जाये। तो एम. एल. ए. का प्रमुख पद के लिए खड़े होने पर जो पाबन्दी लगी हुई है उसे हटा देना चाहिये।

दूसरा एक एमेन्डमेन्ट है स्टेंडिंग कमेटीज के बारे में। जो इलेक्शन प्रोसीजर है वह बिल्कुल चेन्ज किया गया है। यह प्रोपोर्शनल रिप्रेज़न्टेशन के बेसिस पर रखा गया

(श्री रघुनाथ विश्नोई).

है जो कि बहुत टीडियस प्रोसीज़र है । काउंटिंग का बहुत टीडियस प्रोसीज़र है । उसमें समय लगता है पंचायत समितियों को वहां एक्सपर्ट्स काउंटिंग करने वालों की बहुत भारी दिक्कत पैदा हो सकती है । कुछ प्रोवीज़न्स लीगली चैलेन्ज भी हो सकते हैं । इसलिये इस प्रोसीज़र को पंचायत समितियों या जिला परिषदों से हटा देना चाहिये और जो सिम्पल प्रोसीजर है वोटिंग का पहले रखा था उस बेसिस पर इलेक्शन करना ठीक होगा नहीं तो वहां बहुत डिफीकल्टीज़ पैदा होने वाली हैं और कांउटिंग में भी बहुत कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी ।

दूसरा जिला परिषदों के इलेक्शन के बारे में जो नया प्रोसीजर रखा है सारे सरपंचों को जिला हैडक्वार्टर पर बुलाने का, उसमें बहुत खर्चा होगा । पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर ही सरपंच वोट दे सकते हैं । इससे काफी खर्चा दूर किया जा सकता है ।

मोशन ऑफ नो कॉन्फीडेन्स् का जो नया प्रोसीज़र एडॉप्ट किया गया है उसमें प्रधान हटाने के लिए सारे इलेक्टोरल कॉलेज का मतदान और सिम्पल मैजोरिटी से प्रधान को हटाने का प्रावधान रखा गया है । इसमें मुझे आपत्ति है । पंचायत समिति के जो मेम्बर्स हैं उनका रूटिन डेटुडे वर्क में प्रधान से ताल्लुक रहेगा तो उनको वह अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा और इसमें पार्टीबाजी बहुत होगी, उस पर लटकती हुई तलवार रहेगी । तो इस डिफीकल्टी को दूर करने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं । नो कॉन्फीडेंस मोशन का जो प्रोसीजर है इसमें पहले १।३ पंचायत समिति मेम्बर्स मूव करें और इसके बाद २।३ मेम्बर्स की मैजोरिटी से अगर वह मौशन कैरी आउट हो जाय तो उचित होगा। उसमें सेफ्टी रहेगी, यह फर्स्ट इन्सटांस में होगा और सेकंड इन्सटांस में नो कॉन्फीडेंस मोशन अगर २।३ मैजोरिटी प्राप्त न करे और ५० परसेन्ट से ज्यादा अगेन्स्ट हों तो सेकन्ड इन्सटांस में सारा इलेक्टोरल कॉलेज सिम्पल मैजारिटी से हटा सकता है । तो सेकन्ड इन्स्टान्स में यह प्रोसीजर और फर्स्ट इन्स्टान्स में २।३ रखा जाय तो अच्छा रहेगा । दूसरा नो-कॉन्फीडेन्स मोशन के जरिए प्रधान को हटाने के बाद उसके डिस्क्वालीफिकेशन इन्कार करने का उसमें प्रावधान नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्रधान के खिलाफ कुछ ऐसे चार्जेज़ हों और वह मोशन उसके खिलाफ पास हो गया हो तो उसके बाद में उसका डिस्क्वालीफिकेशन दुबारा खड़ा होने के बारे में इन्कार हो जाय। ऐसा प्रावधान उसमें रखा जाय तो नए प्रधान के आने की छूट रहेगी । एक प्रधान मेजोरिटी से हटा दिया जाय तो दुबारा आने के लिए यह चीज उसके लिए डिस्क्वाली-फिकेशन रखा जाना चाहिये ।

दूसरा इसमें जो हरिजन्स और फिमेल्स का यह प्रावधान रखा गया है वह ठीक है क्योंकि चुनाव जल्दी कराने थे। मेरी मान्यता है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और फिमेल्स की कॉन्स्टीट्यूसी या वार्ड निर्धारित कर दें तो और भी उचित हो और अच्छा प्रावधान है, आगे यह सोचा जा सकता है परन्तु क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक में कराने हैं, तो अगर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

इसमें ज्यादा टाइम-लिमिट रखते तो समय लगता। इसलिए फॉर दी फर्स्ट टाइम इसमें जो कोऑप्शन हरिजन्स का रखा है वह बहुत जरूरी है इसके बगैर वे नहीं आ सकते। बाद में कॉन्स्टीटुएन्सी के जरिए उनको फुल राइट्स दिये जायं जैसे एम. एल. ए. और एम. पी. और उसमें जो महिलाएं रखी हैं उनमें एक हरिजन या शिड्यूल्ड कास्ट की हो और दूसरी सवर्ण जाति की हो। इससे सेफ्टी रहेगी ताकि कम से कम एक फिमेल शिड्यूल्ड कास्ट की आ जाय और एक फिमेल सवर्ण जाति की तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

दूसरा पिछले साल आपने तीन साल का पीरियड लगाया था उसमें सिलेक्ट कमेटी ने संशोधन किया है। तीन साल ठीक है परन्तु राज्य सरकार को तीन साल के बाद इस वक्त भी ६-६ महीने की मयाद बढ़ा कर ४ साल करना पड़ा है तो इस कानून में तीन साल के बजाय चार साल किया जाय।

दूसरे जो वोटर्स म्युनिसिपल एरियाज़ के अन्दर हैं उनको इन संस्थाओं में वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी अलग है और जिला परिषद् का म्यूनिसिपल कौंसिल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जिला परिषद् और पंचायत समितियों के क्षेत्र में, म्युनिसपैलीटीज़ को एक्सक्लूड करके ही राइट्स देना चाहिए।

दूसरा इसमें "एनी वोटर" का राइट दिया है। यह डेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल को देखते हुए ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि "एनी वोटर" तो खुद वोटर्स के इलेक्टोरल कॉलेज में ही नहीं है। वार्ड पंचों और सरपंचों के पदों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में जो सूची हो उसी में से जिसका नाम हो उसको खड़ा होने का अधिकार दिया जाना चाहिये। मुझे आपके जरिये मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। बाकी दूसरे माननीय सदस्यों ने लम्बी लम्बी बातें की जिनकी आवश्यकता नहीं थी। सादिकअली की रिपोर्ट के अलावा बाकी मुद्दों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यदि सिर्फ तीन दिन के लिये फिर यह बिल सिलेक्ट कमेटी में पेश किया जाय और सारे कानूनी मुद्दों को और मैंने जो सुझाव रखे हैं उन पर विचार करके वापस इसको इसी सदन में रखा जाय तो अच्छा होगा। तो मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): समापति महोदय, आज राजस्थान में विकेन्द्रीकरण या पंचायती राज के सम्बन्ध में बना हुआ कानून विधान सभा में सिलेक्ट कमेटी द्वारा भेजा गया है, उसकी उपयोगिता पर वाद विवाद चल रहा। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ कहूं, पंचायती राज का नक्शा दो लाइनों में खींचना चाहता हूं:—

"पंच नहीं पंचायत नहीं, नहीं पंचों में राम।
लड्डू खानी पंचायतें हैं, लज्जा राखो राम॥"

इन पंचायतों का आज यही हाल है, मेरे यहां तो क्या सारे राजस्थान में ही यह हाल हो रहा है। मैं खुद विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखता हूं, विकेन्द्र करणी में मैं

(श्री अब्दुल जब्बार)

कितना विश्वास रखता हूं, विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में लिखी हुई मेरी पुस्तक से पता चलेगा, मैं मेरी पुस्तक मंत्री महोदय को दूंगा। उसी की आउट लाइन पर मैं कुछ सजेशन्स इस बिल पर देना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे सुझावों को इस नाते मानने से इन्कार नहीं करें कि हम उनकी कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। सरकार मानवता के सिद्धान्तों को अपना कर चले।

सबसे बड़ी बुरी बात इस विकेन्द्रीकरण के शासन में, जनता के इस राज में यह है कि वर्ग विशेष में फंस कर, वर्ग भेद के आधार पर यह चलता है इसीलिये हम उन्नति नहीं कर पाते और हमारा जनतन्त्र फेल होता जा रहा है। सबसे पहले मैं एजूकेशनल क्वालिफिकेशन पर आना चाहता हूं। जहां १५ करोड़ की एक बड़ी धन-राशि राजस्थान में सरकार विद्या पर खर्च करती है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्या के प्रति हर एक व्यक्ति में एक मोह पैदा हो, एट्रेक्शन पैदा हो इसके लिये हर इलेक्शन में एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त को आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि गांवों में लोग अधिक से अधिक पढ़ें। कोई भी पंच, सरपंच प्रधान या प्रमुख बनाना चाहेगा तो, इस प्रकार की एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त के कारण वह सोचेगा कि मैं अधिक से अधिक पढ़ूं, अधिक से अधिक योग्यता प्राप्त करूं, जिस पद की प्राप्ति के लिए कि कानून के अनुसार बाध्य किया जाता है कि अमुक प्रकार की उच्च योग्यता प्राप्त किया हुआ हो अमुक पद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि सरपंच, प्रमुख आदि के लिए एजूकेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त रखें कि कम से कम इतना पढ़ा-लिखा हो, जिससे कि गांवों में विद्या-प्राप्ति के प्रति उत्साह और मोह बढ़े। वर्ना आपके एक्सटेन्शन ऑफिसर और बी० डी० ओ० ऐसे चालाक और छंटे हुए इन्सान होते हैं कि दुनिया भर के आड़े टेढ़े रास्ते बताते रहते हैं और आठ-आठ लाख रुपया एक एक पंचायत समिति में देते हैं उनका इनके कारण ठीक तरह से उपयोग नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे प्रधान देखे हैं कि बी. डी. ओ. को हुकम हुकम कर के उनके बिस्तर उठाये फिरते हैं इसलिए यह सजेशन देना चाहता हूँ कि इनके चुनाव के लिए एजूकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रावधान जरूर रखें।

इसके बाद मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि "कोऑपरेशन होना चहिए" यह लिखा है पर किनका कोऑपरेशन होना चाहिए यह नहीं लिखा गया है। जनता का राज बनाया, छोटी से छोटी यूनिट बनाई, पर मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि न्याय पंचायतें बना दो जुडिशियल पावर देदी, पंचायतों को एग्जीक्यूटिव पावर दिये पर पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या अधिकार उनके पास हैं? आज हर बात में ग्रामीण पंचायतें न्याय पंचायतें पुलिस की मोहताज है। चौकीदार की कोई प्रथा नहीं है। न्याय पंचायतों और पंचायतों को अपने फैसलों को एग्जीक्यूट कराने के लिए पुलिस की आवश्यकता रहती है, इसलिए यह विकेन्द्रीकरण लंगड़ा है, अधूरा है। अतः मैं सरकार से निवेदन

(श्री अब्दुल जब्बार)

करना चाहता हूँ कि पंचायतों और न्याय पंचायतों अपने फैसले की इम्प्लीमेन्ट करने के लिए इस प्रकार के एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स देने चाहिए। आज मध्य प्रदेश में छोटी छोटी यूनिटों में चौकीदार रखे जाते हैं पर हमारे राजस्थान में ऐसा कोई प्रावधान पंचायती राज में नहीं हैं।

कोऑप्शन के बारे में प्रावधान रखा है, लोकल सब-इन्सपेक्टर को कोऑप्टेड सदस्य मान लें ताकि लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए पंचायतों में मेम्बर उसको सजेस्ट कर सकते हैं, गांव के लोग बता सकते हैं कि यह व्यवस्था होनी चाहिये, अमुक-अमुक खामी है। लोकल एस. आई. को अगर को-ऑप्टेड मेम्बर रखने की व्यवस्था करेंगे तो गांवों में पंचायतों और न्याय पंचायतों को अपने फैसलों को एग्ज़ीक्यूट करने में बड़ी सहायता मिलेगी और इनके फैसलों का एग्ज़ीक्यूशन ठीक तरह से होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रतिनिधियों को कोऑप्शन से लेने का प्रावधान है वह बेकार है, वे पंचायत समिति में बैठने के अलावा और कोई राय नहीं दे सकते। एक इलेक्टेड बॉडी चुनाव लड़ कर आती है, उसकी छाती पर इन कोऑप्टेड लोगों को बैठा देते हैं, वे लोग कहते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार है। एक प्रधान की, पंचायत समिति के मेम्बर की, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत देखिये। वह भी कोऑप्शन में आ कर उनकी छाती पर बैठता है और कहता है कि मुझे वोट देने का अधिकार है। इसके बजाय म्युनिसिपल चेयरमैन को रखिये। म्युनिसिपल एरिया से पंचायत क्षेत्र के और ग्रामों की भी सीमाएं लगी रहती हैं, म्युनिसिपल चेयरमैन कोऑप्टेड सदस्य पंचायत समिति का होगा तो मलेरिया व अन्य बीमारियों में वह आपको बहुत सहायता दे सकेगा।

इसके साथ ही साथ राजस्थान में करीब ६५ लाख महिलायें हैं, जिनमें से करीब १५ लाख शहरों में रहती हैं। ८० लाख महिलायें देहात में रहती हैं। इनका प्रतिनिधित्व किस तरह से होता है यह मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, वे कहां से इलेक्ट हो कर आती हैं? हम जैसे शहरी आदमी होते हैं उनकी बहनें-बीबियां पंचायत समितियों में कोऑप्ट हो कर आती हैं और कुछ भी नहीं करती हैं। ६५ लाख महिलाओं के प्रतिनिधि को यह तो मालूम होना चाहिए कि आज हमारे यहां राजस्थान में महिलाओं की क्या हालत है और महिलाओं के लिये क्या क्या सुविधाएं होनी चाहियें? करीब ७ या ८ लाख रुपया पंचायत समिति में खर्च किया जाता है, पर महिलाओं का सही माने में वहां प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण महिलाओं के कल्याण के लिए वहां कुछ नहीं होता है। किशमिश-काजू आदि समाज कल्याण वाले खा जाते हैं महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था पंचायत समितियों में होती है। नेहरू कमोज बनते हैं बच्चों के लिये। भीखाभाई आप हंसते, हो पर आप गरीबों को दुनिया का नहीं जानते।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : दोनों मिनिस्टर यहां हैं। Both the Ministers are present here. You say speci-

(श्री भीखा भाई)

fically-what do you want ? Then we can reply also.

श्री अब्दुलजब्बार : मैं साफ बताता हूं। जिस तरह गरीब के साथ खिलवाड़ होता है उसी तरह से महिलाओं के साथ, महिला जगत के साथ खिलवाड़ होता है। और आप चाहते हैं कि महिला को पुतली की तरह से वहां पर बैठा दिया जाय। महरबानी करके चौपड़ पर बिठा कर पुतलियां नचाते। पंचायत समितियों में बिठा देंगे बहरी गूंगी की तरह, जान है पर बोल नहीं सकती, कान है पर सुन नहीं सकती, दिल है पर धड़कन नहीं। आप सदस्या बनाते हैं। यदि आपको महिला समाज से कोई सदस्या लेना है, प्रतिनिधि लेना है तो जिन महिलाओं में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स हैं, जो महिला समाज का सही माने में प्रतिनिधित्व कर सकें, जो सही प्रकार से महिलाओं के उत्थान और उनके विकास में कार्य कर सकें ऐसी महिला प्रतिनिधियों को लेना चाहिये।

यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास से आया है। इसमें एन्फोर्समेंट का सवाल है। यह हमें मालूम है, विधान सभा का हर माननीय सदस्य जानता है कि पचायतों के चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहे हैं। यह बिल सिलेक्ट कमेटी से आया है, इसमें है। time when it will be published in the official gazette

इसका एन्फोर्समेंट कब होगा? इसमें इम्पलीकेशन्स कब से लागू होंगे, यह इसमें सवाल है। आप इसमें डेफिनिट डेट कर दीजिये कि यह फलां डेट से लागू हो जायगा, इमीजियेटली लागू हो जायगा, ताकि लोगों को पता लगे, आपकी भवना भी लोगों को मालूम हो जाय कि चुनाव कब कराने जा रहे हैं। यह भी मालूम हो जाय कि यह किस तारीख से लागू हो जायगा। इमीजियेटली से मतलब गज़ट में शाया करने के बाद, मान लीजिये चुनाव के पांच-दस दिन और बीस दिन पहले छप कर आया या बाद में छपकर आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा इसमें प्रावधान होना चाहिये कि विधान सभा से पास होते ही इसका नोटिफिकेशन कराया जाय और विद्इन ट्वेन्टी डेज़ आप लागू कर दें।

इस प्रकार इस पंचायती राज को सरसब्ज बनाने के लिये एक बिल लाकर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं कुछ मेम्बरों पर जिला परिषद के मेम्बरों पर या पंचायत समिति के प्रधानों पर। मैंने सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है।

He is most reasonable person, most efficient man, more qualified man than pradhan and as such there are so many words about him in the report but he is debarred from becoming a Pradhan.

इस तरह से कहा है सादिक अली कमेटी ने। दुनियां भर ने तारीफ की लेकिन उसने यह कहा कि एम. एल. ए. प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। सादिकअली कमेटी ने कौनसी बात सोची है प्रधान के लिए, मैं कह नहीं सकता लेकिन जहां तक एफीशियेन्सी का सवाल है वर्क में एफीशियेन्सी आनी चाहिए। एम० एल० ए० एफिशियेन्टली काम कर सकता है बनिस्बत इसके कि दूसरा आदमी हो। आपको डर किस बात का है?

(श्री अब्दुल जब्बार)

एम. एल. ए. को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चुनाव लड़ कर प्रधान बन ही जावेगा और रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स एक्ट में 'एनी वोटर' इलेक्शन लड़ सकता है। फिर प्रतिबन्ध किस बात का ? इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बिल को ठीक तरह से सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के नुक्ते-नजर से और मानवता को ध्यान में रखते हुए और साथ-साथ एजुकेशन की बढ़ोत्तरी को देखते हुये, तीन-चार पॉइन्ट के नजरिये में, इन सब पर विचार करने के लिए इसको एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें और उसकी ऐसी मीटिंग्ज़ न हों कि इधर तो सैशन चल रहा है और उधर उसकी मीटिंग चल रही हो। एक माननीय सदस्य ने तो नोट ऑफ डिसेन्ट भी दिया है कि सदन चल रहा था जब सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग की गई।

अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सही माने में जनता का राज हो, जनता के हाथ में हो और उनको इन्साफ मिले तो अच्छा है; इसके लिए एक शेर कहा है :
"बने हैं अहले हविश, मुद्दई भी, मुन्सिफ भी,
अरे किसे वकील कहें और किसे मुन्सिफ कहें।"

खुद ही वकील हो और खुद ही कोर्ट हो तो न्याय कैसे मिले ? इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसको दो-चार दिन के लिए नहीं बनाने जा रहे हैं। हमेशा २ के लिए यह कानून काम में आवेगा और पंचायती राज की कामयाबी और बहबूदी इसी पर आधारित है। लिहाजा गम्भीरता से इस पर विचार करने की बात है। यह नहीं कि आज बिल पास हो गया और कल इस पर अमेन्डमेन्ट चले आ रहे हैं, रोज रोज चिपकाने पड़े। लिहाजा इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये इससे आप का, राज्य का और राज्य की जनता का भला होगा और पंचायतें और पंचायत समितियां ठीक प्रकार से चलेंगी। भीखाभाई जरूर अपने जवाब में फरमावें। न्याय पंचायत का प्रतिनिधि पंचायत में बैठे, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री भीखाभाई : यह हटा दिया है।

श्री अब्दुल जब्बार : और भी चीजें हैं जो छांटने और हटाने की हैं। मेहरबानी कर इनको एक्ज़ामिन करा लें। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव जो इस प्रकार है प्रस्तुत करता हूं ;

"राजस्थान पंचायत लॉज (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तो तीन दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट कम्प्लीट कर दे।

मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस ओर जागरूक हो कर इसको पास करेगा। यह एक दिन के लिए नहीं हमेशा २ के लिये पंचायती राज का कानून बनने जा रहा है ! इस पर गम्भीरता से विचार की आवश्यकता है।

श्री सभापति : अब चूंकि मिनट केवल दो ही बाकी है। सदन की इच्छा हो तो हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, पांच मिनट के लिये इसको बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : बोलने का मौका दिया जावेगा तो असहमति पत्र देने वालों को दिया जावेगा। यदि असहमति पत्र देने वाले बोलना चाहें तो बोलें।

कई माननीय सदस्य : इनको (श्री दलपतसिंह) समय दे दिया जाय।

श्री सभापति : श्री दलपतसिंह।

क्या आप अपना भाषण दो मिनिट में समाप्त कर देंगे ?

श्री दलपतसिंह : दो मिनट में तो भूमिका ही बांधूंगा।

श्री सभापति : क्या सदन के माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि सदन का पांच मिनिट का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री दलपतसिंह : (आबू) सभापति महोदय, जैसा अभी अभी कई माननीय सदस्यों ने पंचायत एमेन्डमेन्ट बिल लागू हो रहा है, उस पर अपने विचार रखें। मैं सरकार को पहले पहल बधाई देता हूं कि आपने ये लॉज ब्रोड-माइन्डेड होकर बनाये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं।

सबसे पहले अपोजिशन मेम्बर को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि सिलेक्ट कमेटी में जल्दी से जल्दी यह बिल देकर पास कराने का विचार है उसका मतलब यह है कि हम पंचायतों में जल्दी से जल्दी नये इलेक्शन करवाना चाहते हैं। आपको यह ज्ञात होगा कि लास्ट सैशन में भी हमारे लॉ मन्त्री जी ने फरमाया था कि दिसम्बर के फर्स्ट वीक तक ये इलेक्शन करवा दिये जावेंगे क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि तीन—चार साल से ग्राम पंचायतों के इलेक्शन नहीं हुए है इसलिए इनके इलेक्शन जल्दी से जल्दी करा देने चाहिये, लेकिन हर एक काम में उतावल नहीं करना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : चाहते हैं या नहीं ?

श्री दलपतसिंह : अच्छी तरह समझा दूंगा।

हमारी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी चाहती है कि बिल पास हो जाय और हमारे रेस्पेक्टेबल जब्बार साहब ने मानवीयता के नाते मानवता का सरल तरीका अपनाया है कि ब्रोड माइन्डेड तरीके से इसका पास होना जरूरी है। आप कहेंगे पहले जितनी धांधलीबाजी चलती थी वह न चले और देहात के लोगों को यह रियलाइजेशन हो कि किस प्रकार रिप्रेजेन्टेशन उनका होकर उनको आगे लाया जा रहा है। पहले कई बातें सीमित थी। इसलिए सादिकअली कमेटी ने रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर बनायी। उसका रिफलेक्शन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर बनायी ?

(श्री अब्दुल जब्बार)

श्री दलपतसिंह : ऑल इन्डिया बेसिस पर बनायी। ऑल इन्डिया के दृष्टीकोण को देखते हुए एक विचारधारा बनायी। उस रिपोर्ट पर कई पहलू हैं उन पर विचार करना है। लेकिन सभापति महोदय हमारे माननीय मिनिस्टर ने उसमें से कुछ पहलू आपके सामने इसलिए रखे कि उन पर पहले जल्दी से जल्दी विधान सभा में विचार करके पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करा दिये जायं। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार ने यह पहलू लिया है कि दिसम्बर के बजाय जनवरी में इलेक्शन होंगे और सरकार ने नहीं लिया है तो विचाराधीन है तो अच्छी बात है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) विचाराधीन है।

श्री दलपतसिंह : मैं व्यक्तिगत राय रखता हूं। यदि दिसम्बर में इलेक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। थर्ड फाइव इयर प्लान का यह प्रोडक्शन ईयर है। नेशनल प्लान प्रोडक्शन प्लान पर निर्भर है। लोग खेती छोड़ कर जावेंगे इसलिये प्रोडक्शन पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। इसलिए जनवरी के सैकेंड वीक के बाद में जो कुछ भी करना चाहें करिये। माननीय सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि हमारी कांग्रेस की नीति है कि इलेक्शन में देरी करें। लेकिन प्रोडक्शन प्लान को देखते हुए यह निवेदन करूंगा कि जो लोग इस बिल को पॉइलेट कर रहे है उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम दिसम्बर में इलेक्शन नहीं होने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : कोई पॉइलेट मंत्री नहीं है ?

(५.०० म. प.)

श्री दलपतसिंह : अब मैं अधिक समय नहीं लेकर इम्पोर्टेन्ट मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : मैं समय बढ़ा देता हूं जब तक आप अपना भाषण समाप्त करें तब तक।

श्री दलपतसिंह : धन्यवाद है इसके लिये तो।

डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल के आधार पर ब्रॉड बेस्ड रख कर कहा है 'एनी वोटर' पंचायत समिति कॉन्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर का वह खड़ा हो सकता। इसके लिए यह बहुत ही सुन्दर विचार दिया है। इसके लिये धन्यवाद देता हूं। इसके साथ एक बात यह भी पॉइन्ट आउट कर देना चाहता हूं कि इसके अन्दर शिड्यूल्ड ट्राइब वालों को भी कोऑप्टेड मेम्बर होने के लिये मौका दिया है। पंचायत समिति का फॉर्मेशन चन्द सरपंचों के द्वारा ही हो जाता था। मेरी राय से यह नया एमेंडमेंट किया है इस बिल के द्वारा। एवरी वार्ड पंचों द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा यह अच्छी बात है। आज से तीन-चार साल पहले देखा था कि पंचायत समिति का जब इलेक्शन होता था तो इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा होने से पंचों को इधर–उधर लेकर जाते थे कोई बम्बई की तरफ भारत दर्शन के नाम से, कोई गंगा तीर्थ कराने

(श्री दलपतसिंह)

के नाम से लालच देकर ले जाते थे। तो यह आज बढ़िया चीज है।

इसके अन्दर एक बात समझ में नहीं आती कि एम. एल. ए. को प्रधान के लिये खड़ा होने में रोक लगा दी है। यह डेमोक्रेटिक फण्डामेन्टल राइट के खिलाफ है। मैं इसी पोइन्ट पर आ रहा हूं और यह बता देना चाहता हूं कि किसी को किसी भी जगह के लिए खड़ा होने देने में रुकावट नहीं आनी चाहिये। हां, यह हो सकता है कि he can keep only one post. वह बात दूसरी है। अगर वह प्रधान के लिए खड़ा होकर चुना जाता है तो उसको एम. एल. ए. शिप से इस्तीफा देना पड़ेगा। दोनों में से एक पोस्ट रख सकेगा। पर इलेक्शन लड़ने से ही मना कर देना, यह बात मेरी विचार धारा के खिलाफ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): आपकी मंशा यह है कि केवल एक चीज ऑप्ट करे।

श्री दलपतसिंह: He should be allowed to keep one post. तो इसके लिये मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि लॉ-में क्या है इसके लिये इनको एग्ज़ामिन कराने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, यह चीज मैं अर्ज करता हूं कि हाउस इसको सपोर्ट करेगा कि प्रधान के चुनाव में एम. एल. ए. और सभी जो भी चाहे अलाउ हो जाना चाहिये इलेक्शन कन्टेस्ट करने के लिये, यह बन्धन नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यह जो जिला परिषद् के इलेक्शन्स हैं उसके अन्दर जो बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज हो जावेगा और वह हो जाने की वजह से इसके अन्दर बहुत खर्चा भी होगा प्रमुख के लिये तो इसके अन्दर मेरा निवेदन है कि ऐसा सिम्पल तरीका निकाला चाहिये ताकि एक तो हर एक इलेक्शन कराने का तरीका होना चाहिये। खर्चा भी कम हो। सरपंच की तरफ से रिप्रेज़ेन्टेशन होकर जितने भी प्रधान वगैरह आ-जाते हैं उसके बाद में अगर जिला परिषद् का ओल्ड सिस्टम था उस तरह से इलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें बाधा नहीं पड़ेगी।

जिला परिषद् के इलेक्शन में कौन से गवर्नमेंट ट्रक जाकर ऑल कार्नर से वोटरों को हैड क्वार्टर पर लेकर आवेगा। जिला प्रमुख होगा उसको लाना पड़ेगा। इसके लिये एक्सपेन्डीचर बैरीयर करने पड़ेंगे तब इतना खर्चा करके प्रमुख हो सकता है।

श्री सभापति: एक प्रधान के लिये वार्ड पंच इकट्ठे हों उसके बारे में आपका जो ख्याल हो वह भी बता दीजिये।

श्री दलपतसिंह: मैं क्लीयर कर देता हूं।

सभापति महोदय, यह ऐसी बात है कि जिसकी तरफ मैं रिफ्लेक्शन डाल रहा था, लेकिन यह लाफुली प्रेक्टीकल नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि हमारी गवर्नमेन्ट तो चाहती है कि इलेक्शन कम से कम खर्च में

Page No. 99

(श्री दलपतसिंह)

हो लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रेक्टीकेबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक ही दिन प्रधान का भी इलेक्शन हो जाये और सरपंच का भी हो जाये लेकिन वह प्रेक्टीकेबल यों नहीं है क्योंकि एकदम जो भी प्रधान होने वाला आदमी होगा उसको क्या पता चलेगा कि इस गांव से कौन हुआ है। तो दूसरे प्रधान होने वाले एरिया से एकदम तो पता नहीं चल सकता इसलिए वह दूसरी दफा होना पड़ेगा और दूसरी दफा कोऑप्टेड मेम्बर्स होंगे उसके लिए भी ७ दिन का नोटिस इश्यू करना पड़ेगा। इसलिए दो तीन दफा खर्चा होगा। इसके लिए प्रेक्टीकल अड़चनें बहुत आती हैं वर्ना मैं भी इस राय का हूं कि एक दिन तहसील हैडक्वार्टर्स पर इन्वाइट कर लिए जायें और गवर्नमेन्ट चाहती है कि कम से कम इलेक्शन में खर्च हो और उसकी प्रणाली सरल से सरल हो लेकिन प्रेक्टिस में ऐसी चीज़ है कि जो अड़चनें पैदा करती हैं। तो मैं जिला प्रमुख के बारे में अर्ज कर रहा था।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : सभापति महोदय, आपका कहना है कि सरपंच दूर दूर से आयेंगे और खर्चा बढ़ेगा, इसी तरह से पंच आयेंगे पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स पर तो भी बड़ा खर्चा पड़ेगा उसके बारे में क्या राय है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके साथ ही साथ एक राय और बता दें कि सरपंच को आपने इतना निम्नस्तर का कैसे समझ लिया कि जब तक ट्रक या जीप नहीं जायेगी तब तक वह वोट देने नहीं जायेगा।

श्री दलपतसिंह : यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह तो आपकी प्रेक्टिस है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीज एडाप्ट होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपका खर्चा बहुत ज्यादा न हो इस कारण आपके जिला परिषद का इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा हो कि उसे आपको छोटे से छोटा करना चाहिए। जैसे कि यहां तो हमारे असेम्बली के मेम्बर्स चुन कर आ जाते हैं और फिर यहां से राजसभा के लिए मेम्बर्स भेजते हैं ऐसा कोई तरीका आपको निकालना चाहिए।

एक और अर्ज कर देता हूं कि आपने पहले पंचायत समिति के लिए कहा था की अर्बन सेक्टर वाले कोई भी व्यक्ति रूरल सेक्टर से नहीं खड़े हो सकते। उसमें वह यह हो कि किसी का नाम लिख दिया हो तो वह कम से कम बार होनी चाहिए कि ६ महीने पहले वह खड़ा नहीं हो सकता है। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यह नहीं होगा तो अर्बन सेक्टर के आदमी रूरल सेक्टर में घुस जायेंगे। दूसरी बात यह है कि जो प्रापोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन के काउन्टिंग वगैरह का सिस्टम है यह बिल्कुल राइट तरीका होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले जो सिंगल वोटिंग काउन्टिंग था वही सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : अब तो एडजोर्न होना चाहिए।

श्री दलपतसिंह : दो मिनट के लिए अर्ज कर देता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बिल्कुल रिप्रेजेन्टेशन नहीं रखा था उसके

Page No. 100

(श्री दलपतसिंह)

बारे में यह अर्ज कर देता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर्स को अवश्य पॉलीटीकल इश्यूज़ के अन्दर ड्रैग नहीं किया जाये। यहां तो बात वाजिब है लेकिन मैं समझता हूं कि जितने प्रोडक्टिव प्लान्स हैं वह डिस्कस किये जाते हैं उसके अन्दर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर को जरूर रखा जाना चाहिए और मेम्बर्स को वोटिंग पॉवर्स का अधिकार देना चाहिए और जो पंचायत समिति की लिमिट ३ साल की रखी है वह वाजिब है।

इसके अलावा मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेन्ट बात अर्ज कर देता हूं और वह यह है कि माननीय मन्त्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक यह ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक यह तांता चलने वाला नहीं है। मैं दो मिनट के लिए अर्ज कर देता हूँ कि माननीय सदस्य कहते हैं कि हम डिमोरेलाइज़ होते हैं तो डिमोरेलाइज़ तो आप तभी हो जाते हो कि जब कि बी० डी० ओ० और एक्सटेन्शन ऑफिसर से यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट ले लेते हो।

इसके बाद एक मिनट के लिए और अर्ज कर देता हूं कि एक्सपेन्डीचर पावर्स जो होते हैं वह सरपन्च, प्रमुख या प्रधान वगैरह के पास बिल्कुल नहीं रखे जाने चाहिए। जैसे स्कूल है उसका प्लान बना देना चाहिए कि स्कूल कैसे बनेगा और वह सीधे-सीधे सरकार द्वारा बनवा दिये जाने चाहिए। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऑफिसर्स गांव में जाने ही नहीं चाहिए तो जब तक वह नहीं जायेंगे तब तक हमें कौन टेक्नीकल गाइडेन्स देगा। हमारा मतलब यह नहीं है कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए कि We represent the Government and are part and parcel of the people also.

गवर्नमेन्ट चलाने में हम भी उतना ही तवज्जोह रखते हैं जितना वह रखते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं सभापति महोदय, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना बोलने का समय दिया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बुरा यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट का तरीका है इसको सुचारू रूप से जब तक नहीं किया जायेगा तब तक बड़ी मुश्किल होगी।

श्री सभापति : We now do adjourn to meet again at 11 O'clock on 26th.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर १७ मिनट पर दिनांक २६ अक्टूबर, १९६४ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

*शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २४ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७	१३	श्री भैरोंसिह्	श्री भैरोंसिंह्
१७	१८	श्री निरंजननाथ आचा	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२१	श्री ज्वालाप्रसाद शमा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१९	शीर्ष	(मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
२०	अन्तिम	श्री मुराणा	श्री सुराणा
२७	शीर्ष	(श्री माणिक,चन्द सुराण)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
३२	१०	श्री मुरलीघर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
३३ से ४५	शीर्षक	पुलिस द्वारा,	पुलिस द्वारा लाठी
३७	१२,१३	श्री निरन्जननाथ आचार्य (व्यवधान) : रहा दूसरा प्रश्न;	श्री निरंजननाथ आचार्य : रहा दूसरा प्रश्न.... (व्यवधान)
३८	१०	श्री मुरलीवर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
,,	१२	श्री निरंजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
४०	१२	श्री निरंजनाथ आचार्य	,, ,, ,,
,,	अन्तिम से ७	अख्यार	अख्त्यार
४५	अन्तिम	पड़ेगी।	पड़ेगी ?
४६	५	श्रीं	श्री
४८	१८	श्री दुर्गाला	श्री दुर्गालाल
,,	अन्तिम से ६	श्री गंगासिह	श्री गंगासिंह (जायल)
४९	१०	Order हमें हिदी	Order, हमें हिन्दी
५०	१	समय अमेन्ड-	समय वे अमेन्ड-
,,	२	जाएंगे फिर	जाएंगे, फिर
,,	५	या रिपोर्ट	या नहीं या रिपार्ट
,,	८	है।	है ?

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५०,६८, ८८,१३०	शीर्षक	संशोधन विधेयक,	(संशोधन) विधेयक,
५७	अन्तिम से २	श्री ज्वालाप्रसाद शमा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
५८,७८	शीर्षक	विमेयक,	विधेयक
६३	,,	अक्तूबर	अक्टूबर
६५	,,	वियि	विधि
६७	शीर्षक	पंचांयत	पंचायत
७७,८५	,,	विधी	विधि
८०	१	(गोविन्दगढ़)	(गोविन्दगढ़)
८७	शीर्षक	पंचांयत	पंचायत
९६	२०	श्री अघ्यक्ष : श्री छुतरसिंह ।	श्री अध्यक्ष : श्री छत्रसिंह ।
९९	६	(श्री केसरीसिह,	(श्री केसरीसिंह,
१००	शीर्षक	संशोधन विधेयक,	(संशोधन) विधेयक,
१०३	अन्तिम से २	(२. ३ म. प.)	
१११	शीर्षक	विधि	विधि
१३३	,,	पंचायत	पंचायत
१३४	२६	(साचोर)	(सांचोर)
१३७	१५	श्री भैरवलाल "ललाबादलक"	श्री भैरवलाल "कालाबादल" ।
१४१	शीर्षक	मांग संख्या ८९-२४ अक्टूबर, ६४—बिक्री कर	पंचायत-विधि २४ अक्टूबर, ६४- (संशोधन) विधेयक, ६४,
१४३	,,	२६ अक्टूबर,	२४ अक्टूबर,
१४६	अन्तिम से ६	(सोचोर)	(सांचोर)
१५१	११	श्री कृष्णकुमर गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
१५५	शीर्षक	पचायत	पंचायत
१६१	१	रघुनाथ बिश्नोई	श्री रघनाथ बिश्नोई
,,	१९	श्री मानसिह	श्री मानसिंह
१६७	८	श्री चन्दनलल वैद	श्री चन्दनमल वैद
१६९	६	श्री भीखामाई	श्री भीखाभाई

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१७१	शीर्ष	(श्री मानसिंह महार)	(श्री मानसिंह महार)
१७२	६	श्री रघुनाथ विश्नाई	श्री रघुनाथ विश्नोई
१८१	शीर्षक	२६ अक्टूबर,	२४ अक्टूबर,
१८३	,,	पतायत	पंचायत
१६५	शीर्षक	विधि विधि	विधि
१६६	,,	वि ो	विधेयक, ६४
१६७	,,	पंचयत	पंचायत

* नोट :—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।